विचार

वर्ष : 18 अंक : 3 सितंबर-दिसंबर, 2013

वर्तमान स्थिति

सामाजिक बहिष्कार

अपेक्षित स्थिति

सामाजिक समावेश

उन्नति

Sightsavers

अनुक्रम

संपादकीय 3

विकास विचार

- भारत में 'विकलांग व्यक्ति संगठन' (डीपीओ) द्वारा परिस्थितिजन्य विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन करने के लिए समावेशी अध्ययन दृष्टिकोण का विकास 4

नज़रियाँ

- समुदाय-आधारित पुनर्वास और समावेश 11
- समावेशकता की वास्तविकता 13

आपके लिए

- भारत में मानवीय संकट की स्थिति और विकलांगताः समावेशी दृष्टिकोण की ओर बढ़ना 21
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारः एक ऐसा मुद्दा जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता 28

अपनी बात

- सर्वसमावेशी और विकलांगता-केंद्रित आपदा जोखिम में कमीः एक रणनीतिक योजना और मध्यस्थता आधारित मामले 32
- द वीमन विद डिसेबिलिटीज इंडिया नेटवर्क (डब्ल्यूडब्ल्यूडीआइएन) भारतीय विकलांग नेटवर्क के साथ महिलाएं 35

गतिविधियाँ 46

हमारे मुद्दों में हमारी भागीदारी

पिछले दो दशकों से, विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों को वैश्विक स्तर पर वाणी मिली है और दूसरों लोगों के साथ समान स्तर पर अधिकारों और वास्तविकताओं की मांग करने के लिए उन्होंने अपनी जरूरतों और महात्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत करना शुरू किया है। इस पहचान को 'संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन' (यूएनसीआरपीडी) द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया है। भारत ने २००७ में इसकी पुष्टि की है। लगभग ५० से अधिक देशों ने इस सम्मेलन को मान्यता प्रदान की है। इसमें, विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की वकालत की गई है। दशकों से, विकलांग लोगों को दया की दृष्टि से देखा जाता है और हमेशा 'दान का पात्र' समझा जाता है। जिन विकलांग व्यक्तियों का ध्यान घर पर नहीं रखा जाता हो उन्हें संस्थाकरण के तहत इकट्ठा करने की प्रणाली मिशनरियों ने शुरू की है।

विश्व युद्धों के बाद विकास के साथ चिकित्सा सहायता, सुधारात्मक सर्जरी, और उपकरणों की सहायता से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य बनाने के प्रयास शुरू किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों की व्यापक आबादी का संस्थाकरण करने की सीमा के कारण समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) को वेगवान बनाने की रणनीति शुरू की गई। इसमें विकलांग व्यक्तियों को उस समाज में बराबरी का दर्जा दिए जाने के प्रयास किए जाते हैं जिस समाज वे रहते हैं यह समझ इस विचार के आधार पर उभरी है कि विकलांगता आसपास मौजूद सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और शारीरिक बाधाओं का परिणाम है, साथ ही विकलांगता के लिए सामाजिक मॉडल या सामाजिक दृष्टिकोण है।

हाल के वर्षों में, अधिकार आधारित दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, अन्य व्यक्तियों की तरह ही गौरवपूर्ण जीवन जीने की विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं को ध्यान में रखने वाले पहलुओं के आधार पर विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सामूहिक स्तर पर मांग करने के लिए 'युनि-डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन' (केवल श्रवण या केवल दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए) और 'क्रॉस-डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन' (सभी प्रकार की विकलांगता - दृष्टि दोष, श्रवण दोष, लोकोमोटर विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, एक से अधिक विकलांगता और अन्य विकलांगता वाले व्यक्ति) से बने गठित समूह उभरे हैं। इन समूहों के उभरने की शुरूआत दो दशकों से होने के बावजूद, समाज का यह वंचित वर्ग राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हुआ है और उनके जीवन के साथ जुड़े मुद्दों की नीतियों को तैयार करने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उनकी भूमिका सीमित रही है।

विकलांगता आंदोलन के सामने नवीनतम चर्चा और प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में, विकलांग व्यक्तियों के संगठनों के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विधेयक के पारित होने के खिलाफ पिछले संसद सत्र के दौरान प्रदर्शन किए गए थे, जो इस स्थिति का ज्वलंत साक्ष्य है। समग्र विकलांग समुदाय द्वारा एकजुट होकर विकलांगता में मौजूद विविधता का संचार करने के लिए अपनी आवाज उठाने और सीआरपीडी में निहित मूल्यों और सिद्धांतों की मांग करने का समय आ गया है।

भारत में 'विकलांग व्यक्ति संगठन' (डीपीओ) द्वारा परिस्थितिजन्य विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन करने के लिए समावेशी अध्ययन दृष्टिकोण का विकास

भारत में ८ भागीदार स्वैच्छिक संस्थाओं/डीपीओ के १८ महिनों की पहल 'भारत में 'विकलांग व्यक्ति संगठन' (डीपीओ) द्वारा परिस्थितिजन्य विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन करने के लिए समावेशी अध्ययन दृष्टिकोण का विकास' के आधार पर यह लेख 'उन्नति' की कार्यक्रम समन्वयक **सुश्री दीपा सोनपाल** द्वारा तैयार किया गया है।

१. पहल की अवधारणा

परिस्थिति का विश्लेषण (सिचुएशन एनालाइसिस) और क्षमता मूल्यांकन (सीए) मानव और संस्थागत विकास (ह्यूमन एन्ड इंस्टूट्यूशनल डेवलपमैंट - एचआइडी) प्रक्रियाओं के आवश्यक तत्व हैं। संस्था जिन समुदायों के साथ काम करती हो उनके सहित सभी प्राथमिक हितधारकों की अपनी प्रभावी संस्था सच्चे अर्थ में विकसित करने के लिए रणनीतिक योजना और विकास में समुदाय के सभी सदस्यों को जोड़ना चाहिए।

ऑर्गनाइजेशनल सेल्फ एसेसमैंट केयर गैर-सरकारी संगठनों और क्षमता मूल्यांकन के लिए हार्वर्ड ढांचे जैसे अनेक साधनों का इस्तेमाल परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। इस तरह के साधनों को विशेषज्ञों के द्वारा संचालित किया जाता है और इससे समुदाय को भाग लेने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसी प्रक्रियाओं में समुदायों की सीधी भागीदारी के लिए एसए संरचनाओं और साधनों का विकास करने की आवश्यकता है।

एचआइडी/ओडी और प्रक्रियाओं में समुदायों की भागीदारी प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनेक साधनों और सहभागी पद्धतियों का विकास किया गया है। अनुभव से पता चलता है कि विकलांगों की प्रभावी और निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहभागी पद्धतियां अपर्याप्त हैं। इसका कारण यह है कि (१) जॉब कार्ड विश्लेषण, समस्या ट्री, संसाधनों का मापन जैसी सहभागी पद्धतियां दृश्य प्रस्तुतियों पर आधारित होती हैं, (२) सहभागी पद्धतियों में जुड़ी सत्ता की संरचना से अनुक्रम को मजबूत करने का काम करती है। इसमें विकलांगों, विशेष रूप से देखने और सुनने की कमी वाली महिलाओं, विकलांग महिलाओं, और विकास से जुड़े विकलांगों को दूर रखा जाता है या मौन रखा जाता है। कई बार, समुदाय, परिवार या आस-पड़ोस के व्यक्ति और रिश्तेदार विकलांग व्यक्तियों के विचारों या निर्णयों को बाहर लाने के बजाए उनकी ओर से बातें करते हैं। नतीजतन, परिस्थितिजन्य विश्लेषण एचआइडी/ओडी प्रक्रियाओं में विकलांगों के हितों और विश्लेषणों को शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार, विकलांग व्यक्तियों का प्रभावी रूप से भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ज्ञान की पद्धतियों, साधनों और तकनीकों बदलना जरूरी है।

भारत में इरमा, प्रिया, और मानव संसाधन विकास अकादमी, और सीवाईएसडी, एएसके सहित कई क्षमता निर्माण संस्थाएं और परामर्शदाता हैं, जिन्होंने एचआइडी/ओडी के बारे में प्रशिक्षण जानकारी पुस्तिका और अन्य अभ्यास विकसित किए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर इस विषय पर बहुत सारा साहित्य भी उपलब्ध है। हालांकि, इस तरह के किसी भी संगठन ने विकलांगों विशेष रूप से देखने और अन्य कमियों वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों का निर्माण नहीं किया है। हमारी जानकारी के मुताबिक, भारत में सार्वत्रिक रूप से उपलब्ध पद्धतियों और विकलांगता के मुद्दों पर ध्यान देने वाली संरचनाओं का उपयोग करते हुए अध्ययन करके विकलांग व्यक्तियों के संग नों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक भी विशेषज्ञ संगठन उपलब्ध नहीं है।

'संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन' (यूएनसीआरपीडी) और भारत में प्रस्तावित 'विकलांग व्यक्ति विधेयक' ने विकास के नए दरवाजे खोले हैं जिसका नेतृत्व विकलांग व्यक्ति कर रहे हैं। इस

प्रकार, बीपीओ/डीपीओ एचआइडी के लिए रणनीति बनाने के लिए बीपीओ/डीपीओ की संस्थागत क्षमता वृद्धि करना आवश्यक है। इसके अलावा, विकलांग (विशेष रूप से दृष्टि, श्रवण, और अन्य विकलांग) व्यक्तियों को जोड़कर यथसंभव साधन बनाने की जरूरत है।

वर्तमान में, भारत में विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहे ज्यादातर संगठन पुनर्वास और कल्याण पर आधारित हैं। विकलांग व्यक्तियों विशेष रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा संचालित विकास प्रक्रियाओं की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए उचित ज्ञान और कौशल वाले विकलांग व्यक्तियों में से संस्थागत विकास और कार्यक्रम की योजना को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। विकास की प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक ऐसी प्रक्रिया का विकास करने की जरूरत है जिससे वे अपने आप आगे बढ़ें।

अक्टूबर, २०१२ से मार्च २०१४ के दौरान सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की सुविधा के लिए बीपीओ/डीपीओ के नेतृत्व वाले शिक्षा शास्त्र विकसित करने की ओर नामक १८ महीनों की अनुसंधान परियोजना शुरू की गयी थी। यह परियोजना शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों विशेष रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ज्ञान आधारित उत्पादों के शामिल होने से इस परियोजना से व्यापक परिणाम आने की संभावना है।

यह प्रक्रिया विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी हुई है, जिससे उनके अपने और अन्य संगठनों में सामाजिक समावेशी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा।

२. भागीदारों का निर्धारण और औपचारिक संबंध स्थापित करना

इसके तहत परियोजना ने ८ बीपीओ/डीपीओ/गैर सरकारी संगठन भागीदारों के साथ काम किया था, जो सह-विकास, क्षेत्र परीक्षण एवं संसाधन किट तैयारी करने के काम में शामिल थे। आवेदन तैयार करने के चरण में पिछले संपर्कों ओर संबंधों के माध्यम से कई अपेक्षित भागीदारों के साथ विचार - विमर्श किया गया था और उसके बाद अन्य भागीदारों को शामिल किया गया था। भाग लेने वाले डीपीओ की इच्छाशक्ति पर प्राथमिक ध्यान दिया गया था, क्योंकि यह प्रक्रिया शिक्षा तथा तय किए गए साधनों को अपनाने के बारे में अधिक केन्द्रित थी।

इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त किए गए समूहों को परिचयात्मक नोट भेजा गया था और उसके बाद उनसे आमने-सामने मुलाकात की गई थी। भागीदारों के साथ इस मुलाकात का उद्देश्य पालन की जाने वाली भूमिकाओं और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना था। इसके अलावा, हमने संगठन के प्रमुखों और बड़ों तथा प्रक्रिया में शामिल कई स्टाफ से भी मिले थे। आमने-सामने हुई बातचीत संबंध स्थापित करने और स्पष्टता प्राप्त करने में मददगार हुई थी। हमें डीपीओ की बेहतर समझ प्राप्त हुई और यह पता चला कि यह मुख्य रूप से सदस्य पद पर आधारित है और गतिविधियों में सदस्यों की भागीदारी स्वैच्छिक रूप से होती है। इसलिए, निश्चित व्यक्तियों के पास समय की उपलब्धता और निश्चित चरण डीपीओ द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर सदस्य पद में बदलाव होता रहता है। अधिकांश सदस्य अपनी आजीविका के लिए अन्य स्थानों से जुड़े रहते हैं। समस्त विकलांग (सभी प्रकार के विकलांग क्षेत्रों में कार्यरत) संगठनों में दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों प्रतिनिधित्व केवल २०-३० प्रतिशत था। जबकि श्रवण दोष वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व काफी कम होता है।

नवम्बर-दिसम्बर, २०१२ के दौरान पहल पर चर्चा करने के लिए सभी ८ भागीदारों से बातचीत की गई थी।

इस प्रक्रिया में भागीदार निम्नांकित थे:

- डॉ. जयश्री मुखर्जी और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में डीपीओ फेडरेशन को प्रोत्साहित करने वाले बेंगलूरु स्थित एडीटी इंडिया के कर्मचारी। इस कार्य के लिए हमने तमिलनाडु फेडरेशन, एडीटी के साथ काम किया था।
- श्री पॉल रामनाथन और सामा फाउन्डेशन का सहयोग प्राप्त बेंगलूरु स्थित डीपीओ केएआरओ।

- राष्ट्रीय विकलांग मंच - डॉ. विक्टर कोर्डेरियो, जो वर्तमान में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं। यह संस्था बेंगलूरु स्थित है और सचिव, श्री सोनू गोलकर बेंगलूरु स्थित 'लियोनार्ड चेशायर डिसेबिलिटी' के साथ काम कर रहे हैं। हमने 'आरवीएम' की दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश शाखाओं के साथ काम करने का फैसला किया।
- लखनऊ की पुनर्वास संस्था 'स्पार्क' के प्रधान अमिताभ मेहरोत्रा हैं। यह संस्था उत्तर प्रदेश में डीपीओ को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रही है।
- पश्चिम बंगाल स्थित के 'संचार' समुदाय आधारित पुनर्वास फोरम (सीबीआर फोरम), बेंगलूरु के लिए भारत के १६ राज्यों में डीपीओ के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए क्षमता निर्माण संस्था है। इसका एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और वस्तुओं को बिक्री केन्द्र कलकत्ता में है। इस परियोजना के लिए हमने पश्चिम बंगाल में 'विकलांगता अधिकार समूह' के साथ काम किया है।
- डॉ. भास्कर, मेहता, नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड (एनएबी) के उपाध्यक्ष हैं। हमने गुजरात में एनएबी की साबरकांठा जिले की शाखा आपरेशनों के साथ काम किया है।
- सुश्री नीता पंचाल - सचिव, विकलांगता पैरवी समूह, गुजरात।

३. साहित्य समीक्षा और सारांश की तैयारी

संस्थागत विकास (ओडी) और परिस्थिति विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन से संबंधित साहित्य कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ओडी विशेषज्ञों से संपर्क करके इकट्ठा किया गया था। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हरेक डीपीओ से चयनित प्रतिभागियों के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने के लिए परिस्थिति विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन पर वर्तमान साधनों का १५६ पृष्ठों का सारांश तैयार किया गया था। ओडी में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के बारे में व्यक्तिगत और ई-मेल के माध्यम से कई विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इन विशेषज्ञों की सूची इस प्रकार है:

- प्रो. निहारिका वोरा, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद
- प्रो. टी. वी. राव, एडजंक्ट प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद।
- डॉ. राजेश टंडन, प्रिया, नई दिल्ली
- डॉ. कौस्त कांति बंद्योपाध्याय, प्रिया, नई दिल्ली
- डॉ. निवेदिता कोटियाल, ग्रामीण प्रबंध संस्थान - इरमा, आणंद
- डॉ. योगशकुमार, समर्थन - विकास केन्द्र, भोपाल
- फादर जिम्मी डाभी, व्यवहार विज्ञान केन्द्र - (एचडीआरसी), अहमदाबाद
- श्री स्टीफन, सर्च, बेंगलूरु ।

४. भागीदारों और ओडी विशेषज्ञों के साथ प्रारंभिक कार्यशाला

१४-१५ फरवरी, २०१३ के दौरान अहमदाबाद में और 'विकलांग व्यक्ति संगठन' द्वारा परिस्थिति विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन पर पहुंच-योग्य साधनों को विकसित करने पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला उद्देश्य परिस्थिति विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन के बारे में तय की गई संरचनाओं, उपकरण तकनीक की बारे में सामान्य समझ पैदा करना था। विकलांग लोग अपने डीपीओ की स्वतः परिस्थिति विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन करने इसके लिए उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उपाय करना का भी एक उद्देश्य था। उपस्थित ओडी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर तय किए गए साधनों को पेश किया गया और उनके उपयोग पर चर्चा आयोजित की गई। प्रतिक्रिया के आधार पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रतिभागियों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार की गई थी। प्रतिभागियों के सुझाव के आधार पर भागीदारों की सुविधा के लिए इस सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं (गुजराती और हिंदी) में अनुवाद भी किया गया है।

इस कार्यशाला में परिस्थिति विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए साधनों (टूल) का आदान-प्रदान किया गया। यह भी चर्चा की गई कि इन साधनों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्यशाला काम करने के तरीकों की चर्चा पर केन्द्रित थी। कार्यशाला एक मुद्दा यह था कि नए साधनों का विकास करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विकलांग व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए मौजूदा साधनों में सुधार लाना जरूरी है। यह प्रक्रिया

इस तरह से की जानी चाहिए कि जिससे विकलांगता के क्षेत्र में डीपीओ और बीपीओ द्वारा किए जा रहे एसए और ओडी उदाहरण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके और स्पष्ट रूप से उनका दस्तावेजीकरण हो सके तथा चरणों और सहाय सुझाव के साथ टूलकिट रूप में वे उपलब्ध हो सकें। उसे संगठन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और दुनिया में खुली प्राप्ति के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रारंभ से क्षेत्र कक्षाएं और उसके बाद जून २०१३ से प्रशिक्षण में उपयोग करते समय विकलांगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भागीदारों द्वारा किए गए उपायों और पद्धतियों को अंतिम टूल किट में शामिल किया गया था और दस्तावेजीकरण किया गया था।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि ओडी साहित्य में विकलांगता पर कोई उदाहरण नहीं हैं। इसलिए, यह पहल बुनियादी है और ऐसे उदाहरण स्थापित करने में यह सक्षम साबित होगी। दूसरा, इस पहल का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रकार के विकलांग लोगों की भागीदारी बढ़ाना और प्रभावी डीपीओ स्थापित करना है। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यह प्रक्रिया संस्था निर्माण से संबंधित है। इस शोध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संस्थागत विकास विशेषज्ञों का समूह भी गठित किया गया था। इस समूह में प्रो. टी.वी. राव (एडजंक्ट प्रोफेसर), आईआईएम - अहमदाबाद, प्रो. निहारिका वोरा प्रोफेसर, आईआईएम - अहमदाबाद, डॉ. राजेश टंडन और डॉ. कौस्तव बंद्योपाध्याय - प्रिया, नई दिल्ली, डॉ. योगेशकुमार - समर्थन विकास सहायता केन्द्र, भोपाल, डॉ. हरीश वशिष्ठ - वरिष्ठ ओडी परामर्शदाता और श्री बिनोय आचार्य, निदेशक, उन्नति शामिल थे।

५. भागीदारों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

संबंधित संगठनों द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिभागियों के लिए बेंगलूरु में ०१-०४ अप्रैल के दौरान विकलांग लोगों के संगठन (डीपीओ) द्वारा परिस्थिति विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन के बारे में यथा संभव साधनों का विकास करने के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कयिा गया था। वरिष्ठ ओडी परामर्शदाता की सलाह पर प्रशिक्षण की विस्तृत रूपरेखा का प्रचार किया गया था। ये ओडी परामर्शदाता इस पहल के लिए सलाहकार हैं, जिनमें से कुछ वर्तमान सलाहकार प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में उपलब्ध थे और उन्होंने कुछ सत्र भी लिए थे। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार थेः

१. परिस्थिति विश्लेषण और क्षमता मूल्यांकन के बारे में विविध भागीदारी साधनों की समझ विकसित करना।
२. परिवर्तनशील संदर्भ में डीपीओ के लिए उसकी उपयोगिता की समझ प्रदान करना।
३. सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को इन साधनों को उपलब्ध कराने के लिए सूचित करना।

प्रत्येक संगठन/डीपीओ ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दो प्रतिभागियों को नामित किया था। इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) इस प्रकार हैंः श्री वेंकटेश बालाकृष्णा - संस्थापक निदेशक, एडीडी इंडिया, डॉ. विक्टर जॉन कोर्डेरियो, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, प्रो. निहारिका वोरा - आईआईएम - अहमदाबाद, डॉ. योगेश कुमार और श्री वेकटेश प्रसाद - समर्थन, डॉ. हरीश वशिष्ठ, वरिष्ठ ओडी परामर्शदाता, श्री बिनोय आचार्य, निदेशक, उन्नति, और परियोजना टीम - सुश्री दीपा सोनपाल, सुश्री सन्दीपा नेल्सन और सुश्री गीता शर्मा (उन्नति)।

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान साधनों के सरलीकरण के साथ-साथ प्रतिभागियों को साथ फरवरी, २०१३ में आयोजित कार्यशाला में तय किए गए एसए के बारे में विभिन्न प्रयोग करने योग्य साधनों पर जानकारी देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस पर जोर दिया गया था कि क्षेत्र कक्षाओं में उनका उपयोग किस तरह किया जा सकता है।

भाग लेने वाले संगठनों से यह अपेक्षित था कि वापस लौटने पर अपने संगठनों की समिति के सदस्यों के साथ तीन कार्यशालाओं-क्षेत्र कक्षाओं का संचालन करेंगे और प्रक्रिया का गहन दस्तावेजीकरण करेंगेः

१. दृष्टिकोण का निर्धारण और परिस्थिति का विश्लेषण
२. प्रभावी संस्थाओं और डीपीओ का निर्माण करना

३. उनसे संबंधित डीपीओ की स्व-क्षमता का मूल्यांकन (सीए)
उपरोक्त गतिविधियां छह महीने में हरेक डीपीओ द्वारा ओडी के सहयोग से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रतिभागियों द्वारा आयोजित की गई थी।

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में अन्य विशेषज्ञ व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) और ओडी विशेषज्ञों के साथ डीपीओ/एनजीओ में से १७ प्रतिभागी (दृष्टि दोष वाले ६ व्यक्ति, कम दृष्टि वाले १ व्यक्ति, मस्तिष्क का पक्षाघात वाले १ व्यक्ति, लोकोमोटर विकलांगता वाले ५ व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति ४ थे।

प्रतिभागियों को सुविधाजनक रूपों (ब्रेल लिपि, स्पर्श से पहचानी जाने वाली आकृति, लिखी हुई फाइलों को सिन्थेटिक स्पीच सॉफ्टवेयर परिवर्तित किया जा सकता हो, आदि) में सामग्री प्रदान की गई थी। अधिकांश सामग्री हिंदी और गुजराती में प्रदान की गयी थी। विविध प्रकार के विकलांगों ने प्रक्रिया में किस तरह शिक्षण प्राप्त किया और ओडी सहायकों ने भाग लिया उसका निरीक्षण करने का प्रयत्न किया।

६. क्षेत्र स्तर पर तीन चरणों की प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद, क्षेत्र स्तर पर निम्नलिखित तीन प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित करने के लिए और सहायता प्रदान करने के लिए ही हरेक बीपीओ/डीपीओ को मार्गदर्शन प्रदान किया गया था।

सभी ८ सहयोगियो ने निम्नलिखित मुद्दों पर तीन प्रशिक्षण आयोजित किए थेः

१. परिप्रेक्ष्य बनाने और परिस्थिति का विश्लेषण

इस कार्यशाला/प्रशिक्षण के पहले भाग में और विकलांगता के बारे में दृष्टिकोण और मॉडलों (जैसे दान, चिकित्सा, सामाजिक और अधिकार आधारित मॉडल या दृष्टिकोण) को कवर किया गया था और दृष्टिकोण के बीच फर्क पर जोर दिया गया था। इस प्रत्येक दृष्टिकोण के तहत विकलांगों को लोगों देखने के लिए दृष्टि और क्षेत्र स्तरीय हस्तक्षेप करते समय इन दृष्टिकोणों के संयोजन का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई। प्रत्येक प्रतिभागी को दृष्टिकोण पर चार केस अध्ययन तैयार करने में मदद प्रदान की गयी थी और कुछ साथियों ने प्रहसन भी तैयार किया था। कुछ नमूने की पटकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और टूलकिट में भी उसे शामिल किया गया है।

दूसरे भाग में, परिस्थिति विश्लेषण में इस पर जोर दिया गया था कि समाज का दृष्टिकोण कैसा है और विकास की प्रक्रिया में वह विकलांग लोगों की भागीदारी से क्यों इनकार करता है। वृक्ष रूपक (समस्या वृक्ष विश्लेषण) का उपयोग करके विकलांग लोगों के बहिष्कार के सामाजिक कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करके प्रशिक्षण के इस दूसरे भाग का आयोजन किया गया था। संबंधित समूहों के साथ सलाह-मशविरे के आधार पर भारत में विकलांग लोगों के अनुभवों से केस अध्ययन तैयार किए गए थे। इन केस अध्ययन में समस्या में हो रही वृद्धि पर जोर दिया गया था। ये समस्याएं इस प्रकार हैं:

गरीबी; जाति और विकलांगता के आधार पर भेदभाव; विकलांग लोगों में अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता का अभाव; समाज में विकलांगता के बारे में जागरूकता का अभाव; स्वास्थ्य, शिक्षा, योजनाओं, न्याय, सूचना की प्राप्ति जैसी बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच; मुश्किल से मिलती यह जानकारी। इस तरह पांच केस अध्ययन तैयार किए गए थे। प्रत्येक केस अध्ययन में लंबी अवधि के प्रभाव को विकसित करने के लिए और समावेशिकता को गति प्रदान करने के लिए, भेदभाव के मूल कारणों को खत्म करने के लिए जोर दिया गया था। इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आए उदाहरणों को केस अध्ययन के साथ टूलकिट में शामिल किया गया है।

कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करने के बाद प्रतिभागियों ने एक कारण का चयन करके उसके कारण या नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक स्थिति में परिवर्तित करने में सक्षम हुए थे। एक उद्देश्य को उदाहरण स्वरूप लेकर, हितधारकों की सूची तैयार करने के लिए

हितधारक विश्लेषण किया गया था, और कुछ उदाहरणों में, समय के अनुसार, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निश्चित हितधारक के पास मौजूद प्रभाव और नियंत्रण के स्तर को तीन चरणों (तीव्र, मध्यम और अल्प) विश्लेषण किया गया था। जिन अलग-अलग स्तरों पर मध्यस्थता जरूरी है उसकी समझ प्राप्त करने के लिए प्रतिभागियों को सक्षम बनाने के लिए गांव से लेकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लगभग ५०-६० हितधारकों की सूची तैयार की गई थी। निर्धारित ५०-६० हितधारकों की सूची में से कुछ हितधारकों चयन भागीदारी की रणनीति बनाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को यह समझाना था कि हस्तक्षेप को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त योजना के साथ यह विस्तृत विश्लेषण जरूरी होता है।

२. प्रभावी संस्थाओं/डीपीओ की स्थापना करना

इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को संगठन के विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी दी गई थीः ध्येय, संरचना, व्यूहरचना, मानव संसाधन, कार्यक्रमों/गतिविधियों, संस्कृति और नेतृत्व। इससे यह सीखा जा सकता है कि सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक संदर्भ के आधार पर संगठन के ध्येय और विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं और क्योंकि वे संगठन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। विशेष रूप से इस समूह के लिए बनाये गये केस अध्ययन के आधार पर विचारधार और ध्येय में फर्क समझ में आया था। कुछ संस्थाओं ने तो पटकथा और प्रहसन तैयार करके उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। उसे टूलकिट में शामिल किया गया था।

इसके बाद पहले प्रशिक्षण में निर्धारित सामाजिक बहिष्कार के कारणों को ध्यान में रखते हुए समूहों को अपने डीपीओ के स्वयं के अस्थायी ध्येय/विचारधारा तय करने में मदद की थी। कार्यशाला के बाद अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ प्रक्रिया का आदान-प्रदान करने के बारे में पता चला था। इसके आधार पर कई उदाहरणों की पहचान की गई और टूलकिट में शामिल किया गया था।

३. स्व-क्षमता मूल्यांकन

तीसरे कार्यशाला/प्रशिक्षण में डीपीओ ने मौजूदा वास्तविकता/परिस्थितियों/चुनौतियों को संदर्भ में अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाने पर जोर दिया गया था। विकलांग लोगों के सामाजिक बहिष्कार और परिस्थिति विश्लेषण पर पहली कार्यशाला को विश्लेषण के एक आधार के रूप में देखा गया। डीपीओ के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाली दूसरी कार्यशाला या प्रशिक्षण में दर्शाई विचारधारा और ध्येय का संदर्भ दिया गया था। डीपीओ की संस्थागत क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए, अग्रणी ओडी विशेषज्ञ माट्टवन विस्बोर्ड के सिक्स बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। निम्नलिखित पहलुओं के तहत डीपीओ में सुधार करने के लिए जो किया जाना चाहिए उसका मूल्यांकन करने के लिए इस मॉडल का प्रयोग किया गया थाः

१. प्रयोजन, २. संरचना, ३. संबंध, ४. उपयोगी व्यवस्था, ५. मुआवजा और ६. नेता। आवश्यक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रचलित संरचना के अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों का कार्य विश्लेषण किया गया था और इस तरह से तैयार प्रोफाइल का उपयोग करने के लिए और उसके बाद मौजूदा पदाधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन करना और उसके अनुसार भुगतान करना और नये पदाधिकारियों का चुनाव करने के बारे में समूहों को बताया गया था। यह बताया गया था कि इस तरह का विश्लेषण डीपीओ की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।

कार्यशालाओं से पहले, प्रत्येक डीपीओ ने प्रत्येक कार्यशाला में मदद करने के लिए सत्र आयोजन के साथ विस्तृत प्रशिक्षण रूपरेखा का विकास करने के लिए ओडी सहायक के साथ मिलकर काम किया था। इस प्रक्रिया में भाग लेने वालों को अनुकूल संरचना में शिक्षण सामग्री और संबंधित केस अध्यय तैयार करना भी शामिल था। कार्यशाला या प्रशिक्षण आयोजित करते समय विकलांग लोगों की भागीदारी पर बल दिया गया। इस प्रक्रिया का सघन रूप से दस्तावेजीकरण किया गया था और जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान की गई थी। टूलकिट में पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रशिक्षकों के नोट में भी इस बात को शामिल किया गया था। इसके अलावा, इस प्रक्रिया के दौरान सामने आए कई उदाहरणों को भावी संदर्भ के रूप में शामिल किया गया था।

तीनों कार्यशालाएं/प्रशिक्षण बौद्धिक रूप से जागृत करने वाले थे, और कई प्रतिभागियों ने कभी भी अपने जीवन के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण नही अपनाने से उनके लिए यह शिविर थका देने वाला था। प्रत्येक समूह के लिए नियुक्त ओडी सहायकों ने डीपीओ द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षणों में भाग लिया और दस्तावीकरण की प्रक्रिया में मदद की थी।

सभी ८ भागीदारों में से प्रत्येक ने ३ प्रशिक्षणों में भाग लिया था। इस प्रशिक्षण में कुल १६० प्रतिभागी थे, जिनमें से १०४ पुरुष और ५६ महिलाएं थी (२४ व्यक्ति दृष्टि दोष, ६ व्यक्ति आंशिक दृष्टि वाले, १४ व्यक्ति श्रवण दोष, ६ व्यक्ति, मस्तिष्क पक्षाघात था, ८४ व्यक्ति लोकोमोटर विकलांगता, १४ व्यक्ति अन्य विकलांगता, और १२ व्यक्ति सामान्य थे)। इसमें सहायक और ओडी परामर्शदाता शामिल नहीं हैं।

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रतिभागियों/प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल पर गहन प्रतिक्रिया दी गयी थी। इसके अलावा, स्थानीय संबंधित सामग्री/केस अध्ययन, प्रहसन आदि स्थानीय भाषा में तैयार करने के लिए मदद की गई थी। अभ्यास करते समय प्रतिभागियों को कदमों को सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मुश्किल हो तो कुछ डीपीओ द्वारा विकसित मॉड्यूल को वितरित किया गया था।

७. व्यवस्था की देखरेख

परियोजना हुई प्रगति पर देखरेख रखने के लिए सलाहकार समिति के स्वरूप में संगठन के मुखिया, परियोजना टीम और ओडी विशेषज्ञों से बनी कार्यक्रम संचालन समिति (पीएमसी) बनाई गई थी। पीएमसी की दो बैठकें आयोजित की गई थी और ५ रुपये की सहायता प्रदान किए जाने के स्वरूप अगले चरण में कार्य के आयोजन के फैसले इन बैठकों में लिए गए थे। प्रारंभिक कार्यशाला के साथ पीएमसी आयोजित की गई थी और दूसरी पीएमसी बैठक प्रतिभागियों के लिए आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ आयोजित की गई थी।

पीएमसी की तीसरी बैठक अनौपचारिक रूप से मेल द्वारा और आमने-सामने आयोजित की गई थी। परियोजना की अवधि के अंत मार्च २०१४ में सीखे गए सबक के बारे में कार्यशाला के साथ चौथी पीएमसी बैठक आयोजित की गई थी।

८. सीखे गए सबक के बारे में कार्यशाला

सीखे गए सबक के बारे में कार्यशाला ११-१२ मार्च, २०१४ आयोजित की गई थी। इसमें समूहों ने उनके सामने आई चुनौतियों, सीखे गए सबक के बारे में और संबंधित क्षेत्रों डीपीओ द्वारा आगे बढ़ने के बारे में की गई बातों का आदान-प्रदान किया था।

टूलकिट, समावेशी और विशिष्ट था क्योंकि इसमें प्रशिक्षकों मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नोट के साथ गतिविधियों के संचालन के लिए सभी चरणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था। विकलांग लोग इन साधनों का उपयोग कैसे करें उस सामग्री को भी इसमें कवर किया गया है। तकनीकों को एक समान करने और दुनिया भर से अनुभवों को जोड़ने के लिए इन साधनों का उपयोग करना आवश्यक है। विकलांगता के क्षेत्र में कई मिसाल और मामले खोजे गए हैं, संस्थागत विकास के बारे में साहित्य के क्षेत्र के मूल्य में वृद्धि करेगा।

सामने आई चुनौतियां मुख्य रूप से विकलांगों की स्वैच्छिक शामिलगिरी के स्वरूप से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति समावेशकता के लिए सामाजिक बाधाओं का सामना करते हैं, और साथ ही उनकी शारीरिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले अवरोधों का सामना करते हैं। विकलांगों में शिक्षा और रोजगार का स्तर बहुत कम होने के कारण डीपीडो को दबाव समूह के रूप में आगे लाने के लिए उनका अस्तित्व बनाए रखने और उनके विकास सतत रणनीति बनाना आवश्यक है। इसके अलावा, समाज में उनके बहिष्कार को दूर करने वाली गतिविधियों को करने और विकलांगों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने की जरूरत है।

वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए अंग्रेजी में सानुकूल प्रारूप और ऑडियो रूप में टूलकिट उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद, प्रतिभागियों को जरूरत पड़ने पर स्थानीय भाषा में टूलकिट के भागों का अनुवाद किया जा सकेगा।

समुदाय-आधारित पुनर्वास और समावेश

इस लेख में इस पर चर्चा की गई है कि विकलांगों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास की जरूरत क्यों है और उनको शामिल करने के लिए क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। समस्या क्या है और उसके उपाय क्या होने चाहिए और विकलांग अपने आप निर्णय प्रक्रिया में कैसे शामिल हो सकते हैं उसकी भी चर्चा इस लेख में संचार ए.आर.ओ.डी. के स्थापक **श्री गौतम चौधरी** द्वारा विस्तृत रूप से की गई है।

प्रस्तावना

आम तौर पर विकलांगों को नकारात्मक शब्दों से संबोधित किया जाता है। जैसे, यह तो उससे नहीं हो सकता है, वह हमारे पर बोझ है, इसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है, हम तो इसके पाप का फल भोग रहे हैं आदि। विकलांग व्यक्तियों के बारे में ये अवधारणाएं हमारे मूल्यों पर आधारित हैं। हम इन विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों के साथ पैदा नहीं होते। यह हममें विकसित हुए होते हैं। कैसे? परिवार या सहयोगियों में सुनकर और विकलांग लोगों को देखकर। जो अधिक विकलांग होते हैं वे दिखाई देते हैं। हमने यह भी देखा है कि ज्यादातर मामलों में जो कुछ हो सकता हो तो वह सिर्फ विशेष स्थानों, विशेष व्यवस्था वाले स्थानों में ही हो सकता है। इन स्थानों को अलग तरीके से ही बनाया गया होता है और ये कल्याण की अवधारणा पर आधारित हैं। यह धारणा भी विकलांग लोगों को प्रभावित करती है। इसके परिणामस्वरूप उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है और निर्भरता बढ़ जाती है।

विकलांग लोगों के साथ हमारे काम का लक्ष्य मौजूदा अवधारणाओं में बदलाव लाना है ताकि विकलांग लोगों को और अधिक रचनात्मक रूप में देखा जाए। वे खुद को भी इसी तरह देखें। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक से अधिक विकलांग लोगों को देखते हैं। जैसे, मेरे स्कूल में, मेरे साथ खेलकूद में, मेरे कार्यस्थल पर, मेरे साथ चाय की लारी पर, मेरे शिक्षक, कार्यस्थल पर मेरे पर्यवेक्षक, किसी के भाई, बहन, चाचा, चाची, माता-पिता, पत्नी, पति, आदि। समय के साथ इससे सामान्य अवधारणाओं में बदलाव आता है और इससे रोजमर्रा की जिंदगी में विकलांगों के लिए पहुंच और अवसरों में बढ़ोतरी होती है। वे अधिक स्वतंत्र और सक्षम हो जाते हैं। अवसरों और अनुभवों के आधार पर उनका आत्म गौरव भी बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित नीतियों पर भी उनका प्रभाव बढ़ता है।

क्या करने की ज़रूरत है?

कौनसे काम करने की जरूरत है और क्या करने की जरूरत है? व्यक्तिगत स्तर, परिवारिक स्तर और सामुदायिक स्तर पर औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाओं और संस्थानों द्वारा कार्य करने की जरूरत है। समावेश और सक्रिय भागीदारी के परिणाम स्वरूप वे दैनिक जीवन की भूमिकाओं को दूसरों की तरह निभा सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और नागरिक जीवन में उनका सक्रिय रूप से भाग लेना वांछनीय है। इसके कारण समय के साथ नए विचार पैदा होते हैं और अधिक अवसर पैदा होते हैं। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अपना लक्ष्य विकलांगों और अन्य लोगों के बीच मौजूदा संबंधों को बदलना है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विकलांग व्यक्ति की पहचान उसके अपने शारीरिक दोष से संबंधित नहीं है। वर्ग, जाति, नस्ल, धर्म, लैंगिकता आदि जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान भी सत्ता के संबंधों को प्रभावित करती है। इसके अलावा, यहां तक कि विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले लोगों के साथ भी ये संबंध अलग-अलग प्रकार के होते हैं।

यह किसकी समस्या है?

वास्तव में यह किसकी समस्या है? यह स्पष्ट है कि यह समस्या विकलांग लोगों और उनके परिवारों की है। परिवर्तन की प्रक्रिया का नेतृत्व कौन करेगा? लोगों के संगठन या समूह परिवर्तन की प्रक्रिया में को आगे बढ़ाते हैं। वे समान पहुंच और समान अवसर के लिए

परिवर्तन लाते हैं ताकि समावेश संभव हो सके और पारिवारिक और सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं में विकलांग सहभागी बनें। विकलांग व्यक्ति अलग-अलग रहते हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में व्यक्तियों के रूप में शामिल करने की जरूरत है। चुनौती इस तरह की सामाजिक व्यवस्था बनाने की है जिसमें विविधता को स्वीकार किया गया हो, और उन्हें आदर दिया जाता हो और किसी के प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं होता हो।

हमारे देश में संविधान और कानून समावेश को बढ़ाने वाले हैं। उदाहरण के लिए विकलांगता अधिनियम -१९९५ के अनुसार गरीबी निवारण की योजनाओं में प्रतिशत से कम नहीं बल्कि उतना खर्च विकलांग लोगों के लिए किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, अन्न, कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों, आवास निर्माण आदि सभी विभागों की योजनाओं में मापदंड का पालन किया जाना चाहिए। इस कानून के अनुसार सभी लोगों के लिए अवरोधमुक्त पर्यावरण पैदा करना चाहिए और सबको सभी सुविधाएं सुरक्षा के साथ प्राप्त होनी चाहिए। 'संयुक्त राष्ट्र' का यूएनसीआरपीडी नामक संकल्प को २००७ में भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और वह भी इस बात को मजबूत समर्थन देती है।

उदाहरण के लिए नरेगा जैसे जीवन निर्वाह वाले कार्यक्रमों में विकलांग लोगों को शामिल किया गया है। उसके अंतिम दिशा निर्देश में यह बताया गया है कि अलग- अलग विकलांग व्यक्ति क्या-क्या काम कर सकते हैं। नरेगा में एक व्यक्ति को कितना काम करना चाहिए उसका स्तर निश्चित नहीं है। कई विकलांग व्यक्ति उतना काम नहीं कर सकते जितना सामान्य व्यक्ति उतने समय में कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता। लेकिन काम के उस हिस्से का ही भुगतान किया जाता है। इसी योजना में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग मानक हैं। इसमें शायद यह धारणा काम करती है कि हम विविधता का सम्मान करते हैं। लेकिन विकलांग लोगों के लिए एक साधारण तथ्य की अनदेखी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में व्यक्तियों को व्यक्तिगत जॉब कार्ड दिया जाता है, उन्हें १५० दिनों का काम दिया जाता है। वे एक समूह में काम कर सकते हैं और वे अपने मानकों के अनुसार ७० प्रतिशत भी काम करते हैं तो भी उन्हें पूरा वेतन मिलता है।

इसके अलावा, ड्रिलिंग उपकरणों का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि विकलांग लोग यह काम खड़े-खड़े ही कर सकते हैं। विकलांग लोगों के लिए क्या हमारे देश में इस तरह के साधन नहीं बनाए जा सकते कि विकलांग लोग बैठे-बैठे काम कर सकें? नरेगा के तहत जिन बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है क्या वे अवरोध मुक्त हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और एसजीएसवाई में जो ३ प्रतिशत आरक्षण है क्या उसे वास्तव में भरा जाता है? इसमें उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जवाबदेही के लिए क्या कोई प्रणाली कार्य कर रही है? क्या राष्ट्रीय मिशन में विकलांग व्यक्तियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में विकलांग बच्चों का स्कूल में पंजीकरण होता है। अध्ययन दर्शाते हैं कि इन बच्चों में बीच में ही स्कूल छोड़ने की मात्रा अधिक होती इसीलिए समावेशी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। पंजीकरण पहला कदम है। कइयों को ऐसा लगता है कि यही शुरूआत है और यही अंत है। शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाने के लिए कई व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है। इसमें सभी प्रकार के छात्रों को शामिल करना चाहिए। मुख्यधारा के शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है क्या उसमें विविधता है? क्या अध्ययन और अध्यापन की पद्धतियां और स्कूल के पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो छात्रों की विविध जरूरतों को पूरा कर सकें? सबके लिए जो शिक्षक है उसे संसाधन शिक्षक को सहयोग देना जाना चाहिए, साथियों को भी सहयोग देना चाहिए, उसका सहयोग विकलांग छात्रों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसका इरादा संसाधन शिक्षक का पुनर्वास करना नहीं है, बल्कि विकलांग छात्रों सहित सभी छात्रों का पुनर्वास करना है। क्या विकलांग व्यक्ति सामाजीकरण की प्रक्रिया के बिना भी अन्य लोगों की तरह हैं सीख सकते हैं? क्या स्कूलें पहुंचक्षम हैं? क्या ऐसी व्यवस्था है कि विकलांग छात्र अपने आप और सुरक्षित रूप से पानी पी सकें और शौचालय का उपयोग कर सकें?

शेष पृष्ठ 56 पर

समावेशकता की वास्तविकता

'समावेशकता की वास्तविकता' के इस लेख में वर्ल्ड ब्लाईन्ड युनियन के एडवोकसी कन्सलटन्ट **श्री विक्टर ज्हॉन कोर्डेरा** द्वारा बहिष्कार व भेदभाव की समज विस्तृत रूप से की गई हैं।

जब तक समाज के वंचित, आवाजविहीन, गरीब और पिछड़े वर्ग भेदभाव और बहिष्कार की राजनीति का शिकार बनते रहेंगे तब तक न्यायोचित और उचित सामाजिक व्यवस्था या दुनिया में समतावादी समाज के निर्माण के सपनों को साकार होने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह का भेदभाव/बहिष्कार गरीबी की जटिल प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। भेदभाव के कारण बहिष्कार का जन्म होता है। हालांकि, समूहों और समुदायों को बहिष्कृत करने की वजह संकुचितता और उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों में है।

बहिष्कार/भेदभाव की समझ

बहिष्कार/भेदभाव की उत्पत्ति

भेदभाव की उत्पत्ति के निम्न कारण हो सकते हैं:

१. समाज के वर्चस्व वाले समूहों को ऐतिहासिक कारणों से मिले लाभों (जिनकी संक्षेप में चर्चा यहाँ करना संभव नहीं है) के कारण समाज में प्रभावी स्थिति प्राप्त की थी। नतीजतन, उन्होंने अपने मूल्यों और संस्कृति को अपने कब्जे वाले समूहों पर लादा था। अन्य बातों के अलावा - निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ ही संसाधनों के स्वामित्व और उपलब्धता पर अपना नियंत्रण रखा था।

२. वर्चस्व वाले समूहों में अधीनस्थ समूहों की तुलना में खुद को बेहतर मानने की भावना के परिणामस्वरूप समाज में विभाजन होता है, जिसके कारण अधीनस्थ समूह वंचितता की स्थिति में आ जाते हैं।

३. अधीनस्थ समूहों के बारे में संदेह रखना, पूर्वाग्रह रखना, पूर्वधारणा रखना और अधीनस्थ समूह उनके आश्रय में हैं तथा मेहरबानी में हैं जैसी भावना का वर्चस्व वाले समूहों में मौजूद रहना।

बहिष्कार/भेदभाव का आधार

समूहों और व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव के निम्नलिखित कारकों को माना जा सकता है:

१. जाति और वर्ग: भारतीय संदर्भ में अत्यंत निम्न जातियों यानी तथाकथित अछूत जातियों (अनुसूचित जाति या दलित) के खिलाफ भेदभाव सबसे तीव्र रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अधिकांश दक्षिण एशिया में वे दास थे। इस ऐतिहासिक संदर्भ के विपरीत, यह भी सच है कि इस स्थिति में बहुत बदलाव आया है। खास तौर पर भेदभाव को चुनौती देने वाली अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि होने से जाति के आधार पर भेदभाव की मात्रा कम हुई है। यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के साथ समग्र सामाजिक स्थिति के लिए आर्थिक वर्ग का महत्व में बढ़ गया है और जाति की पहचान धीरे - धीरे सार्थकता खो रही है। स्पष्ट कहें तो जातियों में ही परिवर्तन आया है। शहरी क्षेत्रों में जाति के बारे में जो राय है वह दो दशकों की तुलना में बहुत अधिक अलग हो गई है। धार्मिक शुद्धि के क्रम की दृष्टि से, जाति का महत्व काफी घट गया है, और नई राजनीतिक लॉबी और नए राजनीतिक दलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है।

२. लिंग (पुरुष या महिला) आधारित पारंपरिक भूमिका: लिंग भेदभाव के तहत दक्षिण एशिया में महिलाओं को जीवन के अधिकार (एक बहुत ही क्रूर मामले जिसमें, लड़की की हत्या या कन्या भ्रूण की हत्या की जाती है) से लेकर भोजन, शिक्षा और समान गतिशीलता के बराबर पहुँच आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर बहिष्कार किया जाता है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को तुलनात्मक शिक्षा से वंचित करने से उन्हें रोजगार के समान अवसर नहीं मिलते। इसका कारण शायद प्रमुख ऊंची जातियों में मौजूद बुनियादी हिंदू विचार में है - जैसे बुजुर्ग माता-पिता का ध्यान पुत्रों को ही रखना चाहिए न कि पुत्रियों को, ऐसा प्रमुख सामाजिक आदर्श। वृद्धावस्था में बेटों पर निर्भर होने के कारण, आबादी के कुछ वर्गों में बेटियों के बजाय बेटों पर निवेश करने की प्रमुख प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यानी, इन

समूहों में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महिलाओं का मूल्य पुरुषों की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उपलब्ध अवसरों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

३. जाति (वंश): दुनिया के कई देशों में जाति बहिष्कार का आधार है। बहिष्कार का यह रूप अमेरिका और में दुनिया भर के अन्य देशों सामान्य था।

४. नृवंशता: नृवंश अल्पसंख्यकों के बहिष्कार में नृवंशता का योगदान उल्लेखनीय है। केवल नृवंश अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि अन्य काफी लोगों को उनकी नृवंशता के आधार पर बहिष्कार किया जाता है।

५. राजनीतिक संबद्धता/अभिप्राय: दुनिया में कई राजनीतिक व्यवस्थाएं केवल व्यक्तियों के राजनीतिक जुड़ाव के कारण कुछ लोगों का बहिष्कार करती पाई जाती हैं।

६. शारीरिक, मानसिक या इंद्रिय विकलांगता: विकलांग व्यक्तियों को उनकी विकलांगता के आधार पर बहिष्कृत किया जाता है और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

बहिष्कार/भेदभाव से पीड़ित समूह

सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ ही शारीरिक, मानसिक या इंद्रियों से संबंधित विकलांगता के आधार पर बहिष्कार/भेदभाव का सामना करने वाले समूह या व्यक्तियों के उदाहरण (समावेशक नहीं) इस प्रकार हैं:

- अस्तित्व और पहचान बनाए रखने की कोशिश करते मूल निवासी (आदिवासी)
- विस्थापित मूल निवासी और दलित
- विस्थापित और लोग
- लांछन वाले व्यवसायों के साथ जुड़े तनाव व्यक्ति
- महिलाएं
- एचआईवी और एड्स तथा अन्य लांछन वाली बीमारियों से पीड़ित रोगी
- विकलांग व्यक्ति
- मुश्किल स्थितियों में रहने वाले बच्चे
- अल्पसंख्यक समूह
- काले रंग वाले लोग

बहिष्कार/भेदभाव के सूचक

भेदभाव और बहिष्कार के स्पष्ट सूचकों की व्यापक सूची इस प्रकार है: (१) कमजोर स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और सामाजिक अवसर (२) असुरक्षा और उनकी स्थिति में सुधार की कम संभावना (३) मुख्य धारा के औपचारिक संस्थानों और व्यवस्थाओं के साथ कमजोर संबंध और व्यवस्थाओं पर नगण्य प्रभाव (४) प्रमुख वर्चस्व वाले समूहों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य के पक्ष में जरूरी इच्छा शक्ति का अभाव और हितों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए राज्य की अक्षमता (५) पीड़ित समूहों को सतत अन्याय का सामना करना पड़ता है।

बहिष्कार/भेदभाव के प्रभाव

विकास एजेंसियों का कार्य मुख्य रूप से बेहद गरीब हैं और पिछड़े लोगों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, इसलिए, बहिष्कार और भेदभाव से पीड़ित समाज के इन वर्गों की तरफ अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। यह जरूरी है कि इन वर्गों के साथ संबंध मजबूत परिपूर्ण और विस्तृत बने, जिससे संरचनात्मक सुधार के प्रति उनके संघर्ष में सक्रिय भागीदारी और सहभागित की ओर आगे बढ़ा जा सके। प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक परिणामों के पीछे के कारणों को भी समझना आवश्यक है। इसके अलावा, उन पर लगाए गए प्रतिबंध, और उनकी भूमिका निभाने के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, बहिष्कृत समूहों के सदस्य, समाज जिस तरह से उन्हें देखता है उसे किस रूप में स्वीकार किया है या उनके खिलाफ किस तरह विद्रोह किया है उसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

बहिष्कार/भेदभाव और विकलांगता

तथाकथित विकास संस्थानों द्वारा विकलांगता के बारे में सवालों कम चर्चा की जाती है और कम ध्यान दिया जाता है। भेदभाव, अपमान, वंचितता, इनकार, अमानवीयकरण आदि जैसी परिस्थितियों में विकलांग व्यक्तियों को विविध वृत्तिजन्य, परिस्थितिजन्य और संस्थागत बाधाओं को कदम-कदम पर सहन करना पड़ता है। विकलांग व्यक्तियों में, विकलांग महिलाओं और बच्चों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और मुश्किल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों सबसे

अधिक मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। यह वास्तव में शर्म की बात है कि भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देशों में, सरकार को नीतियां तैयार करने में और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में मदद करने वाले विकलांगता के बारे में बुनियादी आंकड़े और जानकारी उपलब्ध नहीं है। नतीजतन, सरकार और नागरिक समाज के संगठन, मानव जाति के विकास और कल्याण के लिए योगदान देने की जबरदस्त संभावनाओं वाले एक महत्वपूर्ण आबादी के वर्ग के लिए सामान्य दृष्टिकोण अपनाकर संतोष महसूस करते हैं। विलुप्ति के कगार पर खड़ी प्रजाति की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन मानव जाति के समुदाय का एक महत्वपूर्ण जनसंख्या के बारे में बुनियादी सांख्यिकीय सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है यह वास्तव में दुख की बात है। भारत समेत कुछ दक्षिण एशियाई देशों में, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा वाले कानूनों के अस्तित्व के बावजूद, अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि ये कानून न्याय प्राप्त करने की कुंजी है और वास्तविक से अधिक प्रतीकात्मक हैं।

समावेशकता बनाम बहिष्कार

समावेशकता

बहिष्कृत होने का अनुभव कैसा होता है? किसी को बहिष्कृत होने की भावनाओं की कल्पना करने के लिए कहा जाए, तो आपको कौनसे शब्द याद आते हैं? कुछ लोगों की तत्काल प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त की जाती हैः डर महसूस होना, अकेला, अकेलापन महसूस होना, डर घुस जाए, दुखी हो जाए, पागल, निराश, हताश, आदि। जब व्यक्ति का स्वागत होता हो, समावेश होता हो, तब कैसा महसूस किया जाता है? यह पूछते ही जवाब मिलता हैः 'बहुत अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है, काफी रोमांचित हो जाते हैं, मेरे महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है, स्वस्थ आदि'। ये प्रतिक्रियाएं सार्वभौमिक हैं। किसी भी उम्र के बच्चों में, सभी देशों में, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों में इन सवालों का जवाब एक ही रहता है। जब लोगों को शामिल किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है तब उन्हें अच्छा लगता है। समावेशकता शिक्षा प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त है, जबकि बहिष्कार, अकेलापन और संघर्ष की पीड़ा एक शर्त है। स्वामित्वभाव प्रासंगिक नहीं है बल्कि अस्तित्व के लिए प्राथमिकता है। इस प्रकार, बहिष्कार व्यक्ति को मार डालता है - शारीरिक और/या मानसिक रूप से। बहिष्कार की पीड़ा को मारना सीखकर प्राप्त किया कौशल है। वयस्क व्यक्ति कई बार शराब, ड्रग्स और जुनून का सहारा लेकर दर्द भूलने का विकल्प पसंद करते हैं।

समावेशकता घर की नींव हैं। यह मानव के पूर्ण और स्वस्थ विकास और वृद्धि की गारंटी नहीं बल्कि एक पूर्वशर्त है। रैंडम हाउस कॉलेज शब्दकोश में, 'समावेशकता' एक विशेषण के रूप में दर्शा कर उसका अर्थ दिया गया है - 'शामिल करना, अनुकूलन करना, स्वीकार करना'। रोगेट के पर्याय शब्दकोश (चौथे संस्करण) में समावेशक' का अर्थ है साथ में।

बहिष्कार के बारे में कुछ मान्यताएं इस प्रकार हैः

- प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और मूल्य एक समान नहीं होते।
- समान अवसर देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
- सबसे अच्छा हो उसका चयन करना चाहिए और प्रशिक्षण प्रदान दिया जाना चाहिए, जो बाकी लोगों की देखभाल कर सके।

समावेश विरोधी है और यह विरोधी पर काम करता हैः

- मूल्य के संदर्भ में हर व्यक्ति विशेष है, हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति में एक अद्वितीय क्षमता है।
- सभी लोग सीखने में सक्षम हैं और योगदान कर सकते हैं।
- हर किसी को कुछ योगदान देने का अवसर देने की जिम्मेदारी हर किसी की है।

समावेशकता के लिए मापदंड आईक्यू, आय, रंग, जाति, लिंग या भाषा नहीं, लेकिन जिंदा रहना है। समाज के कमजोर वर्गों को वंचित कर दने अनैतिक, असंगत और राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य है।

भेदभाव

जब अन्य लोगों या समूहों के बारे में कारण के बिना एक राय कायम कर ली जाती है, तब वह कई बार यह अनुचित भेदभाव की ओर चली जाती है। पूर्वाग्रह और भेदभाव कई कारकों से किया जाता है, जिनमें से कुछ कारक अधिक गंभीर और गहरी नुकसानकारक प्रभाव डालते हैं। कई बार, पूर्वाग्रह एक दर्दनाक अनुभव से नहीं पैदा

हुआ हो तो, इसे आसानी से भूला जा सकता है। भय, अपराध, शर्म, संकोच, नैतिकता, आदि जैसे कारक पूर्वाग्रह या पक्षपात को मजबूत करते हैं। फ्रॉड के सिद्धांत के अनुसार पूर्वाग्रह को लक्ष्य और अपनी ही संस्कृति में लोगों को निम्न स्थान वाला मानते हैं यह पूर्वाग्रह का लक्ष्य और उद्देश्य होता है। जबकि पक्षपातपूर्ण व्यवहार और रवैया का लक्ष्य दुख के अनुभवों से उत्पन्न होने वाले क्रोधावेश में से छुटकारा पाना होता है। दूसरे शब्दों में, हम अपने आप को अपर्याप्त और बेबस महसूस करते हैं और इसलिए हम अन्य लोग के खिलाफ भेदभाव करते हैं। कई बार भेदभाव साबित करना मुश्किल होता है खासकर जब वह निश्चित कानून में व्यक्त नहीं किया गया हो या कठिनाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्चस्व वाले समूहों में प्रतिबद्धता का अभाव हो। इसके लिए भेदभाव के स्पष्ट लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है। भेदभाव के प्रकट रूपों में से एक इस वास्तविकता में परिलक्षित होता है कि विकासशील और औद्योगिक देशों में दलितों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, और वृद्धों के गरीब होने का प्रतिशत बहुत अदिक है। भेदभाव का एक और अधिक स्पष्ट रूप कुंजी रूप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों में दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता। गरीबी और भेदभाव का मुख्य कारण बहिष्कार है, यह सिद्ध करना मुश्किल होने के बावजूद गरीबी और बहिष्कार के अन्य रूपों को वंचित समूहों में अधिक प्रचलन में है यह तथ्य सूचित करता है कि भेदभाव एक प्रमुख कारक हो सकता है।

सूचना की सीमाओं के कारण से भी भेदभाव से बहिष्कार पैदा होने की हकीकत को सिद्ध करना अधिक मुश्किल हो जाता है। हालांकि, कई मामलों में अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, विकलांग व्यक्तियों, आदि व्यक्तियों का बहिष्कार करने के लिए मुख्य कारक भेदभाव होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। गरीबी और असमानता को कम करने के उद्देश्य वाली नीति के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। आर्थिक बहिष्कार का मुकाबला करने के लिए नीतिगत रणनीति को मजबूत करने के लिए विकलांग बच्चों को स्कूलों या कक्षाओं में प्रवेश कराने से यह नहीं कहा जा सकता कि समावेश हो गया है। यह एक छोटा सा कदम है। दरअसल, यह देखना होता है कि विविधता, अंतर आदि का किस तरह से व्यवहार किया जाता है। समावेशकता का मतलब यह नहीं है कि हर कोई बराबर है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब एकमत हैं। इसके विपरीत, समावेशकता विविधता का स्वागत आदर के साथ करती है। विविधता जितनी अधिक होगी नया लक्ष्य बनाने की व्यक्ति की क्षमता उतनी ही समृद्ध होगी। समावेशकता वंशवाद और नस्लीयता शामिल के लिए मारक है क्योंकि यह विविधता का स्वागत करती है और उसे कमी के रूप में नहीं, बल्कि क्षमता के रूप में मानता है। उज्ज्वल, शानदार और मध्यम वर्ग को समावेशी माना जाए तब यह हास्यास्पद हो जाता है। अन्य (सामान्य) व्यक्तियों से अलग दिखते, अलग व्यवहार करते, अलग ढंग से सोचते व्यक्तियों को किस दृष्टि से देखा जाता है यह बात समावेशकता से संबंधित है। आंतरिक मूल्य क्रिया और प्रतिक्रिया में व्यक्त होते हैं। इनमें से कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया आघातजनक हो सकती हैं। जो व्यक्ति चलने, बात करने या हिलने-डुलने में सक्षम नहीं हो तो उसे कैसा लगेगा? जो व्यक्ति दुर्घटनावश विकलांग हो गया हो तो उसे कैसा लगेगा? और अब एक ऐसा सवाल जिसका सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है, उम्र बढ़ने के साथ किस तरह की भावना का अनुभव होता है? वे कहाँ रहेंगे? जब आवश्यकता होगी तो क्या लोग (परिवार और दोस्त) उसकी मदद करेंगे, या उसे अकेला छोड़ देंगे? क्या मौत का इंतजार करते अस्पताल के बिस्तर पर निराशा और असहाय स्थिति में जीवन पूरा करेगा? वह जब बूढ़ा होगा तो उसका क्या होगा? यह कष्टदायी हो सकता है परंतु इस तरह की जांच एक नये व्यक्तिगत भविष्य की शुरुआत हो सकती है। इस तरह की चुनौतियों के साथ रह रहे लोगों के लिए मानवता दिखाने और आभार व्यक्त करने के लिए हम बंधे हुए हैं।

- समावेशकता से क्या तात्पर्य है?
- समावेशकता प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है।
- समावेशकता का अर्थ है मिलकर सीखकर पूर्ण जीवन जीना।
- समावेशकता दुनिया को जीवन भर के लिए कक्षा में बदलती है।
- समावेशकता विविधता को गले लगाती है और समुदाय का निर्माण करती है।
- समावेशकता भेंटरूपी 'क्षमताओं' का आदान-प्रदान कैसे हो उससे साथ संबंधित होती है।
- समावेशकता 'विकलांगता' का ही मुद्दा नहीं है।

१९५५ में रोजा पार्क्स नामक निडर महिला का मामला सामने आया था। वह समाज में पूरी तरह से शामिल होना चाहती थी, लेकिन 'काले लोगों' (ब्लैक नीग्रो) के साथ बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। रोजा काली थी। एक बार रोजा बस में 'गोरे' लोगों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। जबकि, काले लोगों के लिए सीट बस में पीछे थी। रोजा को सीट खाली करके काले लोगों की सीट पर जाने के लिए कहा गया था। रोजा ने उस सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार, इतिहास को चुनौती दी गई और इतिहास बदला गया। यह इसलिए संभव हुआ कि रोजा पार्क्स ने इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने समावेशकता के लिए आवाज उठाई थी। हाल के दिनों में समावेशकता के लिए आवाज विकलांग व्यक्तियों द्वारा उठायी गयी है। जिनकी क्षमताओं को नजरअंदाज कर दिया गया हो उन लोगों को ऐसा लगता है कि समाज में पूरी तरह से शामिल होने के लिए उनके अधिकारों के गर्व को समुदाय द्वारा नहीं बनाए रखा जा रहा है। उसके तहत व्हीलचेयर के लिए रैंप की संख्या में वृद्धि, ब्रेल में अधिक संकेत और सामग्री को शामिल करना, सामुदायिक आवास, आदि की मांग की जा रही है। अमेरिकी विकलांग अधिनियम के साथ समावेशकता की आवाज को सुनने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, स्वीकृत परिभाषा की खोज और समावेशकता से तात्पर्य यह है कि जिन्हें शामिल होने नहीं दिया गया हो उन लोगों का स्वागत करना। इस अर्थ को और अधिक मजबूत करना चाहिए। इस परिभाषा की कमजोरी काफ़ी स्पष्ट है। अन्य लोगों को शामिल करने की शक्ति और अधिकार किसके पास है? और शामिल करने वाले लोग स्वयं कैसे शामिल हुए? और बहिष्कार कौन करता है, अब यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि अब, हर व्यक्ति जन्म से ही समाविष्ट है। अन्य लोगों को शामिल करने का अधिकार किसी को नहीं होने से बहिष्कार का समर्थन करने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की जिम्मेदारी समाज में हर किसी की है। समावेशकता का अर्थ क्या है? समावेशकता का अर्थ यह स्वीकार करना है कि सभी व्यक्ति एकसमान नहीं होने के बावजूद हर कोई एक है। समावेशकता को लागू करने का मतलब बहिष्कार और बहिष्कार से जन्म लेने वाली सभी सामाजिक बुराई (जैसे वंशवाद, नस्लवाद, आदि) को शामिल करना। समावेशकता की लड़ाई में मदद करने वाले और लेने वाले सभी लोगों की सहायता इस तरह से करना उसे बनाए रखना यह तरफदारी नहीं है बल्कि एक नागरिक दायित्व है। सभी समाविष्ट हैं इस सच्चाई को स्वीकार किया जाएगा तब ही, समाज में तत्काल सुधार हो पाएगा।

समावेशकता अर्थात परिवर्तन

समावेशकता का अर्थ परिवर्तन माना जाता है या समावेशकता और परिवर्तन दोनों अपरिहार्य हैं। समावेशकता के बारे में सैंकड़ों बैठकों में भाग लेना बोधप्रद बना हुआ है, तब कुछ ही मिनटों के भीतर स्पष्ट हो जाता है कि समावेशकता एक मुद्दा है। असली मुद्दा है - परिवर्तन का डर! शिक्षा और मानव सेवा में शामिल कई व्यक्तियों को अपनी नौकरी खोने का भय सताता है, नई जिम्मेदारियों का भय सताता है। जिस विषय की समझ न हो उस विषय का भय सताता है। अपने ही बचाव में वे कहते हैं कि हमारे पर्याप्त पैसा नहीं है। इसके अलावा, हमें लोगों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया! परंतु मैंने विशेष शिक्षा का चयन नहीं किया है! कोर्स मैनुअल नहीं है, और उनके लिए विशिष्ट कोर्स तैयार करने के लिए समय नहीं है। बाकी के बच्चों को भुगतना होगा! ये सभी ज्ञात वाक्य प्रयोग हैं। इन्हें ध्यान से सुनोगे, तो पता चलेगा कि अधिकांश परंतु मैं या मेरे बारे में हैं। अन्य बच्चों के वंचित रह जाने के मामले में प्रयुक्त परंतु सहकारी शिक्षा और सहोध्यायी के पास से सीखने के अज्ञान को ढंकता है। इन वाक्यों के उपयोग के पीछे निहित अर्थ कुछ इस तरह होता है। मुझे इस बात का डर है कि लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे सब कुछ पता नहीं है। मुझे यह नहीं करना है। मुझे डर लगता है। लोगों को अपनी नैतिकता, दोषों का सामना करने से डर लगता है। गहरी-गहरी घबराहट इस भय संस्कृति की उपज है। हमें इन लोगों को दूर रखना सिखाया गया है, लेकिन अब सब जानते हैं कि लोगों को दूर करने का निर्णय विनाश की तरफ जाने वाला कदम होगा। इस खतरे का हमें सामना करना चाहिए और सभी को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा करने से असहज महसूस होगा, और कुछ ही क्षणों के लिए डर लगेगा, लेकिन डर खत्म हो जाएगा।

समावेशकता के सामने संभावित अवरोध

विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित गतिविधियों को करने में आने

वाली संभावित बाधाओं पर चर्चा सतत होती रहती है।

- समुदाय, समाज और राष्ट्र के समान सदस्यों और नागरिकों के रूप में तथाकथित सामान्य साथी सदस्यों के साथ जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक के साथ ही अन्य मामलों में भाग लेना।
- स्वयं, परिवार, समाज, समुदाय, देश और दुनिया के विकास में योगदान करना।
- सम्मान के साथ जीने के लिए अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, सपनों और आकांक्षाओं का पता करना।
- सम्मान के साथ जीने के लिए अपने अधिकार जानना, उनकी रक्षा करना, और उनको प्राप्त करना।

संभावित अवरोधों को मोटे तौर पर इस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. दृष्टिकोण से संबंधित अवरोधः विशाल समुदाय के विकलांग व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और उस व्यक्ति को अधिक वंचित और खराब हालत में ला देता है। ये दृष्टिकोण इस गलतफहमी और मान्यताओं से मजबूत होते हैं। विशाल समुदाय के दिमाग में कल्पनाएं और गलतफहमी की जड़ें काफी गहरी घर कर लेती हैं। समुदाय विकलांग व्यक्तियों को हमेशा असहाय, दान, दया का पात्र, भिखारी, गरीब, वंचित और अपने से नीचा मानता है। ये पारंपरिक और नकारात्मक दृष्टिकोण विकलांग व्यक्तियों को कभी भी अपनी क्षमताओं को साबित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर नहीं देते। नकारात्मक दृष्टिकोण को सहानुभूति, दया, करुणा, उपेक्षा, अत्यधिक सुरक्षा, दान और बहिष्कार के रूप में देखा जा सकता है। दृष्टिकोण से संबंधित ये बाधाएं अज्ञानता के कारण भी हो सकती हैं। समुदाय या समाज विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं से अनजान होते हैं जिसके कारण वे विकलांग व्यक्तियों की भावनाओं को कभी भी नहीं समझ सकते। भेदभाव, बहिष्कार, दान, और लघुताग्रंथि और गुरुताग्रंथि की भावना, अवसरों का अभाव आदि नकारात्मक रवैया के रूप में व्यक्त किया जाता है।

ख. संस्थागत अवरोधः संस्थागत अवरोध में नीतियों, प्रक्रियाओं, कानूनों, मानकों, नियमों, योजनाओं, कार्यक्रमों, कानूनों, और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य लिखित-अलिखित ऐसा संवैधानिक ढांचा शामिल होता है कि विकलांग व्यक्तियों को वे समाज के समान नागरिकों के रूप में उनका बहिष्कार किया जाता है और वे उन संस्थानों, योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, सेवाओं, कानूनों की उपलब्धता आड़े आते हैं। ये संस्थागत बाधाएं न केवल विकलांग लोगों को दूर रखते हैं बल्कि समाज के इस वंचित वर्ग के मानव अधिकारों का संरक्षण भी नहीं करती। विकलांग लोगों के लिए ये संस्थाएं उपलब्ध नहीं होती, दूसरा नीतियों और प्रक्रियाओं में उनका बहिष्कार किया जाता है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होती। विकलांगता की अवधारणा का अभाव इन संस्थागत ढांचों को विकलांगता विरोधी बनाता है और विकलांग व्यक्तियों के लिए यह एक बाधा बन जाता है।

ग. भौतिक या वातावरण से संबंधित अवरोधः भौतिक या वातावरण से संबंधित अवरोध में भवनों, सड़कों, परिवहन सुविधाओं जैसी संरचनात्मक बाधाओं, पार्कों, स्टेडियमों, खेल के मैदानों, पूजा स्थलों, मनोरंजन स्थलों, कानूनी स्थानों, राज्य और केंद्रीय विधान सभाओं जैसे सार्वजनिक स्थानों, और विकलांग व्यक्तियों को इन संरचनाओं की सेवाओं का लाभ लेने के लिए और प्रवेश को रोकने वाले अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचनाओं को शामिल किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए जानकारी की उपलब्धता भी एक बुनियादी सवाल है। वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह उपलब्ध होने के रूप में नहीं है। सार्वजिनक स्थलों पर सुनने वाली सूचनाएं या संकेत सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होते। देख सकने वाले चिह्न और संकेत, दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए कार्य स्थलों की उपलब्धता, संरचनाओं, भवनों तक पहुंच, जानकारी तक पहुंच, सेवाओं और समाज के अन्य अवसरों के लिए उपयोग शामिल होता है।

घ. कानूनी अवरोधः कानूनी बाधाओं को मोटे तौर पर निम्नानुसार चार प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है:

१. विकलांगता विरोधी कानून, नीतियां और आदेश

लगभग सभी कानूनों, नीतियों और आदेशों का स्वरूप विकलांग विरोधी है। इन कानूनों में व्यक्त अभिव्यक्तियां विकलांगता विरोधी हैं और वे विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों और हितों की रक्षा करने के बदले इन व्यक्तियों का बहिष्कार करते हैं। कुछ विकलांगता

विरोधी कानून और नीतियां भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणापत्र (२००४) में हैं और उसमें देश के केवल सक्षम (विकलांग नहीं) लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के बारे में बताया गया है। भारत सरकार के २००४ के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी इसकी पुष्टि की गई है। आजीविका कार्यक्रम में विकलांग लोगों को शामिल नहीं किया गया है। रोजगार गारंटी अधिनियम बिल में भी विकलांग व्यक्तियों के लिए आजीविका के अवसरों को शामिल नहीं किया गया है। १९७२ के चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम में विकलांग भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है जो विकलांगता विरोधी है।

२. सामान्य कानूनों, नीतियों और आदेशों में विकलांगता शब्द का अभाव

लगभग सभी नीतियां और कानून विकलांग व्यक्तियों को बाहर रखते हैं। मानव अधिकारों से संबंधित अधिकांश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों में विकलांगता की की अभिव्यक्ति नहीं की गई है, लेकिन लिंग, मूलवंश, जाति, वर्ग, वर्ण (रंग) और अन्य रूपों की अभिव्यक्ति की गई है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों में विकलांग व्यक्तियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इन दस्तावेजों में अधिकारों के घोषणापत्रों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अन्य समझौतों, अंतरराष्ट्रीय कानूनों आदि को शामिल किया गया है, लेकिन इनमें विकलांगता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के संविधान में भेदभाव विरोधी कानून में भी विकलांग व्यक्तियों को बाहर रखा गया है। देश के वंचित वर्गों के संरक्षण वाले कानूनों में विकलांगता का कोई जिक्र नहीं है। विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा वाले कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में न्यायपालिका के पास कोई जानकारी नहीं है। इस देश का कानून विकलांग व्यक्तियों को समान रूप से लागू होता है, इस तथ्य की अनदेखी करके न्याय प्रणाली को हर बार विकलांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशिष्ट कानून की मांग करनी पड़ती है।

३. कानूनी सुरक्षा के कदमों का अभाव

विकलांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए सामान्य कानूनों के भीतर विशेष कानून और प्रावधान होने चाहिए, लेकिन तथ्य यह है कि सभी सभी पहलुओं को शामिल करते हुए कोई विशेष कानून नहीं है। कुछ विशिष्ट कानून है, लेकिन वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के सभी पहलुओं की विरासत का अधिकार, शादी करने का अधिकार, तलाक के अधिकार, और अन्य अधिकार शामिल हैं।

४. कानूनों, नीतियों और आदेशों कम या नगण्य अमल

विकलांग व्यक्तियों के लिए गिनती के कानूनों, नीतियों और आदेशों को विकसित किया गया है, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता। यदि कानूनों में उल्लिखित केवल १० प्रतिशत प्रावधानों को भी लागू किया जाए तो लाखों विकलांग लोगों को फायदा होगा और उनका जीवन बदल जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने की राजनीतिक दलों और सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण यह स्थिति पैदा हुई हैं।

च. सांस्कृतिक अवरोध

विकलांग व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव और नकारात्मक दृष्टिकोण के पीछे धार्मिक मूल्यों और मान्यताएं हैं। ये नकारात्मक दृष्टिकोण भेदभाव, बहिष्कार और पूर्वाग्रह, गलतफहमी, मिथकों, अंधविश्वास और अज्ञानता की वजह से मजबूत होते हैं। ये नकारात्मक दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, मनु का यह कथन कि पिछले जन्म के पापों का परिणाम है, वंशवाद की भव्यता का गुणगान, कुष्ठ रोगियों का बहिष्कार, बाइबिल में वर्णित कुष्ठ रोगियों को गांव में प्रवेश करने की मनाही आदि, सांस्कृतिक अवरोध के कुछ उदाहरण हैं, जो विकलांग व्यक्तियों को समाज में बराबरी का सदस्य बनने में अवरोध पैदा करते हैं।

छ. आर्थिक अवरोध

मुख्यधारा के आजीविका के अवसरों से विकलांग व्यक्ति वंचित रहते हैं। जब विकलांग व्यक्तियों की आजीविका के विकल्प का प्रश्न उठता है, तब लोग घिसे-पिटे विकल्प के रूप में विचार करते हैं, जैसे, टेलीफोन बूथ चलाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, फ़ाइल बनाना, संगीत और विकलांग व्यक्तियों के साथ जुड़े अन्य व्यवसाय। लेकिन वास्तव में विकलांग व्यक्तियों को उनकी विकलांगता के प्रकार, विकलांगता की गंभीरता और उस व्यक्ति की रुचि और पात्रता के आधार पर सभी प्रकार के सार्थक और लाभदायक व्यवसायों में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस मामले में समाज में बिल्कुल अज्ञान व्याप्त है। विकलांग व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों का प्रभावी प्रबंधन करके इस तथ्य को प्रकट किया है। इस प्रकार, कई

घिसे-पिटे व्यवसायों को सूचीबद्ध करके विकलांग व्यक्तियों को सार्थक और लाभदायक कारोबार में जोड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

इस देश के कार्यबल में विकलांग व्यक्तियों का अनुपात १ फीसदी से भी कम है, जबकि इसकी तुलना में अन्य देशों के कार्यबल में विकलांग व्यक्तियों का अनुपात जर्मनी में ६ फीसदी, ब्रिटेन में ३ प्रतिशत, जापान में १.९ प्रतिशत और बांग्लादेश में १ प्रतिशत है। इसके अलावा, भारत में १ प्रतिशत से भी कम में सार्वजनिक क्षेत्र में ०.५ प्रतिशत, निजी क्षेत्र में ०.४ प्रतिशत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ०.००२ प्रतिशत से भी कम है। इस भेदभाव के पीछे काम की जगह तक पहुंच का अभाव, नियोक्ता का नकारात्मक दृष्टिकोण, मानव संसाधन नीतियों द्वारा बहिष्कार, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसरों की कमी, उच्च शिक्षा के लिए अवसरों की कमी, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों की कमी, और विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वाग्रह आदि कारण जवाबदार हैं। भेदभाव और बहिष्कार के कारण उन्हें भीख मांगने जैसे हीन पेशे में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक सशक्तिकरण उनमें आत्मविश्वास, सम्मान, गरिमा, आत्मसम्मान की भावना का संचार करता है और उन्हें समुदायों में योगदान करने के लिए सक्षम बनाता है।

ज. राजनीतिक अवरोध

राजनीतिक अवरोधों में परिवार, गांव, समुदाय, समाज, आदि में निर्णय लेना, मतदान करना, चुनाव में भाग लेना, समुदाय और समाज में निर्णय लेने वाली संस्थाओं, राजनीतिक दलों, राजनीतिक दलों के न्यूनतम साझा कार्यक्रम और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। भारत का संविधान अन्य कमजोर वर्गों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में इन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विधानसभाओं और संसद में आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा पंचायतीराज संगठनों, गांवों और शहरों के नगर निगमों में भी आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस भेदभाव का मुख्य कारण यह है कि विकलांग व्यक्ति देश भर में बिखरे हैं और इतनी संख्या में नहीं हैं कि वोट बैंक खड़ा कर सकें इसलिए राजननीतिक दलों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। कई बार मतदान केंद्र विकलांग लोगों की पहुंच बहुत दूर होते हैं और मतदान केन्द्रों में बैठने वाले लोग विकलांग लोगों की जरूरतों को को समझने के लिए पर्याप्त संवेदनशील नहीं होते। इसके विपरीत, कई बार उनका व्यवहार अपमानजनक होता है।

झ. धार्मिक अवरोध

विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ नकारात्मक रुख भेदभाव, बहिष्कार और पूर्वाग्रहों की जड़ें मूल्यों और मान्यताओं की व्यवस्था में रहते हैं। मूल्यों और मान्यताओं की व्यवस्था धार्मिक मूल्यों से प्रभावित होती है। नकारात्मक दृष्टिकोण और मान्यताएं धार्मिक रचनाओं और धार्मिक ग्रंथों से ली गई हैं। धार्मिक रचनाओं में विकलांग व्यक्तियों दान और दया का पात्र माना जाता है। विकलांगता को पिछले जन्म के कुकर्मों का परिणाम और भगवान का अभिशाप माना जाता है, इसलिए धार्मिक रस्मों और रिवाजों में विकलांग व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता। चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, विहार, आदि जैसे धार्मिक स्थल विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होते। बैसाखी जैसे सहायक साधन रखने वाले लोगों पवित्रता के बहाने से प्रवेश नहीं दिया जाता। विकलांग व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठानों से भी बाहर रखा जाता। विकलांग व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण पवित्रता नहीं रह पाएगी यह कहकर विकलांगों को इन विधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्हें इस तरह की विधियों को करने का मौका नहीं मिलता। उन पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

समावेशकता के पहलू

समावेशकता की अवधारणा बहुत व्यापक है। दुनिया भर में विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी पहलुओं में शामिल किया जाना चाहिए। समावेशकता की अवधारणा व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक होने के कारण समावेशकता के पहलुओं को सूचीबद्ध करना मुश्किल है। इसके अलावा समावेशकता की अवधारणा व्यापक विविध और व्यक्तिगत होने के कारण समावेशकता के पहलुओं को सूचीबद्ध करना सिद्धांत रूप में अनुचित हो सकता है। दूसरा, समाज की अवधारणा अलग-अलग समुदाय की संस्कृति के आधार पर भिन्न हो

शेष पृष्ठ 27 पर

भारत में मानवीय संकट की स्थिति और विकलांगताः समावेशी दृष्टिकोण की ओर बढ़ना

यह लेख **डॉ. वनमाला हीरानंदानी**, सहायक प्रोफेसर, वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण, पुनर्वास और पोषण विभाग, मेट्रोपोलिटिन यूनिवर्सिटी कॉलेज, कोपेनहेगन, डेनमार्क द्वारा लिखा गया है।

विकलांगता पर हाल की विश्व रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, दुनिया की कुल आबादी में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत १५ प्रतिशत है और ८० प्रतिशत विकलांग व्यक्ति कम आय वाले देशों में रहते हैं। आधे अरब से अधिक विकलांग व्यक्ति बारंबार के संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित देशों में रहते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा, पूरे देश या किसी क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, वहीं महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्ग व्यक्तियों और वंचित लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। उपलब्ध सीमित डेटा के बावजूद, सबूतों से पता चलता है कि आपात उपायों और पुनर्वास कार्यक्रमों में बाकी रह गए मामलों में विकलांग व्यक्ति सबसे अधिक हैं। सबूतों के आधार पर यह पता चलता है कि आपदा, संकट या संघर्ष की स्थिति में आपातकालीन स्थलांतर के दौरान विकलांग व्यक्तियों को पीछे रखा जाता है या उन्हें छोड़ देने की संभावना सबसे होती है। इसके अलावा, आपदा और संघर्ष कई बार चोट और स्थायी खामी हो जाती है। इस कारण से पुनर्वास की विभिन्न आवश्यकताओं के साथ विकलांग व्यक्तियों की नई पीढ़ी का जन्म होता है।

उदाहरण के लिए, १९९३ में महाराष्ट्र में लातूर में आए भूकंप और गुजरात में २००१ में आए भूकंप के कारण मानसिक आघात पहुंचने, शरीर का कोई हिस्सा काटने के साथ ही पैरों और निचले अंगों के लकवाग्रस्त होने की कई घटनाएं हुई थी। सक्षम विकलांग व्यक्ति भागने में सफल रहे थे, परंतु व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों के वहीं रह जाने से वे अधिक निर्भर हो गए थे। आपदाओं के समय विकलांग व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों का अलग हो जाने का खतरा होता है। नतीजतन, सामान्य व्यक्तियों की तुलना में, विकलांग व्यक्तियों में रुग्णता मनोवृत्ति और मृत्यु दर ऊंची होती है। इसके बावजूद, विकलांगता के सवालों की अनदेखी की जाती है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान, संचालन और काम से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन करते समय विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।

भारत द्वारा २००७ अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार (यूएनसीआरपीडी) घोषणा पत्र के अनुसार, सीआरपीडी में स्थापित अधिकार आधारित दृष्टिकोण से सुसंगत के अनुपालन में सभी नीतियों और कानूनों को सुधारना जरूरी है। जोखिम और मानवीय आपातकाल की स्थितियों पर सीआरपीडी की धारा ११ है। वह सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और इसी तरह की आपातकालीन स्थितियों में विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा और सलामती सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य के जवाबदार हितधारकों की जिम्मेदारी पर जोर देता है (यूएन इनेबल, २०१२)। जब भारत अपने नए विकलांग व्यक्ति अधिकार विधेयक को सीआरपीडी के साथ संगत करने के लिए तैयार हो रहा है तब विकलांगता के मुद्दों को शामिल करने में आपदा प्रबंधन की नीतियां और गतिविधियां कितनी समावेशक है का मूल्यांकन करने के लिए यह अनुकूल समय है।

आपात स्थिति में, कनाडा, भारत और अमेरिका में विकलांगता पर किस तरह ध्यान दिया गया है या कैसे कठिन लक्ष्य को हासिल किया गया है इसे समझने के लिए इन तीन देशों के सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के वर्तमान अनुसंधान, नीतियों और कार्यों दस्तावेजों की समीक्षा करने वाले व्यापक अध्ययन से यह पेपर लिया गया है। भारत पर जोर देते हुए यह पेपर पहले, देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली का मापन करते हुए संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करता है। इसके बाद के खंड में अनुसंधान के निम्न सवालों के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है:

- क्या आपदा प्रबंधन नीति और प्रशासन में विकलांगता को शामिल किया गया है? कैसे
- पूर्व चेतावनी, राहत और प्रतिक्रिया, प्रबंधन, पुनर्वास, तैयारियां और जोखिम में कमी आदि जैसे आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर कैसे और किस स्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया है?
- क्या आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और शिक्षा में विकलांगता के मुद्दे को शामिल किया गया है?
- क्या आपदा प्रबंधन विकलांगता समावेशी है, यह यकीन करने के लिए हमें कई त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित आवश्यक है?

सरकारी दस्तावेजों, शोध - रिपोर्टों, मैनुअल, प्रशिक्षण साहित्य - स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों और प्रकाशनों, प्रतिष्ठित संस्थाओं और आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, २००० से २०१० के दौरान देश की प्रमुख मानवीय आपात स्थितियों पर मीडिया रिपोर्टों और शोध - साहित्य सहित, गौण डेटा की विश्लेषण पद्धति को अपनाया गया है। यथावत रही त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है और 'वंचितता' को मानवीय संकट के साथ जुड़े होने की अवधारणा पर पुनर्विचार करने के लिए ध्यान आकर्षित किया है।

भारत में आपदा प्रबंधनः एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में आपदा प्रबंधन की नीति की रूपरेखा राहत - केंद्रित और प्रतिक्रियाशील रणनीति वाली है। यह बदलकर अब आपदा रोकथाम, जोखिम कम करने और आपदा प्रभाव को कम करने के लिए समग्र तैयारियों के पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा, बहुआयामी दृष्टिकोण की ओर स्थिर हुआ है (भारत सरकार, २०११)। इस नए दृष्टिकोण का दृढ़ता से मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति देश संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यदि आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया को मुख्य प्रवाह के साथ नहीं जोड़ा जाए और विकास की प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जाए तो विकास बिन-सातत्यपूर्ण रहता है। इसलिए, आपदा प्रबंधन देश की नीतिगत ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। आपदा प्रबंधन के लिए धन में वृद्धि होने से, स्कूल सुरक्षा योजना और स्कूल के पा चक्रम में आपदा प्रबंधन के मुद्दों को शामिल करने और साथ ही आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता और पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम और डिग्री कार्यक्रमों को भी लागू किया गया है। (ex. NIDM, 2013a; Thiruppugazh, 2003; UNCRPD & SEEDS, India 2008)

हालांकि, मुख्य रूप से पिछले ३० वर्षों के दौरान आपदा अध्ययन, विचारों, सिद्धांतों और कार्यों के व्यापक रूप से किए शोध पर आधारित है, और अभी भी यह विकास और समेकन की प्रारंभिक अवस्था में है। भारत में आपदा के अध्ययन के लिए ढीले-ढाले शैक्षिक कार्यक्रम हैं। इसी कारण आपदा और संघर्ष के शोधकर्ताओं का पेशेवर संगठन का अभी तक गठन नहीं हुआ है। विभिन्न चरणों पर अलग-अलग बाधाओं से निपटने के लिए सुसज्जित प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है। इसके अलावा, भारत में आपदा प्रतिक्रिया में कुप्रबन्ध, दोहरी प्रक्रिया और पीड़ित समुदायों का बहिष्कार पाया जाता है। पिछले अनुभव से संगठनात्मक सीखने के अभी भी काफी अवसर हैं। (ex. Ozerdem & Jacoby, 2006; Ray, 2005)

भारत में विकलांगता और आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन के उभरते हुए क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करने का विषय मौजूद ही नहीं है अथवा उसे गौण महत्व दिया जाता है। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या के बारे में भी अनिश्चितता है (डब्ल्यूएचओ, २०११)। उदाहरण के लिए, एनएसएसओ (२००३) में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या में १.८५ करोड़ होने का उल्लेख था, जबकि २००१ की जनगणना के अनुसार यह संख्या २.१९ है (भारत के महापंजीयक, २००१)। भारतीय गरीब आबादी में विकलांग व्यक्तियों की संख्या उल्लेखनीय है। विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक और सामुदायिक अवसरों में अभी भी असमानता का सामना करना पड़ता है। (हीरानंदानी और सोनपाल, २०१० देखें, राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क, २०१२)। प्राकृतिक आपदाओं और संघर्ष के प्रभाव विकलांग व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों पर अधिक तीव्रता के साथ महसूस होने के बावजूद, मानवीय संकट में विकलांग व्यक्तियों को रोजाना की स्थितियों की तुलना में अधिक बहिष्कार भुगतना पड़ता है।

भारत ने २००७ में सीआरपीडी का समर्थन करने के बावजूद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में या राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं में विकलांगता को शामिल करने के लिए कोई भी सुधार नहीं किया गया है। लंबे समय के मुआवजा के भुगतान की अवधि में और आपातकालीन प्रतिक्रिया में संसाधन की कमी महसूस की जाती है, तब विकलांगता के आधार पर भेदभाव होना सूचित किया गया है (जीपीडीडी और डब्ल्यूबी, २००९) को। अग्रिम चेतावनी, स्थालांतर, राहत और सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास की आबादी का बहुमत के लिए तैयार मापदंड विकलांगों या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को शायद ही कभी संतोष होता है। आवश्यक चीज-वस्तुओं के वितरण के समय और स्थल के बारे में जानकारी अक्सर नेत्रहीन और श्रवण दोष वाले व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

सूनामी के बाद दौरान किए गए राहत कार्यों में लाइन में खड़ें लोगों को भोजन वितरित किया जाता था। नतीजतन, विकलांग लोगों को भोजन और पानी प्राप्त करने के लिए सामान्य व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी और भोजन-पानी पाने के लिए उन्हें काफी मुश्किल होती थी। इसी तरह तमिलनाडु राज्य के राहत शिविरों में शौचालय आश्रय स्थानों की तुलना में काफी दूर स्थित थे, जिस कारण से भी विकलांग व्यक्तियों को कठिनाई होती थी (आइडीआरएम, २००५)। कई बार अनुभवहीन डॉक्टरों द्वारा बिना विचारे अंग विच्छेदन करने से प्रोस्थेटिक लिंब की फिटिंग में काफी मुश्किल आती थी, जिससे पुनर्वास में काफी समस्या आती थी (राजेंद्र और मित्रा, २००८)। ये समस्याएं केवल सुनामी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण होता है। उचित उपचार प्रक्रियाओं की कमी, कमजोर सेवाओं और सीमित पहुंच के कारण सैकड़ों विकलांग लोग मिलने वाली मानवीय सहायता से वंचित रह जाते हैं। महाराष्ट्र में लातूर में १९९३ में आए भूकंप के बाद विलंबित पुनर्वास के कारण सदमे और निराशा दौर फिर से आया हैः पैर और निचले अंगों के लकवाग्रस्त बहुत से लोगों को वर्षो तक मानवीय प्रतिक्रिया के लिए इंतजार करना पड़ा था। २००१ में गुजरात में आए विनाशक भूकंप के कारण हजारों लोगों को अंग विच्छेदन, पैर और निचले अंगों के पक्षाघात और अन्य विकृतियों का भोग बनना पड़ा था। उनके अल्पकालिक और दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाओं के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई थी (आइडीआरएम, २००५)।

हालांकि, २००४ की सुनामी के बाद भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए आपदा तैयारियों का प्रशिक्षण शामिल है जिसमें विकलांग व्यक्तियों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा टास्क फोर्स को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, राहत कार्यों में शामिल ब्रेल लिपि, विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑडियो संस्करण (ऑडियो संस्करण), बड़े प्रिंट और सांकेतिक भाषा की समझ रखने वाले का उपयोग करने के लिए संचार के साधनों का उपयोग, जैसी सानुकूल बातों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है (भारत सरकार, २०१२)। इसके अलावा राहत शिविरों में सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्थानीय बिल्डर और आर्किटेक्ट को सर्वमान्य डिजाइन की प्रशिक्षण योजना बनाई है (भारत सरकार और यूएनडीपी भारत, २००८)। केन्द्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं की समझ में तेजी लाने के लिए टूलकिट तैयार करने के लिए हाल ही में यूएनडीपी के साथ सहयोग किया है (भारत सरकार और यूएनडीपी भारत, २००८)। हालांकि, विविध हितधारकों द्वारा टूलकिट के उपयोग और कार्यान्वयन का आज तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

तैयारी आयोजन प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियों का ध्यान रखने के लिए १७ राज्यों को कवर करने वाले, आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम विकसित किया गया है (जीपीडीडी और डब्ल्यूबी, २००९)। इसमें बचाव, खोज और राहत के लिए विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही प्रभावी प्रतक्रिया के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम के उपलब्ध होने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारियों की इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं वाले गांवों और कस्बों में विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शामिल है (भारत सरकार, २०१२)। हालांकि, विकलांग व्यक्तियों की जनगणना के आंकड़ों के संग्रह के प्रयासों को भी संदेह से देखा जाता है। पंजीकरण प्रक्रिया से गोपनीयता का

उल्लंघन हो सकता है और सरकार द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा, इस भय से विकलांग समुदाय मिश्रित प्रतिक्रिया मिलती हैं (जीपीडीडी और डब्ल्यूबी, २००९)। भारत में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर के कार्यक्रमों (भारत सरकार, २०११), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश - राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना (भारत सरकार, २०१७), और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम (भारत सरकार, २०१०) जैसे आपदा प्रबंधन के अधिकृत दस्तावेजों में विकलांगता के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया है। बच्चों, छोटे बच्चों वाली महिलाओं और के गर्भवती महिलाओं को आदर्श सक्रिय प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जबकि विकलांग व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह, सुनामी और परमाणु और रेडियोजन्य संकट, सूखा, तूफान, तूफान, बाढ़; जैव - रासायनिक और औद्योगिक आपदाओं, भूकंप (एनआइडीएम, २०१३ बी) आदि जैसी आपदाओं का प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शिकाओं में विकलांगता के प्रति संवेदनशीलता का पूरी तरह से अभाव होता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्व चेतावनी और संचार प्रणाली की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद, आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली की राष्ट्रीय मार्गदर्शिका अभी भी विकलांग समुदाय की देखभाल के लिए विफल रहती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने हाल ही में विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर विकसित राष्ट्रीय न्यूनतम राहत मानक गाइड में विकलांग व्यक्तियों का उल्लेख महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, बच्चों, विधवाओं, अनाथों, बुजुर्गों और एचआईवी और एड्सग्रस्त व्यक्तियों की पंक्ति में वंचित समूह के रूप में किया गया है (भारत सरकार, २०१२)। न्यूनतम मापदंडों में विकलांग व्यक्तियों का जबसे उल्लेख किया गया है तबसे ऐसा कहा जा सकता है कि विकलांगता को 'मुख्यधारा' में शामिल कर लिया गया है। विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों (जैसे आसान पहुँच के लिए अलग भोजन वितरण केन्द्र, सुविधाजनक शौचालय का निर्माण), राहत के कुछ न्यूनतम मानकों की मार्गदर्शिका निर्धारित की गई है, फिर भी विकलांगता को अभी भी समावेशी रूप में नहीं, बल्कि लेकिन अलग तरीके से देखा जाता है।

आपदा प्रबंधन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इसके लिए धन का आवंटन होने के बावजूद, विशेष रूप से नीति और योजना बनाने के स्तर पर, समावेशक आपदा तैयारियों में और चुनौती पेशेवरों का अभाव है। भारत में आपदा शिक्षा क्षेत्र में तेजी दिखाई पड़ती है फिर भी आपदा प्रबंधन में विकलांगता को मुख्य धारा में शामिल करने के सरकार के दावों के विपरीत इस पाठ्यक्रम में विकलांगता के दृष्टिकोण का अभाव है। विकलांगता और समावेशी आपदा प्रबंधन का उल्लेख केवल आपदा- प्रत्याघातलक्ष्यी गैर सरकारी संगठन 'एसईईडीएस' के द्वारा तैयार पुस्तक 'लैट अस मेक स्कूल्स सेफर' में ही दिखाई देता है (एसईईडीएस भारत, २०११)। हालांकि, सरकारी और गैर सरकारी संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस किताब का इस्तेमाल कितना हुआ है वह जांच का विषय है।

'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान' ने अपनी वेबसाइट में बताया है कि आपदा विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और दुनिया भर में सभी आपदा प्रबंधन और विकलांगता प्रबंधन हितधारकों के द्वारा आपदा जोखिम में कमी के ढांचे की वकालत की गई है (एनआइडीएम, २०११ की धारा ७)। हालांकि, देश भर में आपदा प्रबंधन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, एनआइडीएम द्वारा तैयार मॉड्यूल में विकलांगता के मुद्दों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। उदाहरण के लिए स्कूल सुरक्षा, शहरी जोखिम में कमी, बाढ़ के जोखिम में कमी और प्रबंधन आदि विषयों के मॉड्यूल में या जिला आपदा प्रबंधन योजना (विभिन्न मॉड्यूल के लिए एनआइडीएम, २०१३ देखें) विकलांगता का कोई जिक्र नहीं है। आपदा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक देखभाल के बारे में प्रशिक्षण मॉड्यूल में विकलांगता के मुद्दे को अधिक वंचित समूह के साथ काम करना की व्यापक श्रेणी में 'विकलांग लोगों के साथ काम करना' शीर्षक वाली दो पेजी इकाई में सतही रूप में शामिल किया गया है (एनआइडीएम, २००९)। इस प्रकार, विकलांगता के मुद्दे को मुख्यधारा में शामिल करने दावों के बावजूद, इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रम में विकलांगता के मुद्दे को स्थान नहीं दिया गया या विकलांग लोगों को अभी भी विशेष सेवाओं की आवश्यकता वाला 'वंचित समूह' माना जाता है। इस तरह विकलांगता को मुख्य धारा में शामिल करने के बजाए, सरकार के ही प्रशिक्षण मॉड्यूल विकलांगता पर आधारित भेदभाव को मजबूत करते हैं।

उपेक्षित क्षेत्र और भावी दिशा

मानव प्रतिक्रियाओं में जानकारी की कमी विकलांग व्यक्तियों के बहिष्कार के पीछे एक बुनियादी कारण है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अक्सर परिवार और समुदाय द्वारा विकलांग वयस्कों के साथ ही बच्चों को उपेक्षित किया जाता है। शिक्षा या राजनीतिक स्तर पर उनका नगण्य प्रतिनिधित्व होने के कारण मानवीय मध्यस्थताओं में उन्हें बाहर रखा जाता है। जैसे, २००४ में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सुनामी के बाद विकलांग लोगों के पास मूलभूत दस्तावेज (पहचान पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र) नहीं थे। इसके अलावा, समावेशी सुविधा प्रदान करने वाले प्रोस्थेटिक या हियरिंग एड जैसे उपकरण और सहायक या सेवाएं प्रदान करने की कोई सुविधा जिले में उपलब्ध नहीं थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, स्थानीय सरकारी संस्थानों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों को सुनामी के बाद मुख्य रूप से भोजन, कपड़े और चिकित्सा सहायता जैसी राहत मिली थी। हालांकि, पंजीकृत नहीं होने वालों और जिनका निश्चित पता (जैसे प्रवासी मजदूर) नहीं था उन्हें राज्य की ओर से कोई सहायता नहीं मिली (आइएफआरसी, २००७)।

ऑक्सफॉम, हैंडिकेप इंटरनेशनल और कई अन्य संगठनों ने सूनामी के दौरान विकलांग व्यक्तियों के पंजीकरण फार्म का संकलन किया है। हालांकि, विकलांगता की परिभाषाओं की तरह, पंजीकरण का मुद्दा भी समस्याग्रस्त है। विकलांगता का लेबल लग जाने से और एक तरफ धकेल दिए जाने के भय से विकलांग व्यक्ति विकलांग के रूप में अपनी पहचान नहीं देना चाहते। इसलिए, दिखाई देने वाली खामियों के आधार पर ही आंकड़े गलत हो सकते हैं और, इसके कारण विकलांग लोगों की संख्या गिनती की ही है। नतीजतन, उपलब्धता का सवाल नगण्य है ऐसे दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है (केट्ट, स्टब्स और यिओ, २००५)।

यह ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न देशों के लिए प्राकृतिक संकटों के प्रभाव अलग-अलग होते हैं, सामाजिक और आर्थिक अभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसलिए, आपदाओं के कारण दर्शक प्रभावों की समझ प्राकृतिक संकट से हटकर वंचितता की विभिन्न श्रेणियों के विकास की प्रक्रिया में स्थिर हो गई है (आइएसडीआर, २००४)। हालांकि, विकलांग व्यक्तियों की दयनीय, लेकिन अपरिवर्तनीय शारीरिक, इंद्रिय संबंधित या संज्ञानात्मक सीमाओं के कारण उनकी स्थिति दयनीय होती है इस परंपरागत अवधारणा के आधार पर विकलांग व्यक्तियों की गणना एक विशेष प्रकार के 'वंचित समूह' के रूप में की जाती है (हेमिंग्वे और प्रिस्ली, २००६) में हैं। भारत का नया 'विकलांग व्यक्ति अधिकार' (आरपीडी) विधेयक (वर्तमान में ड्राफ्ट रूप में है) भी बहुत सीमित है क्योंकि इसमें राहत, पुनर्वास और मुआवजे के भुगतान में विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, इस के बावजूद पूर्व चेतावनी प्रणाली में उपलब्धता के बारे में कोई विशेष जिक्र नहीं है। आपदा तैयारियों के बारे में भी सरसरी तौर पर ध्यान खींचता है। आरपीडी बिल का मुख्य विचार यह है कि आपदा की स्थिति में विकलांग व्यक्ति एक 'विशेष' और 'वंचित समूह' बना रहता है, जिनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

विकलांगता के अध्ययन के क्षेत्र में, विकलांगता के सामाजिक मॉडल ने यह स्पष्ट किया है कि और विकलांगता विकृतियों का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। शारीरिक, इंद्रियलक्ष्यी या संज्ञानात्मक खामियों से बनी सीमाएं सामाजिक रूप से सृजित बहिष्कार का परिणाम भी होता है। सुनामी सामाजिक और गुजरात में आए भूकंप के मुताबिक, विकलांग व्यक्तियों की सीमाओं के कारण ही नहीं, बल्कि सामाजिक कारणों से भी विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर खतरा मंडराता रहता था। इसमें अवरोधयुक्त इमारतें, बचाव योजना की कमी, पड़ोसी के रवैया भी कारण थे (हेमिंग्वे और प्रिस्ली, २००६, आइएफआरसी, २००७)। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में, समावेशी आपदा प्रबंधन के संदर्भ के बावजूद, आपदा शामक आयोजन में विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है। आपदा - जोखिम को कम करने की योजना में विकलांग समुदाय को शायद ही कभी शामिल किया जाता है।

ढांचागत और सामाजिक - आर्थिक परिणामों के कारण होने वाली वंचितता की जांच से पाया जाता है कि सामाजिक नुकसान, गरीबी, और ढांचागत बहिष्कार और असमानता के विकलांगता का सामना करना पड़ता है। आपदाओं के समय, विकलांग लोगों की कई

जरूरतें (जैसे पानी, सफाई, आवास, भोजन, आदि) आपदाओं का सामना कर रहे अन्य लोगों की जरूरतों के साथ मेल खाती हैं। हालांकि, इन सेवाओं को कैसे प्रदान किया जाता है और सामग्री का वितरण कैसे किया जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। विकलांग व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन खुद की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का इच्छुक बताना उन्हें हतोत्साहित करने के बराबर है।

सरकार और मुख्यधारा की संस्थाओं के प्रयासों की तुलना में विकलांग व्यक्ति संगठन (डीपीओ) और समुदाय आधारित हिमायती संगठनों में आपदा प्रतिक्रिया के लिए अधिक तैयारियां और क्षमता देखने को मिलती हैं। सहायता और अनौपचारिक संचार नेटवर्क में और मुख्यधारा की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली में आसानी से उपलब्ध नहीं होने वाले विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञता के कुछ रूपों में ये परिलक्षित होते हैं। हेमिंग्वे और प्रिस्ली (२००६) के अनुसार सहायता के लिए अनुरोध और सीमित संसाधनों को गतिशील करके विकलांग की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्नशील संगठनों और अधिक तेजी से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, २००४ में, सुनामी आपदा के कुछ ही घंटों में, कार्यकर्ताओं और विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं और उनके सहयोगियों ने वेबसाइट और ई-मेल नेटवर्क के माध्यम से वैश्विक सहायता उपलब्ध करायी। मुख्यधारा के राहत प्रयासों से यह पहल इस तरह अलग थी कि उसमें समावेशी, अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था और विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली ढांचागत और सामाजिक बाधाओं पर ध्यान दिया गया था।

हालांकि, सुनामी के अनुभव सूचित करते हैं कि डीपीओ और अनौपचारिक नेटवर्कों में संकट की स्थिति से निपटने के लिए क्षमता और विशेषज्ञता होती है, और इस क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है और योजना बनाने, रोकथाम और आपदा जोखिम में कमी आदि सभी स्तरों पर इसे शामिल किया जाना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए और उनके शामिल किए जाने के मौजूदा गतिरोधों को दूर करने के लिए विकलांग व्यक्ति बुनियादी ढांचे की जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत हो सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों से चर्चा करके आपातकालीन आश्रयों और सुविधाओं के प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है। विकलांग समुदाय, आपदा प्रबंधन का काम करने वाले संगठनों में योजना और तैयारियों के बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। जैसे, १९९९ में तुर्की में आये भूकंप के बाद बधिर लोगों की मदद करने के लिए एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। बधिर व्यक्तियों के एक मुख्य समूह को आपदा के बारे में जागरूकता फैलान के लिए प्रशिक्षक के रूप में में प्रशिक्षित किया गया था, जिसके बाद इस समूह को देश के अन्य भागों में अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भेजा गया था (आइएफआरसी, २००७)। १९८९ में कैलिफोर्निया में आये भूकंप के बाद आइएफआरसी ने एक अनुसंधान भी पेश किया था। इसमें यह पाया गया कि विकलांग व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार थे, जिसकी वजह से भूकंप के दौरान और बाद में उनके डरने और घायल होने की संभावना कम थी, क्योंकि कठिन शारीरिक और परिस्थितिजन्य बाधाओं से वे रोजाना निपटते हैं। बाधाओं का सतत सामना करने का उनका अनुभव ज्ञान का अगाध स्रोत है, जो आपदा प्रबंधन को अधिक समावेशी बनाने में मददगार हो सकता है। संक्षेप में, विकलांग लोगों, उनके सहायक संगठन और नेटवर्क की साझेदारी के आधार पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कार्यक्रमों को विकसित किया जाना चाहिए।

उपसंहार

भारत में मानवीय स्थिति में विकलांगता पर प्रणालीगत अनुसंधान की कमी है। उपलब्ध दस्तावेजों से विकलांग व्यक्तियों की व्यापक उपेक्षा, उपलब्ध स्थलांतर, राहत और प्रतिक्रिया प्रणाली की कमी, और गौरवपूर्ण जीवन जीने के अधिकार की उपेक्षा का पता चलता है। सरकारी दस्तावेजों में विकलांगता का जहां भी उल्लेख किया जाता है वहाँ इसे व्यक्तिगत मॉडल के नजरिए से देखा जाता है। विकलांग व्यक्तियों को 'वंचित समूह' या विशेष जरूरतों वाले 'विशिष्ट समुदाय' के रूप में देखा जाता है। जब भारत के आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ में विकलांगता का कोई जिक्र नहीं है तो भी भारत ने वह २००७ में सीआरपीडी की पुष्टि की है। हाल के वर्षों में भारत में और अन्यत्र कार्यरत कई गैर-सरकारी संगठनों ने

मानवीय कार्यों में विकलांगता के सवाल की ओर ध्यान आकर्षित किया है, और उससे संबंधित जानकारी सूचना, पुस्तिका और प्रशिक्षण - सामग्री के रूप में प्रस्तुत की है। आपदा प्रबंधन और तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रम और सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांगता के मुद्दे को पर्याप्त रूप में शामिल नहीं किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए, उनके सामने आ रही सामाजिक, संस्थागत और स्थितिजन्य बाधाएं उनकी कमियों से भी अधिक समस्या हैं। यदि सामाजिक - आर्थिक बहिष्कार और ढांचागत असमानताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाए तो जोखिम और आपात स्थितियों में विकलांग लोगों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयां वहीं की वहीं रहेंगी। आपदा प्रबंधन अनुसंधान, नीति और संचालन अब आपदा को परिस्थिजन्य या पर्यावरण संबंधी बाधाओं के परिणाम के रूप में नहीं देखते, लेकिन मानव गतिविधि के परिणाम के रूप में भी देखती हैं। तब जोखिम की स्थिति में जीने वाले गरीब समुदायों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सामाजिक मॉडल अवधारणा के संदर्भ में विकलांगता की अवधारणा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार, आपदा प्रतिक्रिया, पुनर्वास और मुआवजे के सभी चरणों में व्यक्तियों की सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता के अध्ययन और आपदा प्रबंधन के बीच सूचना का आदान-प्रदान आवश्यक है। विकलांग व्यक्तियों को योजना और तैयारियों के सभी स्तरों में शामिल करना विकलांग व्यक्तियों के नजरिए से आपदा को देखने का सबसे प्रभावी तरीका है।

आपदा के बाद का चरण सामाजिक-आर्थिक और ढांचागत असमानता पर ध्यान केंद्रित करके और समावेश के लिए अवसरों को बढ़ाकर विकलांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में के मददगार हो सकता है। समुदायों को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए सार्वत्रिक डिजाइन विशेषताओं को शामिल करके, मानवीय आपात स्थिति के बाद समुदाय में पुनर्गठन को समावेशी बनाया जा सकता है। इसके अलावा, विकलांग समुदाय को सतत विकास नीति और संचालन में शामिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं। विकलांग समुदाय शायद आपदा और विकास पेशेवरों की स्थिति, पर्यावरण और मानव का परस्पर परावलंबन के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।

पृष्ठ 20 का शेष

सकती है। बहिष्कार के पहलुओं की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से यह एक गंभीर प्रयास है, जो बहिष्कार की मात्रा को समझने के लिए उपयोगी हो सकता है और विकलांग व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के सभी पहलुओं में शामिल किए जाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

उपसंहार

इस अनुसंधान में समावेशकता की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया है। बहिष्कार के विभिन्न रूपों को समझने पर ही समावेशकता को बेहतर समझा जा सकता है। बहिष्कार भेदभाव के विभिन्न रूपों का एक मुख्य परिणाम है। ऐसे तो भेदभाव एक मुख्य प्रश्न है, जिसके कारण विकलांग व्यक्तियों का जीवन के सभी चरणों में बहिष्कार किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के दैनिक जीवन में हर स्तर पर बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। उन्हें परिवार, खेलकूद, समकक्ष समूहों, शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों, कानूनों, धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक गतिविधियों, राजनीति, पारिवारिक जीवन आदि से बाहर रखा जाता है।

यहां समावेशकता के विभिन्न पहलुओं द्वारा समावेशकता की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य साथियों की तरह यह समझना जरूरी है कि गौरवपूर्ण जीवन कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें भी अपने विकलांग व्यक्तियों के लिए गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। वे अपने परिवार में खेलकूद में, स्कूल, काम के स्थानों, गतिविधियों, सार्वजनिक स्थानों, दोस्तों, बैठकों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं, कानूनों, नीतियों, संस्थानों, पूजा स्थलों, अनुष्ठान, सार्वजनिक सम्मेलनों, निर्णय लेने वाले निकायों के समूहों और इसमें शामिल होना चाहते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार: एक ऐसा मुद्दा जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता

यह लेख **श्री अम्बा सालेलकर** द्वारा तैयार किया गया है। वे चेन्नई में स्थित 'समावेशी विकलांगता कानून और नीति केंद्र' के साथ जुड़े वकील हैं। इस लेख का उद्देश्य संसद के पिछले सत्र में पेश और आगे की जांच के लिए संसदीय समिति को प्रस्तुत विकलांग व्यक्ति अधिकार विधेयक-२०१४ के बारे में हाल ही आयोजित चर्चा पर प्रकाश डालना है।

विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पिछले तीन महीने काफी ऊहापोह वाले थे, पहले, मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत और संसद के सदनों के समक्ष प्रस्तुत विकलांग व्यक्ति अधिकार विधेयक-२०१४ में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ा।

श्री संतोष कुमार रुंगटा (राष्ट्रीय अंधजन फेडरेशन के प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो स्वयं प्रज्ञाचक्षु हैं), के प्रयासों के आधार इस बिल को सार्वजनिक किया गया था। १२ दिसंबर, २०१३ को कैबिनेट द्वारा पारित किये बदलावों के सामने कई कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। बिना किसी विरोध के यह बिल पारित नहीं हो जाए इस डर के साथ हमने राज्यसभा टीवी का सीधा प्रसारण देखा था। आखिरकार, हमारी सोच के अनुसार, इस मामले को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है और नई सरकार बनने के बाद हम स्थायी समिति की सिफारिशों को पूरा करने की ओर ध्यान देंगे, उसी वक्त हमने सोच लिया था कि इस बिल को कानून बनाने की बातें पानी में बह गयी हैं। हजारों प्रदर्शनकारी विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर गए थे और पुलिस की बर्बरता बर्दाश्त की थी, तब राष्ट्रपति ने अध्यादेश पारित करने से इनकार कर दिया।

२०१० में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नया विकलांग बिल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) की सहमति से समिति की रचना की थी। कानून बनाने वाली इस नई समिति की अध्यक्ष डॉ. सुधा कौल (उपाध्यक्ष, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, कोलकाता) थी, और उसमें विभिन्न विकलांगों और संगठनों के प्रतिनिधि - सदस्य शामिल थे। समिति के दो सदस्यों ने इस आधार पर इस्तीफा दे दिया कि समिति द्वारा सभी विकलांग व्यक्तियों की पूरी कानूनी क्षमता (अन्य लोगों के साथ समानता के आधार पर निर्णय लेने का समान अधिकार) के अधिकारों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया था। मुख्य संगठनों के कई समूहों ने इस अधिकार के सामने विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सहायता के साथ आरक्षण के मुद्दे को उठाया था। 'विकलांगता अध्ययन केंद्र, नालसर विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, द्वारा संकलित इस प्रारूप को जून, २०११ में प्रस्तुत किया गया था।

इस कानून पर विचार करने के बाद मंत्रालय ने सितंबर, २०१२ में कानून के संशोधित प्रारूप के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से सूचना नहीं मंगवाने के बावजूद कई समूहों ने कुछ सिफारिशों पर अपने विचार व्यक्त किए थे और उसके बाद इस प्रारूप को मौजूदा स्वरूप देने से पहले अप्रैल, २०१३ में देश के राज्यों से अगस्त, २०१३ में अन्य मंत्रालयों को भेजा था।

बिल का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को बिल के विरोध में तेजी लाने का पूरा अधिकार था। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, १९९५ में विकलांग व्यक्तियों को काफी सीमित अधिकार दिए गए थे।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम -१९९५ और भारतीय संविधान का आधार लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, बौद्धिक विकलांग महिलाओं को प्रजनन अधिकारों के बारे में (सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, २००९), सरकारी क्षेत्रों में तीन फीसदी आरक्षण के नियम की व्याख्या (भारत संघ बनाम राष्ट्रीय अंधजन फेडरेशन, २०१३) और राजनीतिक भागीदारी (विकलांग

अधिकार समूह बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, २००७) जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले उदाहरण के रूप में हैं। इन ऐतिहासिक फैसलों के कारण, प्रस्तावित बिल विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में हुई प्रगति को मानता है।

उदाहरण के लिए एक बौद्धिक विकलांग युवती २००९ में चंडीगढ़ के नारी निकेतन में रहती थी, उस दौरान उसके साथ बलात्कार किया गया और वह गर्भवती हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गर्भावस्था को जारी रखने की अनुमति दे दी जिसके चलते गर्भावस्था चिकित्सा समाप्ति अधिनियम, १९७१ के तहत मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के बीच अंतर स्पष्ट किया गया।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, १९९५ 'मानसिक रूप से बीमार' महिला के मामले में उसकी सहमति के बिना गर्भपात की अनुमति प्रदान करता है, जो यूएनसीपीआरडी के अनुसार भेदभावपूर्ण है। अदालत ने तय किया कि वह औरत मानसिक रूप से बीमार नहीं थी, वह मानसिक रूप से मंद थी, इसलिए गर्भावस्था के बारे में निर्णय करने के लिए वह अपनी कानूनी क्षमता का इस्तेमाल कर सकती थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि महिला के संरक्षक होने के कारण राज्य ने उस महिला की ओर से गर्भपात का निर्णय लिया था इसलिए गर्भपात कराया गया था।

इस प्रगतिशील फैसले के खिलाफ नए बिल की धारा -१०६ (एफ) के अनुसार महिला के गंभीर रूप से विकलांग होने पर उस युवती के अभिभावक की सहमति के साथ पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उस युवती की सहमति के बिना गर्भपात कराया जा सकता है। इस नए बलि में गंभीर रूप से विकलांग का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया। यदि यह बिल अपने मौजूदा रूप में पारित हो जाए तो सभी विकलांग महिलाओं की प्रजनन इच्छा खतरे में पड़ जाएगी।

नया बिल यूएनसीपीआरडी के प्रावधानों को लागू करने का दावा करता है, लेकिन यह उसके प्रमुख मूल्यों को समझने में नाकाम रहा है। विकलांगता की समझ विकलांगता के चिकित्सा मॉडल से हटकर शरीर और मन के दोष पर स्थिर हो गई है, और इसलिए उसे सुधारने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और शारीरिक बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। भारत में विकलांग व्यक्तियों के प्रति दो प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाया गया है या तो उन्हें संस्थागत किया गया है (WDA अभी भी मौजूद हैं) या विकलांग व्यक्तियों रॉयल्टी द्वारा नियमित रूप से अनुदान और दान दिया जाता था।

नए बिल में खास विकलांगतावाली महिलाओं को उचित प्राथमिकता देने के लिए यूएनसीपीआरडी से सभी संबंधित योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में कृषि भूमि और आवासों का आवंटन करने में पांच प्रतिशत आरक्षण के अधिकार के खिलाफ सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। दान के दृष्टिकोण से यह बहुत लाभदायक सिफारिश है। परंतु सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से यह निरुत्साहित करने वाली सिफारिश है। जिन विकलांग व्यक्तियों को कानूनी क्षमता प्रदान नहीं की गई हो वे उनके सशक्तिकरण की व्यवस्था के बिना स्वामित्व विलेख निष्पादित नहीं कर सकते। एक अन्य उदाहरण विकलांग महिलाओं का है जिन्हें दोहरा भेदभाव सहन करना पड़ता है - लिंग और विकलांगता से संबंधित। नया बिल विकलांग महिलाओं से होने वाले भेदभाव के स्रोतों को स्वीकार नहीं करता और नए बिल में इन भेदभावों का मुकाबला करने या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

तीसरा उदाहरण रोजगार के प्रावधान के साथ जुड़ा हुआ है। इस बिल के मुताबिक, कोई विकलांग व्यक्ति क्या काम करेगा उसका निर्णय सरकार करेगी और आरक्षण कोटा के तहत नामित लोगों को वह काम दिया जाएगा।

इस तरह, उनकी विकलांगता के अनुसार यूएनसीपीआरडी के अनुकूल काम नहीं करने के खिलाफ सरकार उन्हें बचाएगी। यूएनसीपीआरडी सिद्धांत ने अत्यधिक बोझ नहीं लादकर आवश्यक और उचित सुधार का सुझाव दिया है। रोजगार के उचित अवसरों की उल्लेखनीय क्षमताा में तेजी लाने की आवश्यकता की अनदेखी की गई है। इसके पीछ भावना यह है कि इस कोटे के तहत आने वाले कई विकलांग

व्यक्तियों को कई रोजगार प्रदान करके सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है इसके अलावा व्यवस्था करना अनावश्यक है। सचमुच, पात्रता के आधार पर उसकी इच्छा के अनुसार पद पर काम करने के लिए सक्षम बनाने का अधिकार ही सशक्तिकरण है।

इस बिल में निश्चित आय स्तर वालों को नजदीकी क्षेत्रों में निः शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार है, बिना बाधा के स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार है तथा उपचार में प्राथमिकता का अधिकार है। यह बिल बहुत उपयुक्त और आकर्षक लग रहा है, लेकिन यूएनसीपीआरडी के प्रावधानों की तुलना करने पर लगता है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों में अभी तक बहुत कुछ जोड़ा जा सकता था। वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया से पहले रोगी से प्राप्त की जाने वाली सहमति गार्जियन से मांगी जाती है। चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य करना चाहिए कि वे जानकारी इस तरह से प्रदान करें कि उसे विकलांग व्यक्ति समझ सकें, और लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकलांग व्यक्ति इस जानकारी का उपयोग स्वयं निर्णय लेने के लिए कर सकें। स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रावधानों में, विकलांग व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह के प्रावधान से विकलांग व्यक्ति अत्यधिक वित्तीय लागत के बारे में चिंता किए बिना अपना विकल्प चुन सकेंगे।

यूएनसीपीआरडी का एक सिद्धांत समावेशी निर्णय लेने के बारे में है हमारे मामलों में हमारी भागीदारी। बिल को सार्वजनिक करने और संसद के सत्र के बीच की अवधि बिल के बारे में विकलांग व्यक्तियों की राय इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त नहीं होने के कारण सिर्फ कुछ गिनती के कार्यकर्ता ही सीमित सुधारों का मांग कर सके थे। हालांकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी सुधार बिल को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उदाहरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में, बिल के अनुसार, सरकार से वित्त पोषित शिक्षण संस्थान ही समावेशी शिक्षा की आपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं। इसमें अन्य संस्थानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। धारा ३० में उल्लेखनीय विकलांगता की श्रेणियों में आने वाले और ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए यह प्रावधान उपयोगी नहीं है। इसकी एक धारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के प्रावधानों को अलग करती है और सूचित करती है कि सरकार को (माता-पिता को नहीं या बच्चे को भी नहीं) उचित लगे तो बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को अस्वीकार किया जा सकता है और विशेष शिक्षा के लिए भेजा जा सकता है, जो यूएनसीपीआरडी और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का उल्लंघन है।

इसके अलावा, कार्यकर्ताओं ने अन्य कई प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई है, जैसे कि आवश्यक उपलब्धता का प्रावधान सिर्फ सरकारी संस्थानों पर लागू होता है, निजी संगठनों पर नहीं। नया बिल परिवहन की उपलब्धता को भी सीमित करता है बिल में, तकनीकी रूप से संभव, और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित हो, आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक हो और डिजाइन की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक न हो, केवल उसी उपलब्ध परिवहन की पैरवी की गई है। परिवहन को उपलब्ध कराने के लिए लागत और डिजाइन में संरचनात्मक परिवर्तन करना जरूरी है, और इसलिए इन प्रावधानों से उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। बिल की धारा-१०० के मुताबिक, अन्य कोई कानून जिस अवधि के लिए प्रभावी होगा उस दौरान अतिरिक्त रहेंगे, इस तरह कई अन्य कानून कानून की किताब में यथावत रहेंगे, जिसमें कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभाव के शिकार लोगों के लिए १७ राष्ट्रीय और ४० राज्य कानूनों को भी शामिल किया गया है।

हालांकि, बिल में सबसे दोषपूर्ण मुद्दा आम जनता में विकलांगता को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। यूएनसीपीआरडी पहले से विकलांग व्यक्तियों में गौण विकलांगता को रोकने के बारे में बात करता है। भारत में कुपोषण और बीमारियों की वजह से कई विकलांगताओं को रोका जा सकता है - लेकिन रोकने के पहलुओं का विशिष्ट अधिकार सशक्तिकरण से संबंधित मंत्रालय का नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय का है। विकलांगता को रोकने के उद्देश्य से काम करने वाले बहुत से लोगों का मत है कि इस कानून के तहत 'विकलांगता की रोकथाम' का लक्ष्य स्वास्थ्य के लिए सभी संसाधनों का आवंटन करके 'जन्म पूर्व परीक्षण' की ओर मोड़ देगा, क्योंकि दुनिया को विकलांगता के लिए अनुकूल बनाने की तुलना में

विकलांगता को दूर करना अधिक आसान है।

संसद के पिछले सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन चालू थे तब एक दलील यह आई कि विधेयक को अपने मौजूदा रूप में पारित किया जाना चाहिए, और स्वतंत्र समस्याओं को बाद में संशोधन द्वारा सुलझाया जा सकता है। लेकिन, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, १९९५ का अनुभव कोई विशेष प्रोत्साहित नहीं था - १९९६ में केवल सुधारों के उद्देश्य से समिति का गठन करने के बावजूद, अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

खामियों की अनुसूची और व्यापक परिभाषा (जिसमें कुल १८ शामिल हैं, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, १९९५ में सिर्फ ७ कमियों को शामिल किया गया) अन्य विकलांग व्यक्तियों को कानून के तहत कवर किया जाएगा और वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के हकदार होंगे, इस आधार पर कार्यकर्ताओं ने बिल बनाने के काम का समर्थन किया था। इन खामियों और इस तरह की अन्य कमियों को मान्यता प्राप्त होना चाहिए, लेकिन रातोंरात इस स्थिति को बदलना संभव नहीं है। नए बिल में ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, अंधापन, बहरापन, मल्टीपल स्कलेरोसिस, हेमोफिलिया, बौद्धिक विकलांगता, मांसपेशी डाईस्ट्रॉफी, सीखने से संबंधित विशिष्ट विकलांगता, बोलने और भाषा की विकलांगता, थेलसेमिया, सिकल सेल रोग और निश्चित विकलांगता के रूप में एक से अधिक विकलांगता को शामिल किया गया है।

'निश्चित विकलांगता' के लेबल के साथ विकलांगता का प्रतिशत भी महत्वपूर्ण है - रोजगार और उच्च शिक्षा में आरक्षण की वृद्धि प्रतिशत सहित विधेयक के तहत अधिकांश लाभ केवल 'निश्चित विकलांगता' वाले लोगों को ही मिलते हैं जिनका विकलांगता का प्रतिशत ४० प्रतिशत से अधिक प्रमाणित किया गया हो।

इससे पहले १९९५ के अधिनियम के तहत प्रमाणित व्यक्तियों के लिए आरपीडी बिल की धारा -११७ में बताया गया है कि १९९५ का अधिनियम रद्द कर दिया गया है तब कथित अधिनियम के तहत कोई भी काम किया गया हो तो, वह उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई गिनी जाएगी। हालांकि, इस मंजूरी से पिछले कानूनों को रद्द करने वाले अन्य कानूनों, जैसे मोटर वाहन अधिनियम १९८९ (धारा -२१७ (२) (बी) और दी ट्रेडमार्क अधिनियम, १९९९ (धारा -१५९) से अलग, यह धारा रद्द कानून के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों को स्पष्ट रूप से वैधता प्रदान नहीं करती। इस स्पष्टता के अभाव में पहले जारी किये प्रमाण पत्रों स्वीकार्यता और प्रामाणिकता के बारे में अनिश्चितता व्याप्त रहती है।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, १९९५ के तहत जारी विकलांगता के प्रमाणन के बारे में दिशानिर्देशों को तैयार करने में सरकार को छः साल लग गए थे, और नये प्रमाणीकरण में कितना समय लगेगा इसका कोई अनुमान नहीं है। संभावित भ्रांति के लिए दो मुद्दे विशेष ध्यान खींचते हैं: नया विधेयक 'मानसिक मंदता' की स्थिति को रद्द करता है, और 'बधिरता' और 'अंधापन' को एक ही विकलांगता के रूप में देखता है, एक से अधिक विकलांगता के रूप में नहीं। इन कमियों को पुराने प्रमाण पत्र के साथ नए कानून के तहत किस तरह इस स्थिति पर ध्यान देने का लगातार स्पष्टता का अभाव रहता है।

इसके अलावा, लाभ देने के साथ-साथ नुकसान देने वाले कानून की छत्र छाया में सैंकडों लोगों को शामिल करना उचित है या नहीं, यह एक पेचीदा सवाल है। इस अधिनियम में अधिकार दिए गए हैं तो सामने बुनियादी अधिकार भी छीन लिए गए हैं।

कार्यकर्ताओं और संसद सदस्यों के प्रयासों के माध्यम से, वर्तमान स्थिति यह है कि विधेयक पेश किया गया है, और चुनाव के बाद उसे विचार के लिए स्थायी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। स्थायी समिति इस बिल में जो बदलाव करेगी उसकी अटकलें लगाई जा सकती हैं। एक समुदाय के रूप में हमारे देश के विकलांग लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक दस्तावेज स्थायी समिति को दे सकते हैं। समाज के इस वर्ग की मांग और विकल्पों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना और उनकी स्वीकृति के लिए नई सरकार पर दबाव लाना समुदाय के लिए एक चुनौती है।

सर्वसमावेशी और विकलांगता-केंद्रित आपदा जोखिम में कमीः एक रणनीतिक योजना और मध्यस्थता आधारित मामले

'उन्नति' की **सुश्री दीपा सोनपाल** और मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय, डेनमार्क में वैश्विक पोषण और स्वास्थ्य विषय की सहायक प्रोफेसर **डॉ. सुश्री वनमाला हीरानंदानी** द्वारा लिखे इस लेख में आपदा जोखिम में कमी करने में विकलांगता के मुद्दों को शामिल करने की पृष्ठभूमि दी गई है, और इसके लिए मार्गों को वैश्विक पहल और मानकों के संदर्भ में सुझाव दिया गया है। इस लेख में यह बताया गया है कि सभी के लिए हर जगह अवरोधमुक्त वातावरण सृजित करने के लिए सबकी भागीदारी के साथ प्रयासों को कैसे किया जाना चाहिए।

प्रस्तावना

विकास की प्रक्रिया से बाहर रह गए असहाय और वंचित समूहों में विकलांग व्यक्ति, विशेष रूप से आपदा स्थितियों में सबसे अधिक अलग-थलग पड़ जाते हैं। विकलांगों को आपदा का अधिक असर होता है और विकलांगता के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विकलांग लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। इस बारे बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन सबूतों से पता चलता है कि विकलांग लोग अल्पकालिक राहत और लंबी अवधि के पुनर्वास कार्यक्रम, दोनों में अधिकांशतः बाहर रह जाते हैं और वंचित रह जाते हैं। इस लेख में, आपदा जोखिम में कमी के लिए विकलांगता के मुद्दे को शामिल करने की वकालत की गई है। इसका उद्देश्य हिताधिकारियों की साझेदारी के द्वारा समावेश के प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक मध्यस्थता से नए विचारों को पैदा करना रखा गया है।

१. संसाधन प्राप्त करने में भेदभाव

आपदाओं और विपत्तियों की स्थिति में मानव संसाधन और वित्तीय संसाधनों की कमी होती है और संचार व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसमें विकलांग लोगों के प्रति सबसे अंत में ध्यान दिया जाता है, और उन्हें सबसे अंत में सूचना दी जाती है। राहत उपलब्ध कराने वाले संगठन अन्य अस्तित्वलक्ष्यी जरूरतों पर अधिक ध्यान देते हैं और विकलांग लोगों की अधिकांश जरूरतों को अक्सर अनदेखी की जाती है। विकलांग लोगों की वैसे ही कोई आवाज नहीं होती है और इसलिए उनकी अनदेखी करने और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने की संभावना रहती है। महिलाओं, लड़कियों, कई तरह की विकलांगता वाले लोगों और मानसिक बीमारी वाले लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की संभावना रहती है। इस तरह से उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती, और उन्हें भोजन, पानी, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती। यह सब उनके शारीरिक दोष, बाधाओं और जानकारी की कमी के कारण होता है।

२. संवेदनशीलता की कमी और अदृश्यता

विकलांग लोगों को सामाजिक कलंक की मान्यता, सांस्कृतिक मानस और विश्वासों के कारण भारी वंचितता और अवहेलनाओं का अनुभव करना पड़ता है। भारत जैसे देश में तो यह कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। आपदा की स्थितियों में तो यह प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है क्योंकि संसाधनों की कमी हो जाती है और बड़ी लड़ाई में कम शक्तिशाली लोग हार जाते हैं। इसलिए, विकलांग व्यक्तियों को अदृश्य कर रहे हैं। जो लोग विकलांग हैं और जो लोग आपदा की वजह से विकलांग हो गए हैं वे सभी विकलांग व्यक्ति आपदा के बाद की कार्रवाई में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। आपातकालीन स्थितियों में विकलांग व्यक्तियों को परिवारों और समुदायों द्वारा छोड़ दिया जाता है। उन्हें स्थानांतरण, प्रतिक्रिया और पुनर्वास की प्रक्रिया में साथ नहीं रखा जाता। राहत और पुनर्वास कार्य करने वाले संगठन भी संसाधनों की कमी के कारण उन पर ध्यान नहीं देते और इस स्थिति में जो करना चाहिए उसके बारे में भी उनका अपना ज्ञान सीमित होता है।

३. मौजूदा नीतियों का खराब प्रवर्तन

कई अध्ययनों ने यह साबित कर दिया है कि विकलांग व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अन्याय और भेदभाव का अनुभव करते हैं। इसका कारण उनके लिए कानूनों और नीतियों का ठीक से कार्यान्वयन नहीं होता है। आपातकाल में तो यह चरम सीमा पर पहुंच जाता है क्योंकि

कानून एवं व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता और सभी को अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी होती है। ऐसे समय पर विकलांग व्यक्तियों को आम तौर पर बाहर रखा जाता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आम तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए बजट में जो पैसा आंवटित किया जाता है उसका पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कानूनों में जिस तंत्र की व्यवस्था की जाती है उसके कार्यान्वयन के लिए कोई निगरानी प्रणाली नहीं होती और इसलिए उसका कार्यान्वयन नहीं होता।

रणनीतिक मध्यस्थता

व्यवहार में जो मध्यस्थताएं की गई हैं उनके अनुभव के आधार पर और उन पर आपदाओं में विकलांग लोगों की जो स्थिति होती उसके आधार पर हम निम्नलिखित रणनीतिक मध्यस्थता का सुझाव देते हैः

१. सभी के लिए अवरोध-मुक्त वातावरण का सृजन

आदर्श बात यह है कि सभी सार्वजनिक स्थानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां सभी लोग आ-जा सकें। परंतु कई बार ऐसा नहीं होता। इसलिए सरकार द्वारा निर्मित सभी भवन और निजी डेवलपर्स द्वारा निर्मित सभी भवन वृद्धों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और विकलांगों सभी के लिए पहुँचक्षम होने चाहिए और फिर से निर्माण कार्य की जरूरत हो तो वह भी करना चाहिए। इस काम में यूनिवर्सल डिजाइन के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें वास्तुकारों, डिजाइनरों, सरकारों, इंजीनियरों, योजनाकारों, बिल्डरों, डेवलपरों, कंपनियों आदि को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विकलांगों और उनके संगठनों को निर्णय प्रक्रिया के सभी चरणों में शामिल किए जाने की जरूरत है। विकलांगों के समूहों सहित सभी समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहुँच का काम ढलान बनाने से शुरू हो और उस पर ही खत्म हो जाए। इसमें लिफ्ट, संकेत, निशान, रास्ते और गलियारों, दरवाजों और खिड़कियों, खेल और मनोरंजन के क्षेत्रों, पैदल पथ और क्रॉसिंग और क्रॉसिंग, परिवहन व्यवस्था आदि को शामिल किया जाना चाहिए।

२. निर्णय लेने की प्रक्रिया के सभी स्तरों पर विकलांग और उनके संगठनों की भागीदारी

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न चरणों यानि राहत, पुनर्वास, रोकथाम और आपदा का सामना करने में विभिन्न प्रकार की तैयारी में विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। हर चरण में हर तरह के विकलांग व्यक्तियों और उनके संग नों को शामिल करना चाहिए। उनकी भागीदारी नियोजन, निगरानी और नीति निर्माण में होनी चाहिए ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इन सभी विकलांग लोगों में नेत्रहीन लोगों, पूरी तरह से नेत्रहीन व्यक्तियों, बहरे व्यक्तियों, बोलने में अक्षम व्यक्तियों, पक्षाघात वाले व्यक्तियों आदि को शामिल किया जाता है। इन सबको निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

३. सभी वंचित समूहों को जानकारी देने वाले साधनों का विकास

विकलांग व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहते हैं और उन्हें कई बार संचार के विभिन्न साधनों की जरूरत पड़ती है। आपदा की पूर्व जानकारी विकलांगों तक पहुंचाने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है और इसे इस तरह से दी जानी चाहिए कि यह सभी प्रकार विकलांग व्यक्तियों तक पहुँचे। ब्रेल लिपि में, स्पर्श नक्शे में, ऑडियो-विजुअल साधनों में और संकेतों में, सांकेतिक भाषा में, बड़े अक्षरों में यह जानकारी पहुंचाना आवश्यक है ताकि यह आसानी से पढ़ी और समझी जा सके। इसमें से बहुत सारी सामग्री को विकलांग लोगों के संगठनों के साथ विचार-विमर्श करके विकसित की जानी चाहिए, ताकि आपदा के दौरान उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। विकलांगों और उनके परिवारों के लोगों को पूर्व चेतावनी प्रणाली का लाभ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उन्हें राहत सेवाओं और चिकित्सा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।

इसके अलावा, उन्हें मानसिक-सामाजिक देखभाल सलाह और उसके लिए जरूरी साधन भी मिलने चाहिए। कई बार आपदा के दौरान, ये साधन खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और इसलिए ये उन्हें फिर से उपलब्ध होने चाहिए। उन्हें क्षतिपूर्ति पैकेज, राहत शिविरों, अस्थाई आवास स्थानों और स्थायी आवास, आदि की जानकारी भी मिलनी चाहिए। उन्हें समुदाय की गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए, उन्हें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा मिलनी चाहिए और जीवन निर्वाह के अवसर मिलने चाहिए। यह तभी संभव है जब उनके बारे में जानकारी समय पर मिले। अगर यह सूचना और सेवाएं नहीं मिलें तो विकलांग लोग एक बार फिर से अधिक गरीबी में

धकेल दिए जाते हैं और फिर उनके पुनर्वास के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है।

४. वर्तमान आपदा जोखिम में कमी की योजना और मध्यस्थताओं में विकलांगता के मुद्दों को शामिल करना

अभी तक विकलांगता के मुद्दे को अभी तक चिकित्सा दृष्टिकोण से ही देखा जा रहा था जिसमें केवल शारीरिक दोष को दूर करना या सुधार करना शामिल होता है। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और चिकित्सक इसमें हावी रहते हैं। विकलांग लोगों की जरूरतें, उनके हित और उनकी आकांक्षाएं मानवीय होती हैं और अन्य मनुष्यों के समान होती हैं। राहत, पुनर्वास, आपदा का सामना करने की तैयारियों और लंबी अवधि के आपदा जोखिम में कमी करने की योजनाओं और सभी कार्यक्रमों में विकलांगों और महिलाओं को शामिल करना चाहिए। विकलांगता में लोगों और महिलाओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसे तो सतत होता रहना चाहिए।

५. असहायता में कमी के लिए हितधारकों की क्षमता वर्धन और उसमें महिलाओं और विकलांगों पर ध्यान देना

विकलांगता के सामाजिक मॉडल में यह स्वीकार किया गया है कि यह समाज में जो अनके बाधाएं हैं वे विकलांग व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया को सीमित कर रही हैं। इसलिए विभिन्न हितधारकों को इस बारे में उन्मुख और संवेदनशील बनाना जरूरी है कि एक की विकलांगता एक विकास लक्ष्यी मुद्दा है और गरीबी कम करने के मुद्दे पर विकलांग लोगों के योगदान को शामिल करना आवश्यक है। अनुभवों से पता चलता है कि कई बार हितधारकों, सिविल सोसायटी और सरकार को पता ही नहीं होता कि विकलांगता को शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए और यह कैसे करना चाहिए। विकलांगों, उनके संगठन और पुनर्वास संस्थाओं का समन्वय सरकार, चिकित्सकों, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों, वास्तुशास्त्रियों, डिजाइनरों, सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं और शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ होना आवश्यक है ताकि में सेवाओं के समन्वय हो और विकलांगता के तकनीकी पहलुओं के बारे में समझ पैदा हो और विकलांगता, महिलाओं और आपदा जोखिम में कमी पर शोध के बारे में अनुसंधान हाथ में लिया जाए।

६. गांव से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आपदा जोखिम में कमी के लिए विकलांगों को शामिल किए जाने के लिए लॉबिंग करना और वकालत करना

अधिकांश विकास लक्ष्यी संगठनों ने अभी भी विकलांगता को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया है। हालांकि, सामाजिक मॉडल के आगमन के साथ व्यक्ति केंद्रित स्वास्थ्य और कल्याण लक्ष्यी दृष्टिकोण अब दूर तो हुआ है। आपदा स्थितियों में विकलांगता को मुख्यधारा का मुद्दा बनाने के अधिकांश उदाहरण प्रतिक्रियाशील हैं, क्रियाशील नहीं हैं। विकलांग व्यक्तियों को आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद शामिल किया जाना चाहिए। आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन में ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (२००५-१५) में जो स्वीकार किया गया है उसमें भी प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया को सुरक्षित बनाने की बात है लेकिन उसमें भी विकलांगता को शामिल नहीं किया गया है।

हालांकि, कुछ अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा जिन स्फीयर मानकों को स्वीकार किया गया है वे मानवीय सहायता के लिए हैं। इसमें पीड़ित लोगों की गुणवत्ता युक्त सहायता के लिए एक तंत्र बनाने के लिए के कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा, राज्यों की जवाबदेही बनाने के लिए प्रयास करना होगा। स्फीयर मानकों में विकलांगों के साथ ही बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और एड्सग्रस्त लोगों को भी शामिल किया गया है। इन मानकों में आकलन, प्रतिक्रिया, लक्ष्यांकन निगरानी और मूल्यांकन, सभी समूहों का प्रतिनिधित्व और कुछ मानकों भागीदारी से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है। इन मानकों में सहायता पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं की क्षमता और जिम्मेदारियों, प्रबंधन, सहयोगी स्टाफ आदि जैसी बातें शामिल की गई हैं। २००७ में बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विकलांगता को शामिल करने के लिए स्पष्ट रणनीति तैयार की गई थी। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को भी उसमें शामिल किया गया था। आपदा का सामना करने की तैयारी और आपदा के बाद की पुनर्निर्माण गतिविधियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास में यूनिवर्सल डिजाइन की अवधारणा के विकास को उसमें शामिल किया गया है।

शेष पृष्ठ 45 पर

द वीमन विद डिसेबिलिटीज इंडिया नेटवर्क (डब्ल्यूडब्ल्यूडीआइएन) भारतीय विकलांग नेटवर्क के साथ महिलाएं

विकलांग महिलाओं ने संगठित होकर 'द वीमन विद डिसेबिलिटीज इंडिया नेटवर्क' नामक स्वतंत्र मंच का गठन किया है। इस समूह की शुरूआत 'शांता मेमोरियल सेंटर' (एसएमआरसी) द्वारा की गई थी। संगठन के सदस्य भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकलांग महिलाओं को पेश आ रही चुनौतियों को हल करने के लिए की २०-२५ साल से कार्यरत है। इस समय देश भर में इस संगठन के लगभग ५०० सदस्य हैं और वे विकलांगता के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। अहिंसक, न्यायपूर्ण और एक समान दुनिया बनाने के उद्देश्य से संगठित इस नेटवर्क का लक्ष्य लैंगिक मुद्दों पर काम करना है।

इस नेटवर्क की पहली बैठक अक्टूबर, २०१२ में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह काम दो स्तरों पर हो रहा है:

- आभासी (वर्चुअल) मंच के रूप में, जहां महिलाएं अपने विचारों का आदान - प्रदान करती हैं और कार्रवाई करने के मामले में तेजी से कार्य करता है।
- विशेष रूप से यह जरूरी है कि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं हैं वे महिलाएं भी अपने विचार पेश कर सकें, और जरूरी कदम उठा सकें। इससे संबंधित प्रश्नों पर जानकारी एकत्रित करने के लिए एक वर्ष से अधिक समया से देश भर में बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

सदस्यः यह पार-विकलांगता (सभी तरह की विकलांग महिलाओं के लिए) नेटवर्क है। यह विकलांग महिलाओं (डब्ल्यूडब्ल्यूडी) के लिए और उनके द्वारा संचालित किया जाता है। अन्य महिलाएं सहयोगी सदस्य के रूप में काम करती हैं, उन्हें निर्णय लेने या वे वोट देने का अधिकार नहीं होता। जाति, वर्ग, लिंग, शहर या गांव, प्रांत या विकलांगता का भेदभाव किए बिना वे डब्ल्यूडब्ल्यूडी के साथ काम करती हैं।

नेटवर्क के कामकाज पर चर्चा करने के साथ समूह निम्न बातों के बारे में जानकारी प्रदान चर्चा करता है:

महिला संगठनों के राष्ट्रीय संघ के नेतृत्व में भारत में महिलाओं द्वारा सीईडीएडब्ल्यू इंडिया अल्टरनेटिव रिपोर्ट तैयार की गई है। भारत से भाग लेने वाली महिलाओं के नाम हैं: मालिनी छीब, भार्गवी डावर, मैरी बरुआ, अनीता घई, शांति, अलुखा, अंजली अग्रवाल, रत्नबाली राय, राधिका एन अल्काजी, जीजा घोष, मीनाक्षी बी., इन्दुमति राव, मधु सिंघल, शिबानी गुप्ता, संध्या लिमये, मंजुलता पांडा, वी. जानकी, उषा महाजन, रीना मोहंती, सीमा बैंकर, सागरिका साहू, सुनीता देवी, सुजेट जे. टिट्स, सुदीप्ता मिश्रा, दीपा सोनपाल, किन्नरी देसाई, रीना जैन, रजनी खंडेलवाल, केतना मेहता, नीता पंचाल।

- दिल्ली में एक युवती पर बलात्कार की घटना के बाद नियुक्त वर्मा आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा आपराधिक कानून को बदलने के लिए सुझाव प्रदान किए गए थे।
- जब विश्व बैंक ने भारत में कानून के अनुसार पहुंच के सिद्धांतों का पालन नहीं किया तब कदम उठाए।
- उसके सदस्य सुश्री रशीदा, मंजू एसआरवीएडब्ल्यूए (महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सामाजिक रिपोर्टियर)ने भारत में आयोजित छह बैठकों में से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और इम्फाल में चार बैठकों में भाग लिया।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य नेटवर्क के साथ बातचीत की गई।
- विकलांगता मसौदा विधेयक २०१४ की हिमायत का काम दिल्ली में संसद के साथ चल रहा है।

सीईडीएडब्ल्यू के लिए रिपोर्ट

हमने विकलांग महिलाओं (सीईडीएडब्ल्यू) से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए तत्काल जरूरत पर जोर देने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की है। भारत सरकार ने १९९३ में सीईडीएडब्ल्यू को और २००७ में यूएनसीआरपीडी को अनुमति दी है। विकलांग

लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों पर दोनों सम्मेलन एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए इस रिपोर्ट में सीआरपीडी और सीईडीएडब्ल्यू के तहत दिखाई गई प्रतिबद्धताओं पर समिति से जानकारी की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा।

कानूनी ढांचाः विकास और कार्यान्वयन

भारत के संविधान का अनुच्छेत-४१, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है वह विकलांगता को स्पष्ट रूप से इस तरह की स्थिति को दर्शाता है जिसके लिए राज्य को शिक्षा, काम, आदि सहित कुछ बातों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास करना होगा। हालांकि, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद -१५ के तहत विकलांगता का उल्लेख असमानता के प्रतिबंधात्मक मानक के रूप में नहीं करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग (क्षतिग्रस्त) व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को वंचित समूह के रूप में पहचान की है, जिनको समानता के सिद्धांत समान रूप से लागू पड़ते हैं। हालांकि, भारत में मौजूदा कानूनी प्रणाली ने डब्ल्युडब्ल्यूडी एक तरफ धकेल दिया है। कानून के प्रावधानों में विशेष उल्लेख के बिना, और कानून प्रवर्तन और व्याख्या करने दोनों में डब्ल्यूडब्ल्यूडी की उपेक्षा की जाती है।

विवरण की कमी (सीईडीएडब्ल्यू जीआर ९, १९८९ और सीआरपीडी ३)

सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्रोतों से मिलने वाली जानकारी विकलांगता और लिंग के बारे में विवरण नहीं के बराबर मिलता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे राज्य के दैनिंदन डेटा कलेक्शन के प्रयासों में विकलांगता को शामिल नहीं किया जाता है। २००१ की जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण २००२ में विकलांगता पर उपलब्ध विवरण विकलांगता की समस्या और इसके जातिगत प्रभाव पर सीमित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। डब्ल्यूडब्ल्यूडी के खिलाफ हिंसा की उच्च व्यापकता के बावजूद सरकार द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त डेटा में उसका उल्लेख नहीं होता। स्कूल में बच्चों का प्रवेश करने वाले विवरण और डेटा में क्षतिग्रस्त (विकलांग) बच्चों की संख्या का पूरी तरह से सामान्य वर्गीकरण का लगातार अभाव होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश भर और जिलों में आयोजित सर्वेक्षण में भी विकलांग छात्रों को शामिल किए जाने की जानकारी नहीं मिलती।

भेदभावः अनुच्छेद २ (सीईडीएडब्ल्यू), अनुच्छेद ३ और ६ (सीआरपीडी)

नीतिगत स्तर पर विकलांगता केंद्रित और लिंग केंद्रित कार्यक्रमों और नीतियों में डब्ल्यूडब्ल्यूडी की उपेक्षा की जाती है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में निश्चित प्रावधान नहीं हैंः (१) शिक्षा और रोजगार में विकलांग व्यक्तियों के लिए ३ फीसदी का प्रावधान। (२) विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, १९५५ के अनुसार गरीबी समाप्त करने के सभी कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों को ३ फीसदी अनिवार्य आवंटन करना है। (३) शिक्षा के अधिकार (आरटीई) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीनरेगा) जैसे प्रमुख कार्यक्रम। (४) योजना प्रक्रिया या लैंगिक बजट नीति में डब्ल्यूडब्ल्यूडी का अलग विभाग नहीं है।

कानून के समक्ष समानता - अनुच्छेद १५ (सीईडीएडब्ल्यू) और अनुच्छेद १२ (सीआरपीडी)

डब्ल्यूडब्ल्यूडी को अभी तक वास्तविक आधार पर और अधिकार के रूप में समानता हासिल नहीं की है। विकलांगता के कानूनी ढांचे को कानूनी क्षमता पर एक भी अधिकार नहीं है। पारिवारिक कानून अधिकतर अस्थिर मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के बारे में, विरासत संबंधित, विवाह से संबंधित है। लोक अधिनियम, १९५० में मनो-सामाजिक विकलांग को वोट करने का मौलिक अधिकार भी नहीं दिया गया है। इन कानूनों के कुछ प्रावधान तानाशाही अभिभावकता वाले होते हैं। वसीयतनामा बनाना महिलाओं के लिए और उसमें भी डब्ल्यूडब्ल्यूडी के लिए एक समस्या होती है क्योंकि वसीयतनामा बनाने के लिए उनके सामने कई शर्तें रखी जाती हैंः १. बहरा, गूंगा और अंधा व्यक्ति तभी वसीयत बना सकता है उसे पता हो कि वह क्या कर रहा है। २. पागल व्यक्ति वसीयत नहीं बना सकता।

राजनीतिक अधिकार - अनुच्छेद ७ और अनुच्छेद २९

संविधान में 'अस्वस्थ मन' के स्तंभ में मनोवैज्ञानिक-सामाजिक,

बौद्धिक और आत्मकेंद्रित जैसी कुछ विकलांगता वाले पुरुषों और महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में ऐसे लोगों को मतदान के लिए और चुनाव में खड़े होने के लिए योग्य नहीं पाया है। १९५० के इस अधिनियम में इन असमानताओं को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। स्थानीय सरकार में शायद ही ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूडी होगी जिसमें महिलाओं के लिए ५० प्रतिशत सीटें निर्धारित की जाती हैं।

शिक्षण का अधिकार १० (सीईडीएडब्ल्यू) और अनुच्छेद २४ (सीआरपीडी)

२००१ की जनगणना के अनुसार, यह पाया गया था कि अधिकांश विकलांग व्यक्ति अनपढ़ थे। केवल एक तिहाई से कुछ ही अधिक डब्ल्यूडब्ल्यूडी (३७ प्रतिशत) साक्षर थी। सबके लिए शिक्षा के मुख्य कार्यक्रम 'सर्व शिक्षा अभियान' में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों में से ३० प्रतिशत विकलांग थी। शिक्षा के अधिकार के तहत क्षतिग्रस्त लड़कियों की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों के कोई ठोस सबूत नहीं है।

एक से अधिक क्षति वाली, बौद्धिक विकलांगता वाली, बोलने और सुनने की विकलांगता वाली लड़कियों को स्कूल में प्रवेश कराने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने का स्तर काफी कम पाया गया है। मुख्य रूप से संप्रेषण में बाधाएं और शिक्षा कारणों के लिए अनुकूल माहौल की कमी जैसे कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूडी को भी उसके अन्य भाई व बहनों की तरह समान स्तर पर शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है इस जागरूकता का भी परिवारों में अभाव है। सुरक्षित परिवहन विकल्प की कमी के कारण शायद ही विकलांग लड़कियां स्कूल तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा, स्कूल में शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी भी विकलांग बालिकाओं के शिक्षा के रास्ते में एक बड़ी बाधा खड़ी करती है। इसके अलावा, गांवों में शौचालयों की कमी के परिणामस्वरूप विकलांग लड़कियों का यौन उत्पीड़न होता है। सबला जैसी योजनाओं में भी विकलांग लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल नहीं है।

काम और रोजगार - अनुच्छेद ११ (सीईडीएडब्ल्यू) और अनुच्छेद २७ (सीआरपीडी)

डब्ल्यूडब्ल्यूडी को सही अर्थों में सक्षम और सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना आवश्यक है। हालांकि, उन्हें उत्पादन कार्य करने में असमर्थ और समाज के लिए बोझ मानकर मुख्य धारा कार्यशक्ति में से बाहर रखा जाता है। कई लोग डब्ल्यूडब्ल्यूडी को गृहिणी की पारंपरिक भूमिका के लिए अनुपयुक्त पाते हैं और श्रम कार्यकर्ता की नई भूमिका के लिए अनुपयुक्त मानते हैं इसलिए भूमिका (सीईडीएडब्ल्यू अनुच्छेद-५ का उल्लंघन)। इसके अलावा, उनमें बुद्धि की कमी होने की मानसिकता कार्य बाजार में उनके विकास और अवसर को अवरुद्ध करती है। २००१ की जनगणना के अनुसार, १५ और ५९ साल के बीच आयु वर्ग के विकलांग व्यक्तियों में से एक तिहाई से अधिक (३६ प्रतिशत) पुरुषों और लगभग दो तिहाई (६८ प्रतिशत) डब्ल्यूडब्ल्यूडी को कार्य रहित (गैर श्रमिक) होना पाया गया था। इसके विपरीत, सामान्य जनसंख्या का केवल १९ प्रतिशत पुरुष और ६० प्रतिशत महिलाओं को कार्य रहित पाया गया। सामान्य महिलाओं - पुरुषों की तुलना में विकलांग पुरुषों और महिलाओं में रोजगार की दर कम है। पेशेवर प्रशिक्षण के संदर्भ में महिलाओं का स्तर काफी कम है। (विश्व बैंक, २००९: १०४)। मौजूदा विकलांग कानूनी ढांचा भी डब्ल्यूडब्ल्यूडी की काम करने की क्षमता को मान्यता प्रदान करने में विफल रहा है। शिकायत अधिकारी (राष्ट्रीय और राज्य विकलांगता आयुक्त) को मिलने वाली अधिकांश शिकायतें में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कोटा के लिए विशेष प्रावधानों का पूरा न होना, पदोन्नति से संबंधित, नियुक्ति आदि से संबंधित होती हैं (विकलांग लोगों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय खंड १ - ३)।

स्वास्थ्य - अनुच्छेद १२ (सीईडीएडब्ल्यू) और अनुच्छेद २५ (सीआरपीडी)

सीआरपीडी का अनुच्छेद २५ भेदभाव से मुक्त स्वास्थ्य देखभाल, प्रसव के अधिकार, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सुधार, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए पहुँच प्रदान करने के लिए बराबर सुविधा प्रदान करता है। भारत में विकलांगता स्वयं पीडब्ल्यूडी के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता का मुख्य विषय है।

सरकार धीरे - धीरे स्वास्थ्य के क्षेत्र पर पकड़ ढीली कर रही है। परिवार के भीतर ही संसाधनों का असमान वितरण, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का अभाव, आदि, के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूडी की स्थिति और खराब हो जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यूडी की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होती है क्योंकि सामान्य महिलाओं की तुलना में, विकलांग महिलाओं के विधवा होने की संभावना चार गुणा अधिक पाई जाती है। इससे स्वास्थ्य देखभाल की कमी का पता चलता है। इसके अलावा, विकलांगता के क्षेत्र में, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं की पहुंच के मामले में और लैंगिक अंतर काफ़ी स्पष्ट नजर आता है। उपचार और सहायता सेवाओं और साधनों के वितरण में भी पहुंच के विवरण ने यह साबित कर दिया है।

१. जबरिया निरोध और उपचार

मनोवैज्ञानिक - सामाजिक और बौद्धिक (मानसिक) विकलांग महिलाओं के सबसे अधिक वंचित होने के कारण से महिलाओं के अधिकार एक प्रमुख समस्या है। 'मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम १९८७' के अनुसार मनोवैज्ञानिक-सामाजिक विकलांग महिलाओं के उपचार में, इलाज की सहमति के मुद्दे पर राज्य अभी भी है 'अक्षम' है।

पुरुषों को प्रारंभिक दौर में उपचार के लिए अस्पतालों या आश्रय स्थलों में भर्ती कराया जाता है, जबकि महिलाओं की बीमारी अधिक गंभीर होने के बाद ही भर्ती कराया जाता है। महिलाओं को शायद ही कभी उपचार के बाद घर वापस लाया जाता है। धोखे से बंधन में रखने के अलावा, इलेक्ट्रो - कन्वल्सिव चिकित्सा (ईसीटी) से शॉक ट्रीटमेंट के प्रतिकूल प्रभाव होने के बावजूद उसका दुरुपयोग किया जाता है।

२. जबरिया परिवार नियोजन (स्टेरिलाइजेशन), गर्भपात और युथनेसिया (लाइलाज बीमारी में प्राकृतिक मृत्यु देना)

संगठनों में और परिवार द्वारा जबरिया परिवार नियोजन मानवाधिकार की दृष्टि से एक चिंता का विषय है (फडके, १९९४)। सीईडीएडब्ल्यू जीआर सं. २४ (१९९९) के बावजूद सहमति के बिना परिवार नियोजन (स्टेरिलाइजेशन) पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं किया गया है। गर्भावस्था और प्रसवोत्तर देखभाल से संबंधित, परिवार नियोजन की सेवाओं में शायद ही कभी डब्ल्यूडब्ल्यूडी को शामिल किया जाता है। गर्भनिरोधक तक उनकी पहुंच उनकी पसंद के हिसाब से उपलब्ध नहीं होती। इन गर्भ निरोधकों को बिना सहमति से उपयोग करने से उनके शरीर पर उनके अधिकार का उल्लंघन होता है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम (१९९४, २००३), लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि यह विकलांगता के आधार पर इसकी पसंद की छूट देता है, जो सामाजिक आधार पर अस्वीकार्य है, क्योंकि यह युथनेसिया पर आधारित है इसलिए यह कानून बदलने की आवश्यकता है।

हिंसा और उत्पीड़न - सीईडीएडब्ल्यू (अनुच्छेद १५) और सीआरपीडी (अनुच्छेद १५ और १६)

किसी भी तरह की हिंसा डब्ल्यूडब्ल्यूडी के लिए व्यक्तिगत अनुभव के रूप में और संरचनात्मक वास्तविकता के रूप में चिंता का एक गंभीर मुद्दा है, जो उसे जीवन के सभी चरणों में अनुचित साबित होता है। हिंसा के गंभीर सवाल संगठन और घर दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं:

१. संगठन के भीतर हिंसा

विकलांग लड़कियों और महिलाओं की संस्थाओं में मानसिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों, देखभाल घरों, रहने की सुविधा वाले छात्रावास, ट्रांजिट घर, बेघरों के लिए घर, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों का समावेश होता है। इन स्थलों में होने वाली हिंसा में बंधन, गंदगी, सार्वजनिक बाथरूम, विशेष रूप से मासिक धर्म के दौरान कपड़े की सुविधा न होना, शारीरिक उत्पीड़न और यौन हिंसा शामिल है और इसे दोहराया जाता रहता है। इसके अलावा, देखभाल के प्रावधानों को लगभग लागू नहीं किया जाता है। इस प्रकार, निजी उद्यमों द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की जवाबदेही और राज्य की जिम्मेदारी घटती जाती है और जहां मानसिक-सामाजिक विकलांग महिलाओं को प्रार्थना और जादू-टोने से इलाज कराने के लिए ले जाया जाता हो उन धर्मस्थलों में राज्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही का प्रायः अभाव रहता है।

मानसिक अस्पताल में की जाने वाली यौन हिंसा पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वहां उपचार के लिए रखी महिलाओं के साथ अन्य मानसिक और शारीरिक हिंसा पर भी ध्यान नहीं जाता। इसके

अलावा, हिंसा के प्रति अधिकारियों, कर्मचारियों और देखभाल करने वालों की असंवेदनशीलता भी समस्या को और गंभीर बनाती है।

२. घर के भीतर हिंसा

सभी महिलाओं के खिलाफ घर में होने वाली हिंसा के सवाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए घरेलू हिंसा कानून, २००५ को लागू करने के बावजूद रिश्तेदारों द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूडी को गंभीर प्रकृति के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है (मलयालम मनोरमा, २०११)। इसमें उन्हें बांधे रखने, मूलभूत चीजें या सुविधाएं नहीं देना, एकांत में रखना, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न करना आदि शामिल हैं। विकलांगता के परिप्रेक्ष्य में, घर में हिंसा और उत्पीड़न की समस्या को दूर करने में दो बाधाएं हैं, कानून केवल उसी स्थिति में कार्यवाही करता है, जहां लंबे समय तक संबंध रखने वाला पुरुष सदस्य हो जिसके साथ महिला परिवार के रिश्ते में रहती हो। इसमें लंबे समय तक संबंध रखने वाले और देखभाल लेने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी सदस्य के लाभ और देखभाल के लिए रखी गई संपत्ति (चल और अचल) पर नियंत्रण पाने के लिए परिवार के भीतर हिंसा और उत्पीड़न करना आम बात है।

३. संघर्ष वाले क्षेत्रों में हिंसा

संघर्ष वाले क्षेत्रों में रहने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूडी के लिए हिंसा के कारक संघर्षपूर्ण माहौल में और अधिक उग्र हो जाते हैं, और वे आसानी से उत्पीड़न और हिंसा का शिकार हो जाते हैं। गोलीबारी और सुरंग की खुदाई के कारण विकलांगता के अलावा, डब्ल्यूडब्ल्यूडी में पश्च अभिघातजन्य तनाव विकार का उच्च स्तर पाया गया है। किसी भी अन्य स्थिति की तुलना में डब्ल्यूडब्ल्यूडी महिलाओं के लिए यह स्थिति अधिक समस्याग्रस्त होती है।

पारिवारिक जीवन और मातृत्व - सीईडीएडब्ल्यू (अनुच्छेद ५, १२, १६), सीआरपीडी अनुच्छेद २२: गोपनीयता का सम्मान

विशेष रूप से बौद्धिक विकलांगता वाले कई डब्ल्यूडब्ल्यूडी को पारिवारिक जीवन और मातृत्व से वंचित रखा जाता है। इतना ही नहीं, उनके गोद लेने के अधिकार और एकल मातृत्व (बच्चे का अकेले लालन-पालन) के अधिकार की भी मनाही की जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यूडी के बारे में पारंपरिक विचारों के कारण उन्हें पारिवारिक जीवन से अलग रखा जाता है। कई डब्ल्यूडब्ल्यूडी की शादी दूसरी पत्नी के रूप में की जाती है जिसके कारण या ऐसी महिलाएं शादी से संबंधित किसी लाभ या रक्षा के लिए कोई कानूनी दावा नहीं कर सकती। इसलिए, शादी के बाद उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है और उनके साथ हिंसा की जाती है जिसकी जांच पड़ताल की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों वाली डब्ल्यूडब्ल्यूडी महिलाओं से उनके बच्चों को जबरदस्ती ले लिया जाता है और उनकी संभाल दूसरों को सौंप दी जाती है। कई शादियां दहेज के लिए होने से तलाक बहुत अधिक बढ़ गया है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, पुनर्वास और अन्य सुविधाएं देने के बजाय कई राज्यों ने जबरदस्ती विवाह कराने की शुरूआत की है।

डब्ल्यूडब्ल्यूडी के शादी के अवसरों में वृद्धि के नाम पर डब्ल्यूडब्ल्यूडी पर यौन हिंसा में बढ़ोतरी करने वाली अनैतिक योजना भयानक रूप से चल रही है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चल रही योजनाओं में जो सामान्य व्यक्ति पीडब्ल्यूडी से शादी करे तो सामान्य व्यक्ति को ५,००० से ५०,००० रुपये तक का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। इसलिए, इस वित्तीय लाभ को प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडी का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

ग्रामीण महिलाएं (सीईडीएडब्ल्यू अनुच्छेद १४ और सीआरपीडी अनुच्छेद ९, २५, २६)

करीब ७५.०३ प्रतिशत विकलांग महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और इनमें से ज्यादातर महिलाएं स्वास्थ्य देखभाल से वंचित हैं और साक्षरता दर भी काफी कम है। ज्यादातर महिलाएं कृषि से संबंधित गतिविधियों में काम करती हैं, लेकिन इन गतिविधियों के लिए ऑर्थोटिक्स और प्रॉस्थेटिक्स नहीं बने हैं। ग्रामीण विकास के लिए भारत में कई योजनाएं हैं, लेकिन विकलांगता के क्षेत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों में तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि महिलाएं इसका उपयोग करती हैं या नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की कमी एक प्रमुख समस्या है जिसके कारण महिलाओं के साथ बलात्कार का अनुपात में वृद्धि हो रही है। जम्मू और

कश्मीर, मणिपुर, आदि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में संचार की कठिनाई के कारण महिलाओं को चिकित्सा उपचार नहीं मिल पाता।

पहुँच (सीआरपीडी अनुच्छेद ९)

सीआरपीडी भारतीय राष्ट्रीय विकलांगता अधिनियम, १९९५ की पहुंच (उपलब्धता) को एक मूल अधिकार मानता है। प्रक्रिया में डब्ल्यूडब्ल्यूडी को शामिल नहीं किए जाने से न्याय प्रणाली (परिवार अदालतों सहित अदालतें) तक उनकी पहुंच का अभाव होता है पुलिस स्टेशन भी पहुँच से बाहर रह जाते हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में और सहायता और साधन (एडीआइपी) योजना में डब्ल्यूडब्ल्यूडी के लिए पर्याप्त आयाम, माप और विशिष्ट विकल्प नहीं हैं। दिल्ली में हाल ही में हुई बलात्कार की घटनाओं के लिए अनुचित योजना, पद यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं में पर्याप्त प्रकाश का अभाव, अंधेरे वाली जगहें और इमारतों की ऊंची दीवारें जिम्मेदार हैं।

सरकार की योजनाओं तक पहुंचने के रास्ते में भी कई बाधाएं हैं। महिलाएं यह शिकायत करती हैं कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी आधार कार्ड उन्हें नहीं दिया क्योंकि उसमें हाथ या आंख से पहचान करना आवश्यक है।

एजेंसी

विकलांग महिलाएं पीड़ित होती हैं, परंतु इसके साथ ही वे परिवर्तन के चित्र भी बनाती हैं। इस रिपोर्ट में योगदान देने वाली चार सौ महिलाएं अपने-अपने क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। शिक्षा क्षेत्र से लेकर और ग्रामीण स्व - सहायता समूह के नेता और स्वयंसेवी संगठन का प्रमुख पद भी संभालती हैं।

प्रस्तावित प्रश्न

सीईडीएडब्ल्यू - अनुच्छेद १, २, ३, ४ और ५ (सीआरपीडी अनुच्छेद ३, ६ और ९)

प्रश्नः समानता का वातावरण बनाने के लिए किन कानूनों को अपनाया गया है? क्या इसका प्रसार और लागू किया गया है?

सूचनाः विकलांगता और लिंग, उम्र, सामाजिक - आर्थिक स्थिति, जाति, नस्ल, आदि जैसे कारकों के आधार पर विकलांग लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव के खिलाफ और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कानूनी कार्रवाई की गई है?

प्रश्नः सरकार के प्रशिक्षण और संवेदीकरण के लिए कौनसे कार्यक्रम शुरू किये गये हैं?

सूचनाः विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और लाभों की पूर्ण और प्रभावी जानकारी प्राप्त करने में बाधा रूप दृष्टिकोण पर अवरोध बनने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षण की प्रभावशीलता पर रिपोर्ट।

प्रश्नः १. भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ के तहत, महिलाओं लिए विशेष प्रावधान के तहत विकलांग महिलाओं और लड़कियों से किए जाने वाले के भेदभाव और असमानता के विशिष्ट प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौनसे विशेष अस्थायी उपाय किए गए हैं।

२. मीडिया और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणाली में डब्ल्यूडब्ल्यूडी की अपरंपरागत छवि को बढ़ावा देने के लिए कौनसे कदम उठाए गए हैं?

सूचनाः विकलांग लड़कियों और महिलाओं के मामले में (विकलांगता और उम्र का) विवरण एकत्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

राजनीतिक अधिकार - अनुच्छेद -७ और सीआरपीडी अनुच्छेद २९

प्रश्नः क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के तहत भेदभाव को खत्म करने के लिए कोई प्रयास किया गया है या नहीं?

सूचनाः डब्ल्यूडब्ल्यूडीएस को मिलने वाले सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने के लिए और ये अधिकार नहीं छिने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कानूनी क्षमता - सीईडीएडब्ल्यू अनुच्छेद १५ और सीआरपीडी अनुच्छेद १२

प्रश्नः क्या विकलांग महिलाएं अन्य लोगों के साथ समान स्तर को कानूनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम हैं?

सूचनाः सभी विकलांग महिलाओं को सभी नागरिक और आपराधिक कानून के तहत पूर्ण कानूनी क्षमता का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रश्नः डब्ल्यूडब्ल्यूडी की न्याय तक पहुंच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचनाः क्या डब्ल्यूडब्ल्यूडी के लिए कोई मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध हैं और क्या वे पुलिस स्टेशन और अदालतों तक पहुंच सकती हैं? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूडी के समावेश के साथ मापदंड और दिशा निर्देशों के विकास में सार्वत्रिक डिजाइन (यूनिवर्सल डिजाइन) के उपयोग का प्रसार किया गया है? बलात्कार और यौन शोषण के अन्य सार्वत्रिक रूपों की पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या इन घटनाओं का विवरण उपलब्ध है?

शिक्षाः सीईडीएडब्ल्यू अनुच्छेद १० और सीआरपीडी अनुच्छेद २४

प्रश्नः क्या डब्ल्यूडब्ल्यूडी की शैक्षिक भागीदारी में असमानताओं को कम करने के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई की है?

सूचनाः शाला प्रवेश और शाला छोड़ने के संदर्भ में 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत विकलांग लड़कियों की उम्र और विकलांगता से संबंधित ब्यौरा एकत्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? विकलांग लड़कियों की शिक्षण संस्थानों, हस्तक्षेप, प्रशिक्षण, नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से शाला प्रवेश और शाला में बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

समारोहः सीईडीएडब्ल्यू अनुच्छेद ११ और सीआरपीडी अनुच्छेद २७

प्रश्नः विभिन्न श्रम कानूनों और सरकारी रोजगार के प्रावधानों के तहत विकलांग महिलाओं के लिए अवसरों की असमानता को कम करने में कौनसा कानूनी ढांचा विकसित किया गया है?

सूचनाः विकलांग व्यक्ति (समान अवसरों, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, १९९५ के तहत रोजगार प्रावधानों के अंतर्गत विकलांग पुरुषों की तुलना में विकलांग महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने वर्तमान प्रतिशत कितना है? नौकरियों और योजनाओं ३ प्रतिशत आरक्षण के तहत (विकलांगता, उम्र और सामाजिक - आर्थिक स्थिति के संदर्भ में) ब्यौरा एकत्र करने के लिए कौनसे कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य - सीईडीएडब्ल्यू अनुच्छेद १२ और सीआरपीडी अनुच्छेद २५

प्रश्नः विकलांग लड़कियों और महिलाओं को सरकारी और निजी अस्पतालों में जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन (वंध्यत्व) से बचाने के लिए कौनसी कानूनी कार्रवाई की गई है है?

सूचनाः इस मामले में कानून और निर्देश।

प्रश्नः विकलांग महिलाओं और लड़कियों की देखभाल, सुरक्षा और उपचार करने वाले मानसिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता संगठनों में बड़े पैमाने पर हिंसा और उत्पीड़न की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौनसे कदम उठाए गए हैं?

सूचनाः धार्मिक स्थलों या जहां महिलाओं और विकलांग लड़कियों जबरन और हिंसक स्थितियों उपचार के लिए ले जाते हैं उन स्थलों में किए जाने वाले उपचार के लिए जवाबदेही तय करने के लिए कौनसे कदम उठाए गए हैं?

प्रश्नः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग महिलाओं और लड़कियों को विकलांगता से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल, प्रजननलक्ष्यी स्वास्थ्य की जरूरत और स्वास्थ्य की आम देखभाल के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

प्रश्नः विकलांगता के संबंध में युथेनेसिया के कदमों को पूरा करने वाले पीसीपीएनडीटी अधिनियम में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कोई कार्रवाई की है?

हिंसाः सीईडीएडब्ल्यू अनुच्छेद १५ और सीआरपीडी अनुच्छेद १५ और १६

प्रश्नः विकलांग महिलाओं और लड़कियों को हिंसा, उत्पीड़न, शोषण, और यातना के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए कौनसे कानूनी और जाग्रति वाले कदम उठाए गए हैं?

सूचनाः हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामलों (विकलांगता और उम्र से संबंधित) में ब्यौरा एकत्र करने के लिए कौनसे कदम उठाए गए हैं?

पारिवारिक जीवन और मातृत्वः सीईडीएडब्ल्यू अनुच्छेद १६ (१२ और १५) और सीआरपीडी अनुच्छेद २२ और २३

प्रश्नः क्या महिलाएं अपनी गोपनीयता के साथ गैर कानूनी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता का अनुभव करती हैं?

सूचनाः परिवार द्वारा सरकार की योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से विकलांग महिलाओं का विवाह जबरन की जाने वाली शादी न निकले, यह सुनिश्चित करने के लिए कौनसे कदम उठाए गए हैं?

सूचना संग्रहः सीईडीएडब्ल्यू जीआर १९८९ का अनुच्छेद ८ और सीआरपीडी अनुच्छेद ३१ः सांख्यिकी विवरण और जानकारी संग्रह
प्रश्नः विभाजित विकलांगता जानकारी व्यवस्था शुरू करने और लागू करने के लिए कौनसे कदम उठाए गए हैं?
सूचनाः एकत्र जानकारी के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, काम (संगठित और असंगठित), और राजनीतिक क्षेत्र में विकलांग महिलाओं की भागीदारी की स्थिति के निष्कर्ष क्या हैं?

डब्ल्यूडब्ल्यूडी इंडिया नेटवर्क की बैठकों में प्रतिभागियों द्वारा सूचित मामले, मुद्दे, और सिफारिशें

जबरिया निरोध और उपचार

जबरिया उपचारः एक युवती मालिनी छीब को चुपचाप सुन रही थी। मालिनी छीब महिलाओं के आंदोलन में सक्रिय हैं। वे पुणे में एक बैठक में लैंगिकता पर बोल रही थी। अंत में उस स्त्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी आप बीती बताई। उसका पति उसे जबरदस्ती कैद में रखता था और मानसिक आश्रयगृह में उसका इलाज कराया जाता था। उसे अपने बच्चों से दूर रखा जाता था। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह गुस्सा हो जाती है और अविश्वासी होने से उसका इलाज किया जा रहा था। उसकी सहमति के बिना उसे भारी दवा और ईसीटी दिया जाता था। आखिरकार, उसने दवाएं बंद कर दी और दवाओं के बिना उसे अच्छा लग रहा था। २००७ में, उसके पति ने उससे तलाक के लिए अर्जी दायर की। उसके पति ने उसके बच्चों और फ्लैट पर कब्जे के लिए भी आवेदन किया था। उसका मुकदमा परिवार अदालत में चल रहा है। उसका पति अंतरिम भरणपोषण के रूप में ७,००० रुपए देता है, जबकि उसकी प्रति माह की कमाई १५०,००० रुपए है और उसने अपनी पत्नी से बच्चों को ले लिया है (पुणे, डब्ल्यूडब्ल्यूडी बैठक में)।

मुठभेड़ क्षेत्र में डब्ल्यूडब्ल्यूडी

वह अंधी है। उसका पति ड्राइवर था और एक फर्जी मु भेड़ में पुलिस द्वारा मार डाला गया था। पुलिस उसके ससुराल वालों को भी निशाना बना सकती है इसलिए उसे उनसे अलग होना पड़ा। उसका और उसके दो बेटों का गुजारा २,००० रुपए से चलता है, जिसे एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रति माह दिया जाता है। कभी-कभी वह चावल लेने के लिए अपने ससुराल जाती है। उसके ससुराल के खेतों में धान बोया जाता है। इन खेतों का मालिक उसका पति था (इम्फाल, मणिपुर की बैठक, १८ दिसम्बर, २०१२)।

जम्मू और कश्मीर की जमीन - सुरंग में शूटिंग और आत्मघाती हमला सामान्य बात है। श्रीनगर में डल झील के पास चार बच्चों की मां ऐसे ही एक आत्मघाती हमले में घायल हो गयी था। उसने हमले में अपने पति को खो दिया। उसने अपनी दृष्टि खो दी है, जिससे वह काम नहीं कर सकती। उसका १४ वर्षीय बेटा उसकी देखभाल करता है (११ मई २०१३ को श्रीनगर में एक बै क में भागीदार द्वारा बताया गया मामला)।

स्टेरिलाइजेशन (परिवार नियोजन)

डिप्रो- ५ (डीईपीआरओ- ५) जैसी गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग करके परिवार नियोजन (संस्थागत स्टेरिलाइजेशन) पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन बेंगलूरु में यह खपत सामान्य है। (बेंगलुरु बैठक में एनजीओ कार्यकर्ता, ४ फरवरी, २०१३)। आंध्र प्रदेश में बौद्धिक विकलांगता वाली लड़कियों का सर्जरी से गर्भाशय निकाले जाने के प्रचलन के बारे में मेहबूबनगर की ग्रामीण महिला ने बताया। लगभग २० ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया।

शिक्षा

ग्रामीण स्कूलों में या तो शौचालय नहीं होते, और होते हैं तो वे सुविधाजनक नहीं होते, इसलिए लड़कियों को मूत्र मार्ग संक्रमण हो जाता है और वे मासिक धर्म होने पर कपड़ा नहीं बदल सकती हैं (हैदराबाद, २२ फरवरी, २०१३)।

सरकार के पास राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक प्रतिष्ठित 'सांकेतिक भाषा संस्था' होने से सांकेतिक भाषा के शिक्षकों के अभाव के परिणामस्वरूप निरक्षरता हुई है। इससे सांकेतिक भाषा के शिक्षकों पर बोझ भी बढ़ जाता है (चेन्नई, ६ फरवरी, २०१३ और हैदराबाद २२ फ़रवरी २०१३)।

कार्य

श्रीनगर में एक परिवार के एक भाई और दो बहनें श्रवण विकलांग हैं। दोनों लड़कियां शिक्षित हैं, लेकिन जहां भी वे रोजगार के लिए आवेदन करती हैं उन्हें इनकार कर दिया जाता है। लड़का काम करता है (श्रीनगर, ११ मई, २०१३)।

निजी संगठन में या बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जहां डब्ल्यूडब्ल्यूडी को रोजगार दिया जाता है वहां उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है। स्त्री - पुरुष के लिए एक ही शौचालय होता है, जिससे व्हीलचेयर पर बैठी एक औरत अंदर जाने पर दरवाजा बंद नहीं कर सकती, इससे उसे अपने दोस्त को बाहर खड़ा करना पड़ता है जिससे उसका दोस्त किसी और को अंदर जाने से रोके। विकलांग दलित महिलाओं को हाशिए पर धकेलने और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में तीन बच्चों की ३५ वर्षीय दलित मां घर का काम करती थी और पांच लोगों ने उसका बलात्कार किया।

शादी और तलाक

यह महिला ३० साल की है। उसे मेरुदंड में चोट आने के बाद उसके पति ने उसकी बहन से शादी कर ली (भुवनेश्वर, ८ जनवरी, २०१२)। दो साल बाद उसे छोड़ दिया गया।

तमिलनाडु में मदुरै के पास एक विकलांग औरत को दूसरी पत्नी के रूप में शादी करवाई गई लेकिन शादी के ४० दिनों के बाद सरकारी लाभ प्राप्त होने के बाद उसे यातना दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण वहां कानूनी मदद प्राप्त नहीं कर पाने के कारण वह मुकदमा दायर नहीं कर सकी (चेन्नई, ६ फरवरी, २०१३)।

पुणे में परिवार अदालत में अक्षम कानून अधिकांशतः तलाक की कार्यवाही में 'पागल' शब्द का प्रयोग करते हैं। शारीरिक बीमारी के साथ मध्यम अवसाद का पता चलने पर, एक शादी को रद्द कर दिया गया और धोखाधड़ी और पिछले यौन संबंध के आधार पर केस दायर किया गया था (पुणे, ८ अप्रैल, २०१३)।

संपत्ति

मेरे भाई ने मेरी संपत्ति जबरन छीन ली है। अब मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती हूं और जमीन पर सोती हूं (चेन्नई, ६ फरवरी, २०१३)।

संस्थानों में बलात्कार

राजस्थान में कानोता में मूक-बधिर पांच जवान लड़कियों पर आवासीय स्कूल चलाने वाले एक एनजीओ चार कर्मचारियों द्वारा बलात्कार किया गया था। इनमें से दो लड़कियों के साथ बार-बार बलात्कार किया गया और दो लड़कियों को लगातार पीटा गया (दिल्ली की बैठक, १८ जून, २०१३ - राजस्थान के प्रतिभागी के द्वारा)।
२०१२ में, मुंबई में पनवेल में आश्रय स्थान में पांच लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था (पुणे बैठक, ८ अप्रैल, २०१३)।

दृष्टि और बधिर लड़कियों पर बलात्कार और क्रूरता की घटनाएं चंडीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद और हरियाणा में बड़े पैमाने पर होती रहती हैं (भार्गवी डावर द्वारा संकलित और प्रस्तुत केस, पुणे, ८ अप्रैल, २०१३)।

दलित डब्ल्यूडब्ल्यूडी के साथ बलात्कार और गर्भपात

हरियाणा में जिंद में एक २० वर्षीय दलित बौद्धिक विकलांग लड़की के साथ उच्च जाति के आदमी ने ३-४ बार बलात्कार किया। महिला गर्भवती हुई और उसकी सहमति के बिना गर्भपात करा दिया गया था। बलात्कारी ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन अंत में मामला दर्ज किया गया था।

सिफारिशें

महिलाओं द्वारा बैठक के दौरान समिति को सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए निम्नानुसार सिफारिशें की हैंः

सर्वोच्च प्राथमिकता

१. लिंग (महिला या पुरुष) और विकलांगता के आधार पर वर्गीकृत विवरण।
२. महिलाओं पर विपरीत असर डालने वाले एमएचए जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाना।
३. देखभाल और संरक्षण करने वाले संगठनों में निगरानी प्रणाली को सख्ती से लागू करना चाहिए और इसमें तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक और निजी संगठनों को शामिल करना चाहिए।
४. पीडब्ल्यूडी से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को मिलने वाले वित्तीय लाभ सहित राज्य स्तर की सभी नीतियों को रद्द करना

५. जबरिया गर्भपात, गर्भनिरोधक, परिवार नियोजन (स्टेरिलाइजेशन) और कारावास में डालने जैसी चीजों को कानून द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूडी पर लागू नहीं करना सुनिश्चित करना।

६. पीसीपीएनडीटी अधिनियम में विकलांगता के उप खंड को हटाना।

७. खास विकलांगता को चंगा करने का दावा करने वाले या इरादे वाली धार्मिक संस्थाओं (मंदिर, मस्जिद, आदि) पर निगरानी के लिए दिशा निर्देश और कानून।

८. यह सुनिश्चित करने कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी (ईसीटी) नहीं दी जाए। इस प्रावधान को तोड़ने वाले लोगों को दंडित करने के लिए संविधान कानून में सुधार करना सुनिश्चित किया जाए।

९. डब्ल्यूडब्ल्यूडी के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना।

अन्य

१०. रणनीति और आवश्यक कदम उठाने की योजना के साथ राष्ट्रीय नीति।

११. नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में डब्ल्यूडब्ल्यूडी की भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं की नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

१२. सीएटी के तहत शारीरिक यातना के सामने आपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में शारीरिक विकलांगता और लिंग आधारित दृष्टिकोण शारीरिक पीड़ा के बारे में कानून आवश्यक है।

१३. लैंगिकता का बजटीय प्रक्रिया में समावेश और पर्याप्त धनराशि का प्रावधान ।

विशिष्ट सिफारिशें

शिक्षा

१४. यूएनसीआरपीडी, सीआरसी और सीईडीएडब्ल्यू द्वारा सूचित अनुसार विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक, माध्यमिक, पेशेवर और अनौपचारिक शिक्षा की नीतियों की समीक्षा करना। ग्रामीण क्षेत्रों सहित विकलांग महिलाओं और लड़कियों, शामिल करने उद्देश्य से मौजूदा नीतियों में सुधार के लिए समीक्षा करना।

१५. शैक्षिक संस्थानों मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं और लड़कियों की व्यक्तिगत देखभाल की योजना बनाना और सहायता सेवाएं प्रदान करना।

१६. शैक्षिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा परिवारों को परिवहन लागत को कवर करने वाले भत्तों, स्कॉलरशिप जैसे विशेष भत्ते देना चाहिए। इन भत्तों से परिवारों की वित्तीय लागत को कम करने में प्रभावी सहायता मिलती है। इससे स्कूल से बच्चों निकालने की मात्रा भी कम हो जाती है।

काम और रोजगार

१७. डब्ल्यूडब्ल्यूडी की श्रम और शक्ति तक की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा, परिचालन की स्थिति, समायोजन में सुविधाजनक संचार।

१८. कार्यस्थल पर डब्ल्यूडब्ल्यूडी को होने वाले उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट व्यवस्था करना।

१९. डब्ल्यूडब्ल्यूडी को प्रशिक्षण देने के लिए और कौशल बढ़ाने के लिए और उनके स्व-रोजगार के लिए राज्यों को खास योजनाओं को विकसित करने का आदेश देना चाहिए।

२०. डब्ल्यूडब्ल्यूडी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की रोजगार के अवसरों के साथ जुड़े पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

हिंसा

२१. महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित सभी कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा विकलांगता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण से करनी चाहिए।

२२. विशेष रूप से संस्स्थाओं में डब्ल्यूडब्ल्यूडी के उत्पीड़न के मामलों पर ध्यान केंद्रित करना, हल करना और पुनर्वास के सवालों के बारे में दिशा निर्देशों को लागू करना।

२३. डब्ल्यूडब्ल्यूडी में घरेलू हिंसा अधिनियम, २००५ से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कदम उठाना।

२४. समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्था स्थापित करने के लिए महिलाओं और विकलांगता के मुद्दों और हिंसा के मुद्दे पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

२५. यदि डब्ल्यूडब्ल्यूडी के खिलाफ हिंसा होने के बारे में पता चले तो जहां डब्ल्यूडब्ल्यूडी को रखा गया है उन निजी संस्थानों के

कामकाज पर निगरानी की जिम्मेदारी राज्य के अधिकारियों दी जानी चाहिए।

स्वास्थ्य

२६. यह सुनिश्चित करना कि डब्ल्यूडब्ल्यूडी को आत्म - सम्मान और प्रतिबद्धतायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएं।

२७. डब्ल्यूडब्ल्यूडी के साथ किस तरह व्यवहार करना, उनके साथ किस तरह बातचीत करना इसके लिए चिकित्सकों, कर्मचारियों और देखभाल करने वालों में संवेदनशीलता जगाना।

२८. डब्ल्यूडब्ल्यूडी को यौन और प्रजनन से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। इसके अलावा, इन्हें व्यक्ति की सहमति से प्रदान किया जाए।

२९. डब्ल्यूडब्ल्यूडी के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाले चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जाएं।

३०. दुर्व्यवहार के मामले में पेशेवर व्यक्ति के खिलाफ अनुशासन कार्यवाही करने के साथ संबंधित आरसीआई अधिनियम और उसके नियमों के प्रावधान संशोधन किया जाए।

पहुंच

३१. सभी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं (सार्वजनिक भवनों, परिवहन और व्यवस्था के साथ ही सामाजिक और आभासी वातावरण) की योजना और डिजाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूडी की भागीदारी।

नेटवर्क में शामिल होने के लिए, या अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं:
शांता मेमोरियल रिहैबिलिटेशन सेंटर, पी -२ जयदेव विहार, भुवनेश्वर -७५१००२३. (मो) उड़ीसा, भारत में । रीना मोहंती संयोजक, ईमेलः www.din @ yahoo.in
https://www.facebook.com/pages/women-with-Disabilities-India-Network

---

पृष्ठ 34 का शेष

सीआरपीडी की धारा ११ जोखिम और मानवीय आपात स्थितियों के बारे में है। उसमें विकलांग व्यक्तियों को जोखिम की स्थिति कवर किया गया है। ये जोखिम सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपातकाल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो सकते हैं। इन सभी पहलुओं के बावजूद अभी भी कई कमियां हैं और आपदा जोखिम में कमी में विकलांगता के मुद्दों को शामिल करने के लिए निम्नांकित कदम उठाने चाहिए:

१. आपदा जोखिम में कमी में विकलांगता को शामिल करने के महत्व को सभी हिताधिकारियों को समझना चाहिए। इसके अलावा, विकलांगता को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियों, उप कानूनों, सूचना प्रणाली, बुनियादी सुविधाओं आदि का निर्माण हो और ऐसा वातावरण पैदा करने की जरूरत है जिसमें समाज के रुझान निरंतर उनके लिए सुदृढ़ हों।

२. भूकंप, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं के समय विकलांगों और घायलों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए समुदाय के बुनियादी ढांचे को सहयोग देना और सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को करना चाहिए।

३. योजना, निगरानी और मूल्यांकन की उचित व्यवस्था स्थापित करना जिससे विकलांगता को प्रभावी ढंग से मुख्यधारा में लाया जा सके।

४. ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों, बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, स्फीयर मानकों, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं और कार्य लक्ष्यी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए और प्रगति का आकलन करने के लिए संकेतक विकसित करना।

५. विकलांगता को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों के अनुभवों का प्रलेखन करना, अनुभवों का आदान-प्रदान, सबसे श्रेष्ठ उदाहरणों, जानकारी, अनुसंधान और संसाधनों का आदान-प्रदान।

६. कालेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करना। इसके अलावा, एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड, पुलिस, आदि के प्रशिक्षण को भी इसमें शामिल करना।

७. स्कूल सुरक्षा योजना में विकलांगता को शामिल करना सुनिश्चित करना।

गतिविधियाँ

अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस - २०१३ का समारोह

सामा फाउंडेशन - बेंगलूरु

'अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस' को मनाने का उद्देश्य समाज में विकलांग लोगों के बारे में समझ बढ़ाना, उनकी समस्याओं के बारे में संवेदनशीलता बढ़ाना और उनकी गरिमा, अधिकार और भलाई के लिए समाज का सहयोग दिलाना है। इसके साथ-साथ सामाजिक जीवन के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जैसे प्रत्येक पहलू में, विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने से होने वाले लाभों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। पहले इस दिन को 'विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' के रूप में जाना जाता था।

बेंगलूरु में विकलांग लोगों के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन 'सामा फाउंडेशन' ने रोटरी क्लब - येलहंका, अम्मा फाउंडेशन, ज्ञान ज्योति प्री - विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ७ दिसम्बर २०१३ को विकलांगता दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता के लिए एक 'वॉकेथान' कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की थी। दो किलोमीटर की यह 'वॉकेथान' ज्ञान ज्योति प्री विश्वविद्यालय, येलहंका से शुरू हुई थी। उस रैली में छात्रों, शिक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रोटरी क्लबों, स्वैच्छिक संगठनों, कॉर्पोरेट निकायों जैसे समाज की विभिन्न श्रेणियों

से लगभग १५० लोगों ने भाग लिया था। इसके अलावा, ५० विकलांग व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए थे।

गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर 'वॉकेथान' का प्रारंभ किया गया था। इस अवसर पर वार्ड ४ के कॉर्पोरेटर श्री एम. मुनीराजू, स्थायी समिति के अध्यक्ष, कृषि व बीबीएमपी, वार्ड ३ की कॉर्पोरेटर श्रीमती गीता, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण, रोटरी क्लब - येलहंका के सहायक गवर्नर वनिता नारायण, ज्ञान ज्योति प्री विश्वविद्यालय कॉलेज के प्राचार्य चंद्रशेखर जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, और सर्वसमावेशी समाज के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। इस अवसर पर, रोटरी क्लब, सामा फाउंडेशन और अम्मा फाउंडेशन ने अश्विनी अंगड़ी, एम. मुनीराजू, गीता, यशोदा और इस हेतु कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों को सृमति चिह्न प्रदान किया गया था। रोटरी क्लब, अम्मा फाउंडेशन और सामा फाउंडेशन ने विकलांग बच्चों को व्हीलचेयर वितरित की थी।

एक्शन फॉर डिसेबिलिटी एंड डेवलपमैंट, बेंगलूरु

'एनाई टेरेसा डिसेबिलिटी एंड डेवलपमैंट ट्रस्ट' तमिलनाडु के गांधर्व कोट्टाई और कुन्नाडरकोईल तालुका में काम करने वाले लोगों का फेडरेशन है। यह फेडरेशन पुडुकोट्टई जिले में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को प्रदान करने के लिए काम करता है। फेडरेशन ने २२५३ से अधिक विकलांग व्यक्तियों को सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में पुनर्वास की जरूरतों को प्राप्त करने में सहायता करता है। 'एटीडीडीटी' समाज को विकलांगता के मुद्दे के बारे में और विकलांग लोगों की विकास की प्रक्रिया के बारे में नागरिक समाज की भूमिका के बारे में संवेदनशीलता फैलाने के लिए 'अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस' मनाता है। यह इस समारोह का चौथा साल है।

विकलांगता दिवस २१ दिसंबर, २०१३ को अंध तिरुमाना महल, किरानूर में मनाया गया था।

उसी दिन एटीडीडीटी ने गांधी प्रतिमा से अंध तिरुमाना महल, किरानूर तक एक मानव श्रृंखला बनाई थी। इस कार्यक्रम का उद्‌घाटन लायंस क्लब, किरानूर के अध्यक्ष श्री के.एल. मुथि सुब्रमण्यन ने किया था। एक घंटे तक चली इस रैली में ६०० विकलांग लोगों ने भाग लिया था। कार्यक्रम के अंत में 'एटीडीडीटी' ने संबंधित जिला प्राधिकरण को अपनी मांगों से एक मांग पत्र दिया था। पत्र में निम्न मांगों को शामिल किया गया था:

१. विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोधमुक्त वातावरण प्रदान करना।
२. शिक्षा और रोजगार देने वाले जैसे सरकारी विभागों में विकलांगों के लिए ३ फीसदी आरक्षण उपलब्ध कराना।
३. सभी सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों को बैठने की सुविधा उपलब्ध कराना और नीची सीढ़ी वाले वाहनों की सुविधा प्रदान करना।
४. भरण-पोषण अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाली अनुदान की राशि १,००० रुपये बढ़ाकर ३००० रुपये करना।
५. अन्य राज्यों में ४० प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है। इसी तरह तमिलनाडु में ४० प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को भरण-पोषण अनुदान का प्रावधान करना।
६. कुन्नाडरकोईल और गांधर्व कोट्टाई तालुका में विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाली संस्था 'एनाई टेरेसा डिसेबिलिटी एंड डेवलपमैंट ट्रस्ट' के कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए मुफ्त जमीन देना।
७. कुन्नाडरकोईल और गांधर्व कोट्टाई तालुका में रहने वाली ६०० विकलांग महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने लायक शौचालय प्रदान करना।
८. विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और सरकारी और अन्य संगठनों में रोजगार के अवसर प्रदान करना।
९. पुडुकोट्टई जिले में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करना।

मानव श्रृंखला कार्यक्रम के बाद विकलांग लोग अंधतिरुमाला महल में 'अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस' कार्यक्रम करने के लिए इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम की शुरूआत 'एटीडीडीटी' के प्रबंध न्यासी श्री पी.पोन्डुराई के स्वागत भाषण से हुई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदिद्रविडार और आदिम जाति कल्याण मंत्री माननीय एम. सुब्रमणियन ने की थी। मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक साधनों का वितरण किया था। सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले ४४ बच्चों को पुरस्कार दिए गए। 'त्रिचिनामनापुरम ब्लाइंड होम' के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम में १२०० लोगों ने हिस्सा लिया।

'ईनोसेन्ट फाउंडेशन' की आजीविका पहल के तहत नव युवा विकलांग व्यक्तियों को कृषि से संबंधित गतिविधियों से स्वतंत्र आजीविका अर्जित करने के लिए ४८,०६० रुपए की राशि उधार दी गई थी।

डिसेबिलिटी एडवोकसी ग्रुप - डीएजी

विकलांगता जागरूकता रैली: अवरोधों को तोड़ो- दरवाजों को खोलो

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए 'वकालत' नामक परियोजना के तहत 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' और 'बीएमजेड' के सहयोग से 'विकलांगता वकालत समूह' (डीएजी) द्वारा ३ दिसंबर, २०१३ को विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर गुजरात राज्य की विकलांगता जागरूकता रैली आयोजित की गई थी।

दिनांक: ३ दिसंबर, २०१३, स्थल: गुजरात विद्यापीठ से कोचरब आश्रम, समय: ९:००-१:००, उद्देश्य: विकलांग लोगों को रोजगार के साथ ही समाज की मुख्यधारा शामिल किया जाए और अवरोधमुक्त वातावरण पैदा हो। विषय: अवरोधों को तोड़ो- दरवाजों को खोलो

दो दिसम्बर की रात को, गुजरात राज्य के अलग-अलग जिलों से लगभग ३०० विकलांग लोग रैली में भाग लेने के लिए आ पहुंचे थे।

तीन दिसंबर को रैली शुरू हुई। रैली में शामिल होने के लिए सभी लोग बहुत उत्साहित थे। सबके चेहरों पर हर्षोल्लास लग रहा था। सबको यह लग रहा था कि आज मेरा दिन है। निम्नलिखित संस्थानों ने रैली में भाग लिया था : (१) अंध जन मंडल (२) विकलांग एकता समिति (३) अपंग मानव मंडल (४) दी सोसायटी फॉर फिजिकली हैंडिकेप (५) सदविचार परिवार विकलांग पुनर्वास केंद्र (६) फा. इंटरनेशनल (७) अंध कल्याण केंद्र (८) अपंग मानव सेवा संघ (९) मीत इंटरनेशनल (१०) मधुविकास सेवा ट्रस्ट (११) स्वावलंबन ट्रस्ट (१२) मुग-बधिर शाला (१३) सोपान (१४) के. एस. देढ़िया शाला (१५) नेशनल स्कूल (१६) सांस्कृतिक मानव सेवा (१७) श्री कृष्णं शरणं ममः (१८) दर्शुकेयर चैरिटेबल ट्रस्ट (१९) यंग स्टार (२०) अंध-अपंग कल्याण केंद्र (२१) वी.आर.सी (२२) अमन डिसेबल राइट्स ग्रुप (२३) अन्य जिलों के डीएजी प्रतिनिधि और सदस्य (२४) विकास के क्षेत्र में काम कर रहे अन्य संगठन

इस रैली में अहमदाबाद की मेयर मीनाक्षीबेन, अहमदाबाद नगर निगम आयुक्त श्री गुरुप्रसाद महापात्र, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री ए.एफ. पटेल, श्री नितिन जोशी, अंधजन मंडल के निदेशक डॉ. भूषण पूनानी, उन्नति संस्था के निदेशक श्री बिनोय आचार्य, दीपा सोनपाल, लायंस क्लब के श्री भानु प्रसाद, देना बैंक के श्री व्यास साहब, पूर्व विकलांगता आयुक्त श्री भास्करभाई मेहता, भारती एयरटेल की भारतीबेन, स्वागत इन्फ्रास्ट्रक्चर के भावेशभाई और हैंडिकेप इंटरनेशल की कार्यक्रम प्रबंधक गायत्रीबेन खास उपस्थित थी। रैली में विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले १,५०० से अधिक व्यक्तियों, संस्थानों के प्रमुखों, हित धारकों ने भाग लिया था। रैली में सात ऊंट गाड़ियों, चार ट्रैक्टर, ३०० विकलांग व्यक्तियों का दो पहियों और तीन पहियों वाले वाहनों, पांच रिक्शा, संगीत बैंड, एम्बुलेंस के साथ ६०० व्यक्तियों ने पदयात्रा में भाग लिया था।

मेहमानों ने आशीर्वचनों के बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर गुजरात विद्यापीठ से रवाना किया था। इस रैली का स्वागत आश्रम रोड पर कालूपुर वाणिज्यिक बैंक, देना बैंक और बीएम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था।

रैली में सभी प्रतिभागियों द्वारा नारे लगाए गए थे। रैली अपने समापन स्थल कोचरब आश्रम में पहुंच गयी थी। वहाँ सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। डीएजी के सचिव और एमआईडब्ल्यू सह - समन्वयक नीता पंचाल और हैंडिकेप इंटरनेशल के राजूभाई परमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया था। रैली में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो उसके लिए विकलांगता वकालत समूह द्वारा काफी मेहनत की गई थी। रैली में भाग लेने के लिए आने वालों के लिए अगले दिन रहने-खाने और अगली सुबह नाश्ते की व्यवस्था और रैली के दौरान पंजीकरण, पानी, नींबूपानी और रैली के अंत में भोजन आदि की व्यवस्था की गई थी।

'अंधजन मंडल' द्वारा आयोजित कार्यक्रमः

१. एबिलिटी गुजरात

गुजरात सरकार द्वारा 'एबिलिटी गुजरात' नामक एक इंटरनेट आधारित डेटाबेस परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी तैयार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य विकलांग व्यक्तियों की गणना करके उन्हें प्रमाण पत्र देना है कि वे चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक के पुनर्वास के अधिकार प्राप्त करें उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। परियोजना की औपचारिक शुरूआत १० जुलाई २०१२ को हुई थी।

२३ जनवरी २०१४ को 'एबिलिटी गुजरात' परियोजना के सभी हितधारकों की एक बैठक अंधजन मंडल (ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन)

में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, श्री तनेजा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद द्वारा किया गया था। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग एवं अधिकारिता के प्रतिनिधियों, विकलांग व्यक्तियों और एनजीओ के प्रतिनिधियों सहित २५० व्यक्ति इस तरह से पहली बार मिले थे। एबिलिटी परियोजना को सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर चर्चा की गई थी। विकलांगता के बारे में जानकारी अपलोड करने के लिए सभी क्षेत्रों ने सहयोग करने का फैसला किया। श्री तनेजा ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में विकलांग व्यक्तियों की संख्या १३ लाख है। कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए इन सबको एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। सरकार के विभागों के पास गुजरात राज्य में विकलांग व्यक्तियों के बारे में इस तरह की कोई पंजीकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। 'टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज' के स्वैच्छिक वित्तीय सहयोग से विकलांग व्यक्तियों की गणना करने और प्रमाण पत्र प्रदान करने में उनकी मदद करने के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया गया है। इस बैठक का इरादा यह सुनिश्चित करना था कि एक भी विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना नहीं रह जाए। विकलांग व्यक्तियों के लिए बजट में वित्तीय प्रावधान करने के लिए और विकास से संबंधित अन्य गतिविधियों को करने के लिए सरकार के नीति निर्माताओं को इस तरह के डेटा मिलना आवश्यक है। इस बैठक में गुजरात के सभी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विभाग सहित सभी जिला अस्पतालों के प्रधान उपस्थित थे। सर्व शिक्षा अभियान, जीसीईआरटी और अन्य सरकारी विभागों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित थे। विकलांग व्यक्ति संगठन (डीपीओ) और अन्य गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सेवा प्रदाता और सेवाओं का उपयोग करने वालों का यह विचित्र मिलन था। स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी। विभाग ने बताया कि यह गतिविधि कल्याण की भावना से नहीं कि गई बल्कि यह तो विकलांग व्यक्तियों का अधिकार है।

२. क्षेत्रीय एबिलिम्पिक्स

यह पूरी दुनिया में 'अंतरराष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन' के तहत विभिन्न देशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह कोई खेलकूद कार्यक्रम नहीं है, बल्कि विकलांग लोगों के कौशल और तकनीक पर केंद्रित एक कार्यक्रम है।

इस क्षेत्रीय कार्यक्रम का संयोजन 'एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन' - नई दिल्ली के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग मामलों के विभाग और भारत सरकार उसके प्रायोजक हैं। इस कार्यक्रम में कृत्रिम अंग बनाने, परिधान बनाने, लकड़ी काम, कचरे का पुनः उपयोग, टोकरी बनाना, डेटा प्रोसेसिंग, वेब पेज बनान, अंग्रेजी पाठ प्रसंस्करण, वास्तु, यांत्रिक असेम्बली, मिट्टी के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक असेम्बली और परीक्षण जैसी विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कार्यक्रम 'बीपीए' (ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन) द्वारा २१-२३ नवम्बर, २०१३ के दौरान आयोजित किया गया था।

'बीपीए' में कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात राज्य की महामहिम राज्यपाल डॉ. श्रीमती कमला बेनिवाल ने २१ नवंबर को किया था। अपने भाषण में उन्होंने जोर देकर कहा कि विकलांग व्यक्तियों को भी सामान्य व्यक्तियों जैसे और उतने ही अधिकार हैं। इसे जितन संभव हो उतने अधिक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और उन्हें मुख्य धारा में लाना जाना चाहिए।

३. बढ़ते कदम

'बढ़ते कदम' एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विकलांग लोगों की उपलब्धियों के बारे में समाज में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेशनल ट्रस्ट भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत गठित कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संगठन है। यह संगठन आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मंद बुद्धि और बहु-विकलांगता कानून (१९९९ का अधिनियम-४४) के तहत स्थापित किया गया है। 'अंधजन मंडल' राज्य में 'नेशनल ट्रस्ट' का राज्य नोडल एजेंसी सेंटर है।

इस कार्यक्रम में असाधारण क्षमताओं वाले ३६० लोगों ने भाग लिया था। 'भारतीय राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन' (एनएआई) के

अध्यक्ष एयर मार्शल श्री सतीश इनामदार ने कहा था कि प्रादेशिक एबिलिम्पिक्स को सरकार को एक नियमित कार्यक्रम के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, और इसे बहुत लंबे समय तक चलाए रखने के लिए इसे वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के विजेता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राष्ट्र को गर्व प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में 'बीपीए' न्यासी, दाता, शुभचिंतक और स्वयंसेवक उपस्थित थे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के ३६० प्रतिभागी, अपने साथियों, माता पिता - पिता और गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मौजूद थे।

विकलांग व्यक्तियों ने बेकार चीजों में से कलात्मक वस्तुएं बनाई थी। उन्होंने अभिनय, नृत्य, गाने जैसी अभिव्यक्तियां दी थी। विजेताओं को स्वर्ण, रजत, और कांस्य पदक प्रदान किये गये थे। इन तीनों प्रकार में ३३ यानि कुल ९९ पदक प्रदान किए गए थे। ये विजेता भविष्य में चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले एबिलिम्पिक्स में भाग लेंगे। चंडीगढ़ के विजेता खिलाड़ी २०१४ में फिलीपींस, मनीला में आयोजित होने वाले विश्व स्तर के एबिलिम्पिक्स में भाग लेंगे। 'बीपीए' की व्हीलचेयर-टेबल टेनिस खिलाड़ी, भाविन ने अक्टूबर २०१३ में चीन में आयोजित विश्व पैरालिम्पिक्स में रजत पदक जीता था। उनका इस अवसर पर अभिवादन किया गया था।

४. विकलांग महिलाओं द्वारा नाटक का मंचन

'बीपीए' द्वारा तैयार और आशीष और दक्षिण छारा जैसे अंतरराष्ट्रीय नाट्य विशेषज्ञ के निर्देशन में तैयार एक विचार प्रेरक नाटक का मंचन पूरे गुजरात से आई विकलांग महिलाओं ने किया था। इस नाटक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न के बारे में सचोट पेशकश की गई थी। राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स और बढ़ते कदम कार्यक्रम के दौरान २१ नवंबर २०१३ को इस नाटक का पहली बार मंचन किया गया था।

५. 'तारे जमीन पर' फिल्म के श्रव्य रूप की प्रस्तुति

'विश्व दृष्टि दिवस - १० अक्टूबर २०१३' को मनाने के लिए एस्सार कंपनी की समाज कार्य इकाई 'एस्सार फाउंडेशन' द्वारा समाज में विकलांग व्यक्तियों को रणनीतिक रूप से शामिल किए जाने और विस्तार करने के कार्यक्रम 'उन्मुक्त' शुरू किया गया था। इस अवसर पर मशहूर बॉलीवुड फिल्म 'तारे जमीन पर' दिखाई गई थी। फिल्म के ऑडियो प्रारूप को पहली बार पेश किया गया था। यह फिल्म दृष्टि दोष वाले २५० दर्शकों ने देखी थी जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इन दर्शकों में ५० लोगों ने दृष्टि क्षमता होने के बावजूद आंखों पर पट्टी बांधकर फिल्म देखी थी। इसका इरादा नहीं देख सकने के बावजूद, फिल्म का आनंद लेने का अनुभव प्राप्त करना था। दृष्टि हीन इस फिल्म का आनंद ले सकें इसके लिए इसका विशेष ऑडियो रूप तैयार किया गया था। जिन आवाजहीन दृश्यों का आनंद देख सकने वाले लोग उठा सकते हैं, लेकिन दृष्टिहीन नही उठा सकते ऐसे दृश्यों में आवाज दी गई थी। इस कारण पूर्ण या आंशिक दृष्टि हीन दर्शक भी देख सकने वाले किसी व्यक्ति की मदद के बिना फिल्म का मजा ले सकते हैं।

इस दिन के कार्यक्रम की शुरूआत 'अंधजन मंडल' से 'अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन' तक 'एकजुटता यात्रा' से की गई थी। इसमें २०० दृष्टि हीन बच्चों, युवा और वयस्क प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 'अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन' में फिल्म दिखाई गई थी। इस रैली को गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप परीख ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। समूह ने दृष्टिवान लोगों द्वारा दृष्टि हीन लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाने की अपील वाले लिखित संदेशों वाले बैनर और तख्तियों के साथ रैली निकाली थी। एक तख्ती में लिखा था हमारे साथ आओ, हमारी दुनिया में सहभागी बनो। यह दुनिया स्पर्श और ध्वनियों से भरी हुई है।

'एएमए' के ऑडिटोरियम में गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रधान सचिव श्री संजय प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में 'उन्मुक्त' के बैनर का औपचारिक रूप से अनावरण किया।

उनके साथ रेटिनोपथ और विजन -२०२० गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. पी.एन. नागपाल और 'एस्सार फाउंडेशन' के सीईओ, श्री दीपक अरोड़ा भी मौजूद थे।

नीताबहन पंचाल को हेलेन केलर पुरस्कार

दिल्ली की राष्ट्रीय संस्था, 'राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति रोजगार संवर्धन केन्द्र' - एनसीपीईडीपी द्वारा १५वां शेल हेलेन केलर पुरस्कार-२०१३ प्रदान किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कैबिनेट मंत्री कुमारी शैलजा ने नीता पंचाल को विकलांगता में श्रेष्ठ रोल मॉडल की श्रेणी में विकलांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया। नीताबहन पंचाल, २००१ में कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप कमर से नीचे की संवेदना खोकर पैराप्लेजिक हो गई थी और व्हीलचेयर पर जीवन जीती हैं। उन्होंने इस पैराप्लेजिक अवस्था में भी हिम्मत हारे बिना अपने नए जीवन की शुरूआत की है। विकलांग महिलाओं के विकास के लिए कानून और सरकारी योजना बनाने की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विश्व सामाजिक फोरम में विकलांग महिलाओं के विकास में प्रेरणादायक भाषण देकर उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है। व्हील चेयर और भाला फेंकने के लिए राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है नीताबहन ने 'गर्भ से कब्र तक' - विकलांग महिला की समस्या और 'भाग्य को चुनौति देने वाले' नामक दो प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी है। विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए गहन प्रयास किए जाएं, और रोजगार के अवसर पैदा हों इसके लिए सराहनीय कार्य करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है।

नीताबहन पंचाल इस समय 'डिसेबिलिटी एडवोकसी ग्रुप (डीएजी)' की सचिव हैं, और हैंडिकेप इंटरनेशनल की परियोजना के तहत मेकिंग इट वर्क - एमआईडब्ल्यू के समन्वयक के रूप में कार्य कर

रही हैं। वे डीएजी के समाचार पत्र 'अवसर' की संपादक हैं।

यह पुरस्कार गुजरात में पहली बार और वह भी एक विकलांग महिला ने प्राप्त किया है जो बहुत गर्व की बात है।

प्रज्ञा चक्षु लोगों की उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रफुलभाई व्यास को माननीय राज्यपाल के कर कमलों द्वारा 'धरती रत्न पुरस्कार' प्रदान

धोराजी के 'अंध जन लोक कल्याण ट्रस्ट' के मानद मंत्री प्रफुल्ल एन. व्यास को 'आशीर्वाद एजुकेशन ट्रस्ट' द्वारा माननीय राज्यपाल श्रीमती कमलाजी बेनीवाल के कर कमलों द्वारा 'धरती रत्न पुरस्कार' प्रदान किया गया। विकलांगों विशेष रूप से नेत्रहीन लोगों के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

धोराजी में प्रफुल्लभाई ने नेत्रहीन भाई - बहनों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सिखाया है। पोरबंदर जिले के टूकड़ा (गोसा) गांव में जन्मे प्रफुल्लभाई ने सिर्फ पांच साल की उम्र में टाइफाइड के कारण दृष्टि खो दी थी। इसके बाद एम.ए. ए बी.एड. का अध्ययन करके अभी सरकारी कन्या विद्यालय, धोराजी में गुजराती और संस्कृत विषय के शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, 'अंध जन लोक कल्याण ट्रस्ट' के भाई - बहनों को कम्प्यूटर ज्ञान देकर स्वावलंबी बना रहे हैं। वहाँ मंद बुद्धि बच्चों के लिए एक छात्रावास

और स्कूल भी चलाया जाता है। प्रफुल्लभाई को कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का इतना ज्ञान है कि वे दृष्टिवान लोगों को भी प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टच स्क्रीन फोन को उपयोग करके वे दृष्टिवान लोगों को भी हैरत में डाल देते हैं। रहबर बनकर कई लोगों को रोजगार के लिए मार्गदर्शन के लिए उन्हें वर्ष २०११ में मुंबई में महाराष्ट्र के शहरी विकास के लिए मंत्री के कर कमलों से आर.एम. अल्पाईवाला मेमोरियल नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रफुल्लभाई ने धोराजी में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके अंधजनों को निशुल्क रहने-खाने की व्यवस्था के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस केंद्र का कामकाज देखकर गुजरात सरकार ने अप्रैल -२०१० से नेत्रहीन और अन्य विकलांग कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सीसीसी और सीसीसी प्लस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और परीक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। आज तक प्रफुल्लभाई ने ३२५ नेत्रहीन और १२५ विकलांग भाइयों-बहनों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करके और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं।

जिनके नेत्र हैं वे दुनिया को देखते हैं, जो देखते हैं वे कहीं अटक भी जाते हैं, लेकिन जो नेत्रहीन होते हैं वे सुदृढ़ सत्य के मार्ग पर जाने वाले समाज की कल्पना करते हैं और वे इस कल्पना को समाज की सेवा में अर्पित करते हैं।

इस प्रकार, श्री व्यास ने अंधजनों और अन्य विकलांग लोगों की शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास के कार्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। वे विकलांगता क्षेत्र की विविध गतिविधियों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों यह को अलग ढंग से चलाते हैं। विकलांगता क्षेत्र में हुए नए अनुसंधान विकलांग लोगों तक पहुंचाने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। कितनी भी मुसीबतें आने पर भी उनके उत्साह में कमी नहीं आती है।

योग्यजन कल्याण के लिए श्री गोवर्धन लाल जाट सम्मान

राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन निदेशालयने श्रेष्ठ स्वनियोजित विशेष योग्यजन के तहत राजस्थान विकलांग मंच इकाई के टोंक

जिलाध्यक्ष गोवर्धन लाल जाट को विशेष योग्यजनों के कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पांच हजार रुपए नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वितरण समारोह राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक २८ फरवरी, २०१४ को जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में आयोजित किया गया था।

'मनरेगा' के तहत रोजगार में विकलांग व्यक्तियों का समावेश

२७-१२-२०१३ को, 'विकल्प' को स्पीपा, अहमदाबाद में 'मनरेगा' कार्यक्रम की सलाहकार समिति की बैठक में 'विकलांगता पैरवी समूह' द्वारा 'मनरेगा' के तहत रोजगार में विकलांग व्यक्तियों का समावेश के बारे में निम्नांकित मुद्दे प्रस्तुत किए गए:

१. ग्राम पंचायतों को विकलांग व्यक्तियों की एक सूची तैयार करना चाहिए।
२. विकलांग व्यक्तियों को काम करने के दौरान आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए इन मुद्दों को ग्राम सभा की बैठकों में उठाना चाहिए।
३. विकलांग व्यक्तियों को अलग से जॉब कार्ड देना चाहिए और उन्हें

अलग से पंजीकृत करना चाहिए।

४. विकलांग व्यक्तियों को १५० दिनों का काम मिलना चाहिए। यानि कि उनके परिवार को १०० दिन और विकलांग व्यक्ति को १५० दिन, यों २५० दिनों का काम मिलना चाहिए।

५. गहन विकलांग के अभिभावक को जॉब कार्ड मिलना चाहिए ।

६. प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के लिए अलग-अलग मापदंड होने चाहिए। (जैसे चलने-फिरने, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, अल्प दृष्टि, बहु-विकलांगता आदि को विकलांगता के अनुरूप कार्य देना चाहिए।

७. अलग-अलग प्रकार के विकलांग व्यक्ति निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

- हिलने-डुलने (व्हील चेयर में चलते हुए, एक बैसाखी से चलते, दो बैसाखी से चलते, एक हाथ कटा हुआ एक पांव को हाथ लगाकर चलते, जयपुर जूते पहनकर चलते) वाले पानी लाने का काम, लकड़ी काटने का कार्य, ड्रेसिंग (मिट्टी के लेवल करने का काम), फावड़ा बैठाने, आदि का रखरखाव का काम, वृक्षारोपण, पर्यवेक्षक का काम, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्याऊ में पानी पिलाने का काम, ४० से ६० प्रतिशत विकलांग व्यक्ति चौकड़ी खुदाई करने के लिए काम कर सकते हैं, शौचालय बनाने का काम, बोर ऑपरेटर, सड़क रखरखाव, पाइपलाइन का काम, उद्यान रखरखाव आदि कर सकते हैं।

- दृष्टि दोष (कम दृष्टि): पानी लाने का काम, लकड़ी काटने का कार्य, ड्रेसिंग, मिट्टी को लेवल करने का काम, फावड़ा बैठाने का काम, रखरखाव का काम, वृक्षारोपण, पर्यवेक्षक का काम, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्याऊ में पानी पिलाने का काम, चौकड़ी खुदाई का काम, शौचालय बनाने का काम, बोर ऑपरेटर, सड़क रखरखाव, पाइपलाइन का काम, उद्यान रखरखाव आदि कर सकते हैं।

- दृष्टि दोष (अंधापन): पानी पिलाने का काम

- श्रवण दोष: प्रत्येक कार्य कर सकते हैं

८. बहु विकलांगता, गंभीर विकलांगता, सेरेब्रल पक्षाघात, आत्मकेंद्रित, पैराप्लेजिक, मानसिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से मंद आदि विकलांग व्यक्तियों की देखभाल का काम 'मनरेगा' के काम में शामिल करना।

९. जो विकलांग व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं उनके लिए गृह- उद्योग शुरू करके 'मनरेगा' योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जाना चाहिए।

श्रद्धांजलि

प्रिय विश्लेषा की दिवंगत विदाई

विश्लेषा साबरकांठा की रहने वाली थी। एक सामान्य छात्रा के रूप में उन्होंने पांचवीं कक्षा तक का अध्ययन किया था। अंधेपन का पता चलने पर भी संस्था के प्रयासों से और अपने जाग्रत माता - पिता के प्रोत्साहन से पढ़ना जारी रखा । छठी कक्षा से बी.एड. तक की पढ़ाई उन्होंने सफलतापूर्वक पूरी की। इसके बाद संघर्ष करके वे एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुई। वे शिक्षा के क्षेत्र में १४ साल तक रही। उन्होंने अपने कौशल से दृष्टिवान दोस्तों को आश्चर्य में डाल दिया।

विश्लेषा के भाई नहीं है, और वे परिवार में सबसे छोटी थी। 'राष्ट्रीय 'अंधजन मंडल' (एनएबी) की साबरकांठा जिला शाखा से उन्होंने संगीत में विशारद किया। इससे दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने संगीत कार्यक्रमों के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर और बेंगलूरु की यात्रा की। हिम्मतनगर में आयोजित राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में उनके द्वारा की गई प्रार्थना चिरस्मरणीय रहेगी। वे संस्था में आजीवन सदस्य और कार्यकारिणी में सक्रिय सदस्य थी। उनमें धन जुटाने की क्षमता थी। इसके अलावा, वे स्पष्ट वक्ता भी थी।

उन्होंने 'ऑल इंडिया रेडियो' की विज्ञान प्रतियोगिता को जीतकर यह साबित कर दिया कि अंध जन भी विज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं। नई दिल्ली के राष्ट्रीय अंध महिला फोरम में एक कार्यकारी सदस्य और पदाधिकारी के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया था।

'अखिल गुजरात अंध शिक्षक संघ' और 'एनएबी' की बैठकों में उनकी मौजूदगी उत्साह और प्रेरणा का संचार करती थी। 'उन्नति' संस्था की देखरेख में 'साइट सेवर्स' के तहत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विश्लेषा की चिर विदाई को दो महीने हो गए। फिर भी, परिवार के सदस्य, स्नेही जन आज भी उन्हें अश्रुभरी आंखों से याद करते हैं। विश्लेषा आज भी हमारे बीच है और उनके शुरू किए कार्यों को पूरा करने के लिए मानों हम सब को कह रही हैं।

इला पाठकः महिलाओं के अधिकारों की हिमायत करने वाली सन्निष्ठ कर्मयोगी, ११ जनवरी २०१४ - स्मृति

एक दुर्लभ व्यक्तित्व जिसने महिलाओं और नागरिक अधिकारों के आंदोलन में अमूल्य योगदान देकर अपने संपर्क में आए लोगों को प्रेरित किया - विभूति पटेल और सोनल शुक्ला।

अहमदाबाद में ९ जनवरी २०१४ को स्तन कैंसर के कारण प्रो. इला पाठक की मौत हो गई। इसके साथ ही गुजरात ने समाज के बहिष्कृत वर्गों, विशेष रूप से क्रूरता से पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया। वे हमेशा दहेज के कारण उत्पीड़न की शिकार, बलात्कार और अपराध की शिकार महिलाओं की मदद करती थी। ८० के दशक में उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था।

१९८१ में उन्होंने मुंबई में महिलाओं पर अध्ययन के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। नतीजतन, भारतीय महिला अध्ययन एसोसिएशन (आइएडब्ल्यूएस) का गठन किया गया था। तब से, अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप (आवाज) के उनके कामकाज के बारे में हम दोनों को पता था। इलाबहन ने महिलाओं के आंदोलन अपने भावी दृष्टिकोण की स्थापना की थी। आंदोलन के आरंभ से ही वे एक मजबूत दृढ़ संकल्प वाली कार्यकर्ता थी।

कानून में मास्टर डिग्री, अंग्रेजी साहित्य में पीएच.डी. और एनसीसी में उच्च पद - अपने खुद के लिए स्थापित लक्ष्यों को प्राप्त करने की उनकी क्षमता का सूचक था। महिलाओं के अधिकारों और के विकास के लिए काम करने के लिए उनकी निष्ठा 'आवाज' के अलावा, वे जिन संस्थानों के साथ जुड़ी थी वे विभिन्न संस्थाओं के कामकाज और उनकी रचनाओं में झलकती थी।

इलाबहन पाठक की नारीवादी सक्रियता

इलाबहन ने एच.के. कॉलेज, अहमदाबाद में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। इसके साथ ही वे स्वतंत्र पत्रकार के रूप में महिलाओं के मुद्दों पर लेख लिखती थी। सत्तर के दशक के शुरू में उन्होंने गुजराती नाटकों में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले स्त्री-द्वेष की भावना, ख़तरनाक उपाख्यानों और द्विअर्थी हास्य के खिलाफ एक अभियान शुरू किया।

१९८१ में इलाबहन ने डॉ. इला जोशी, अदिति देसाई (थिएटर कलाकार), सोफिया खान (अब एक मानवाधिकार वकील) जैसे अपने युवा साथियों और छात्रों के साथ मिलकर 'आवाज' की स्थापना की। 'आवाज' ने संस्थागत विज्ञापन, मीडिया और पाठ्यपुस्तकों में प्रदर्शित यौनवाद के खिलाफ आवाज उठाई। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार दर्शाने वाले विज्ञापनों का उन्होंने विरोध किया और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटक 'पुत्र कामेष्टि यज्ञ' के खिलाफ धरना भी दिया था और अंत में, नाटक का प्रसारण बंद करवाया था। उनके अविरत प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप गुजरात सरकार ने शाला की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं के गौण दर्जे की जांच करने वाली की समिति उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस प्रयास में उन्होंने हमको जोड़ा था।

१९८२ में उन्होंने अहमदाबाद शहर में रेल की पटरियों के पास रहने वाले और पटरियों पर गिरने वाले कोयले को उठाकर गुजारा चलाने

वाले बेघर आदिवासी प्रवासी कामगारों की खतरनाक स्थितियों प्रकाश डालने के लिए 'आवाज' की अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व किया था। इलाबहन ने आदिवासी कला और चिनाई काम के आधार पर उनकी आय सृजन गतिविधियों को शुरू किया। १९८२ में, दक्षिण गुजरात के सागबारा गांव की एक आदिवासी महिला पर सामूहिक बलात्कार हुआ तो इलाबेन इस मामले को एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास ले गई। नतीजतन, सभी बलात्कारियों को सजा मिली।

पाटन की पीटीसी कॉलेज की १९ वर्षीय दलित छात्रा पर पुरुष अध्यापकों द्वारा किए गए बार-बार बलात्कार की घटना के खिलाफ चले आंदोलन का नेतृत्व भी इलाबहन ने किया था। इसके अलावा, मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के विरुद्ध ईरोम शर्मिला के आंदोलन का भी उन्होंने समर्थन किया था। १९९३ में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों और २००२ गुजरात में दंगों के बाद मुसलमान आश्रितों के लिए इलाबहन द्वारा बहादुरी वाला भागीरथ कार्य उनकी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का सूचक है।

इलाबहन का भाषा पर प्रभुत्व का परिचय उनके असरकारक सूत्रों से मिलता है मौन सद्गुण नहीं है, जुल्म के खिलाफ मौन तोड़ो और आवाज उठाओ, अन्याय सहना करना कोई सद्गुण नहीं है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। उन्होंने प्रलेखन, अनुसंधान, और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी थी। 'आवाज' संस्था ने सामुदायिक कार्यकर्ताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और युवाओं की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान की थी। १९८६ से १९९२ तक वे गुजराती नारीवादी पत्रिका 'नारी मुक्ति' त्रैमासिक में नियमित रूप से लेख लिखती थी।

भारतीय महिला अध्ययन संघ के सम्मेलनों, नैरोबी विश्व महिला सम्मेलन -१९८५, गुजरात मानवाधिकार सम्मेलन - १९९०, अंतरराष्ट्रीय महिला शांति और स्वतंत्रता लीग - २०११, के साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में गुजरात विश्वविद्यालय के क्षमता वर्धन सम्मेलन के इलाबहन के साथ के संस्मरण हमारे लिए यादगार हैं। मुख्यधारा की राजनीति में महिलाओं के अधिकारों के एजेंडे को शामिल कराने के लिए वे १९९० में अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में भी कूद गयी थी।

इलाबहन और सामाजिक आंदोलन

इलाबहन की जोरदार वक्तृत्व शैली उनकी जमापूंजी थी। धनी और प्रभावशाली लोगों के सामने झुके बिना वे उन लोगों के साथ संवाद स्थापित कर सकती थी। गरीब और उपेक्षित लोगों के साथ उनका व्यवहार बेहद नम्र था। महिलाओं के 'राष्ट्रीय' और 'अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' में उन्होंने नारीवादी सोच वाले कई लोगों को दोस्त बनाया था। इन सम्मेलनों में भाग लेते समय वे अपने संगठन दर्जन भर महिलाओं को साथ रखती थी, और उनका ध्यान भी रखती थी।

महत्वपूर्ण योगदान

इलाबहन गुजरात विश्वविद्यालय की महिला विकास प्रकोष्ठ की एक सदस्य थी। इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों में यौन संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और और यौन उत्पीड़न को रोकना था। इसके अलावा, वे सूरत के सामाजिक अध्ययन केंद्र के शासी बोर्ड की सदस्य थी।

गुजरात विद्यापीठ की महिला केन्द्रित सभी गतिविधियों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इलाबेन अंतरराष्ट्रीय महिला शांति और स्वतंत्रता लीग के भारत चैप्टर की प्रमुख थी। वे 'धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र आंदोलन' की भी सक्रिय सदस्य थी। गरीबी और अत्याचार से त्रस्त महिलाओं के लिए काम करने के लिए २०१२ में उन्हें सम्मानित किया गया। सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के संघर्ष और गौरव हासिल करने के लिए महिलाओं के प्रयासों के उनके लेखों के संकलन के आधार पर चार किताबें प्रकाशित हुई हैं।

चार दशक का उनका कामकाज हमेशा हमें वर्तमान की अनिश्चित स्थिति में महिलाओं के अधिकारों की मशाल को जलाए रखने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करेगी। गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए उनके काम हमेशा हमें याद रहेंगे। महिला आंदोलन के सहयोगी के रूप में, हम हमारी बहन - इला पाठक को सलाम करते हैं।

पृष्ठ 12 का शेष

क्या इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के तहत मिले घर पहुंचक्षम हैं? क्या इसमें किसी सहारे के बिना अंदर गया जा सकता है और किसी सहारे के बिना बाहर आया जा सकता है? यदि जमीन का पट्टा पिता के नाम हो और विकलांग व्यक्ति के रूप में उसे घर आवंटित किया गया हो तो घर का असली मालिक कौन है? क्या शौचालय पहुंचक्षम है? क्या ग्राम पंचायत कार्यालय, जिला विकास अधिकारी, बैंक, डाकघर, गांव के बाजार, सड़कें, प्याऊ, सार्वजनिक शौचालय, धार्मिक स्थल, सामूहिक संपत्ति स्थल और यातायात पहुंचक्षम है? क्या विकलांग लोग अन्य लोगों की तरहा इनका उपयोग कर सकते हैं? क्या सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है? क्या न्यूनतम मजदूरी मेरी जरूरतों को पूरा करती है? क्या असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम -२००८ द्वारा विकलांग मजदूरों की समस्याएं दूर हुई हैं?

ऊपर दिए गए कुछ उदाहरण मुख्यधारा विकास क्षेत्र के हैं जिसमें विकलांग लोगों की जरूरतों को समान रूप से शामिल किया जाता है। विकलांग लोगों को शासन की प्रणाली में भी शामिल किया जाना चाहिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल होना चाहिए। क्या सभी विकलांग व्यक्ति सक्रिय रूप से ग्राम सभा या वार्ड सभा की बैठकों में भाग लेते हैं? क्या विभिन्न कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण समितियों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है? एक अनौपचारिक क्षेत्र भी है जिसमें परिवार, धार्मिक संगठनों और नागरिक समूहों के लिए मानकों को निर्धारित करने वाले मुख्य सत्ता संरचना शामिल है। उदाहरण के लिए 'हमारी संस्कृति में महिलाएं अपने ही गांव के बाहर नहीं जा सकती हैं' या 'विकलांग महिलाएं शादी नहीं कर सकती या बच्चे पैदा नहीं नहीं कर सकती हैं' जैसी कई मान्यताएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सही रणनीति की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिला कलेक्टर या जिला विकास अधिकारी या कानून निर्माता समुदाय में से ही आते हैं और उनमें मौजूदा अवधारणाएं रहती ही हैं।

क्या गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समावेशी हैं? क्या विकलांग लोगों के मुद्दों को महिलाओं आंदोलनों, दलित आंदोलन या सार्वजनिक स्वास्थ्य आंदोलन जैसे मुख्य धारा के आंदोलनों में शामिल हो गया है?

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्कः दीपा सोनपाल, ईमेलः sie@unnati.org, publication@unnati.org

अनुवादः आर. गुप्ता **ले-आउटः** रमेश पटेल - उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।